CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

करेंट अफेयर्स मैगजीन

DECEMBER
2024

CENTER FOR
CIVIL SERVICES
DEDICATED TO UPSC CSE

Address: Police Line Road, Daltonganj, Palamu, Jharkhand
Contact: 7909017633
email: contact@ccsupsc.com Website: ccsupsc.com

CCS UPSC & JPSC

@ccsupsc

CCS UPSC

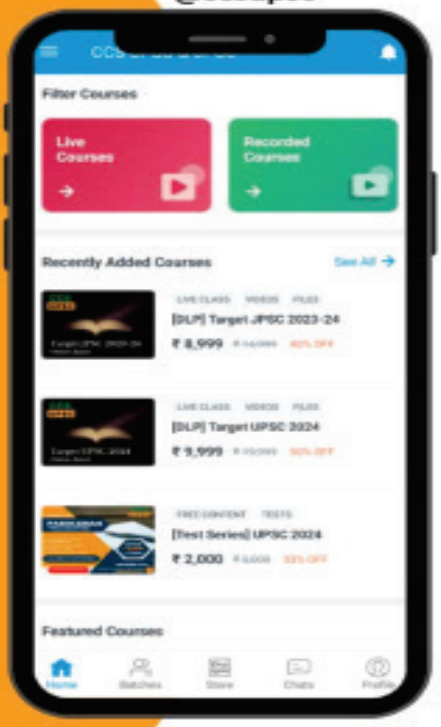

अब करें तैयारी UPSC/JPSC/BPSC की कहीं से!

- Live + Recorded क्लास
- विशेष रूप से तैयार समग्र पाठ्यसमग्री
- अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज
- नि:शुल्क पाठ्यसमग्री
- नि:शुल्क टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
- 24*7 डाउट समाधान
- बेहद किफायती फीस
- उच्च गुणवत्ता की तैयारी

GET IT ON Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

CCS UPSC & JPSC

@ccsupsc

CCS UPSC

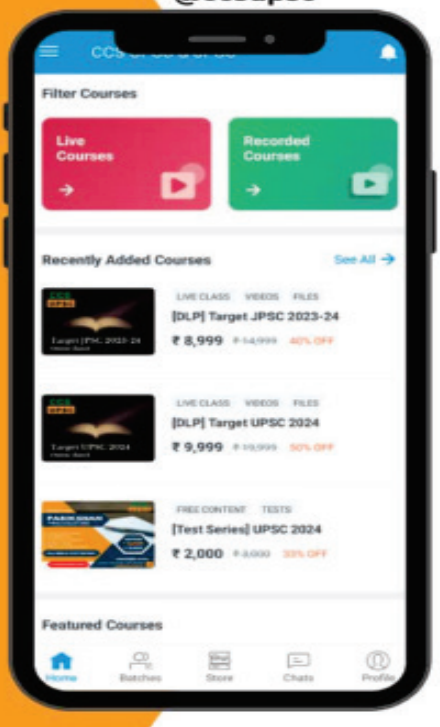

Now prepare for UPSC/JPSC/BPSC from Anywhere!

- Live + Recorded Classes
- Study Materials
- All India Test Series
- Free Study Materials
- Free Test Series
- Current Affairs
- 24*7 Doubt Support
- Highly Affordable Fee
- Highly Effective Prepration

GET IT ON Google Play

Download: ccsupsc.com/get-app

दिसम्बर- 2024

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
इतिहास एवं संस्कृति	**1-6**
संभल में शाही जामा मस्जिद	
सांची में महान स्तूप	
इस्कॉन	
सिद्दी समुदाय	
बृहदेश्वर मंदिर	
माओरी समूह	
गुरु नानक	
तुमैनी महोत्सव	
राजव्यवस्था	**7-14**
भारतीय संविधान के 75 वर्ष	
संविधान सभा में महिलाएँ	
प्रस्तावना	
एक राष्ट्र एक सदस्यता	
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामला	
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन	
अवैध रेत खनन	
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	
भूगोल	**15-20**
चक्रवात के लिए रंग कोडित अलर्ट	
पेन्नैयार नदी	
त्रिशूर-पोन्नानी कोले वेटलैंड्स	
यूनेस्को स्थल समाचार में	
माउंट अन्नपूर्णा	
शहरीकरण	
डल झील	
पर्यावरण	**21-36**
वायु प्रदूषण संकट	
एशियाई शेर	
बायोमेडिकल अपशिष्ट	
माइक्रोप्लास्टिक का खतरा	

ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024
पराली जलाने पर नज़र रखना
COP 29 - परिणाम
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI), 2025
केन्द्रापसारक प्रक्रिया और यूरेनियम संवर्धन
रणथंभौर टाइगर रिजर्व
पेरिस समझौता
कैरहान कोयला खदान
अष्टमुडी झील
पराली जलाने की समस्या को हल करने की तकनीकें
चीन और नवीकरणीय ऊर्जा
एल कैजस नेशनल पार्क
उच्च प्रदर्शन वाली इमारतें
ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल
थाई सैकब्रूड वायरस
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

विज्ञान **37-43**

नया मोइरे सुपरकंडक्टर
दूध में एंटीबायोटिक संदूषण
डार्क टूरिज्म
गामा किरणें
अंतरिक्ष कचरा और उसका प्रभाव
लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का प्रभाव
उच्च-ऊंचाई की बीमारी
लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल
गहन विश्लेषण: 6G
ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम

अर्थव्यवस्था **44-49**

डेयरी क्षेत्र का प्रदर्शन
PAN 2.0
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना
शहरी नागरिक निकाय
रेलवे पर बिबेक देबरॉय समिति
वन रैंक वन पेंशन
उड़द और तुअर आयात

पीआईबी **50-67**

एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म
SAREX-24
ई-दाखिल पोर्टल
भारत ने उन्नत अटल नवाचार मिशन 2.0 के साथ नवाचार को बढ़ावा दिया
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
अटल नवाचार मिशन (AIM)
संयुक्त विमोचन अभ्यास
भू-नीर पोर्टल
भारतीय वैज्ञानिकों ने भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल विकसित किया

भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024
नरसापुरम लेस क्राफ्ट
गुरु तेग बहादुर
सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम
तकनीकी वस्त्र
अभ्यास सी विजिल
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
कोणार्क सूर्य मंदिर
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना
नमो ड्रोन दीदी योजना
तकनीकी वस्त्र
अभ्यास सी विजिल

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **68-72**

भारत - बांग्लादेश
SAREX-24
गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी
पाकिस्तान का कुर्रम जिला
भारत की पड़ोस नीति

योजना दिसम्बर 2024 **73-83**

1: भारतीय संविधान का विकास: संवैधानिक संशोधन
2: सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका
3: भारत में AI का भविष्य: चिंताओं और आपराधिक जाँच की रूपरेखा
4: आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार: BNS के प्रभाव का मूल्यांकन
5: श्रम विवाद समाधान पर बी.एन.एस. का प्रभाव
6: साइबर युग में कानून को फिर से परिभाषित करना: आधुनिक अपराध के खिलाफ भारत का विधायी बदलाव

कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2024 **84-93**

1: सामाजिक सुरक्षा: विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए सामाजिक सुरक्षा और किसानों का कल्याण
3: दिव्यांगजनों के लिए रास्ता आसान बनाने वाली सरकारी योजनाएँ
4: वृद्धावस्था में सम्मान सुनिश्चित करना
5: पूर्वोत्तर भारत में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1 इतिहास एवं संस्कृति

संभल में शाही जामा मस्जिद

संदर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यह मस्जिद एक ध्वस्त हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी।

संभल मस्जिद के बारे में:

- निर्माण: मुगल सम्राट बाबर (1526-1530) के शासनकाल के दौरान उनके सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा निर्मित।
- **वास्तुकला:**
  - संभल में एक पहाड़ी पर स्थित है।
  - इसमें मेहराबों से घिरे गुंबद के साथ एक चौकोर मेहराब हॉल है।
  - बदायूं मस्जिद के समान पत्थर की चिनाई और प्लास्टर से निर्मित।
  - ऐतिहासिक मरम्मत: 17वीं शताब्दी में जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान पुनर्निर्मित।
- **सांस्कृतिक मान्यताएँ:**
  - स्थानीय हिंदू परंपरा का दावा है कि इसमें विष्णु मंदिर के अवशेष शामिल हैं।
  - माना जाता है कि इसका संबंध भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि से है।
  - ऐतिहासिक बहस: कुछ विद्वान बाबर द्वारा किए गए संशोधनों के साथ तुगलक-युग से पहले के मूल का सुझाव देते हैं।

सांची में महान स्तूप

संदर्भ:

दो दिवसीय महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश के सांची में महान स्तूप में आयोजित किया जा रहा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

- इस कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों, सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के अवशेषों का सम्मान करने वाले धार्मिक समारोह शामिल हैं, जो सांची स्तूप के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करते हैं।

सांची स्तूप के बारे में:

- ऐतिहासिक महत्व: तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा कमीशन किया गया और बाद में शुंग और सातवाहन शासकों द्वारा इसका विस्तार किया गया।
- **स्थापत्य विशेषताएँ:**
  - ब्रह्मांड का प्रतीक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद (अंडा)।
  - छत्र (छतरीनुमा संरचना) सबसे ऊपर, जो राजसीपन और दैवीय सुरक्षा का प्रतीक है।
  - गुंबद के ऊपर हर्मिका (बालकनी) देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है।
  - मेधी अवशेषों को संग्रहीत करता है और स्तूप के आधार के रूप में कार्य करता है।
  - तोरण: बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हुए चार विस्तृत नक्काशीदार द्वार, जो चार मुख्य दिशाओं की ओर इशारा करते हैं।
  - वैदिक: पवित्र सुरक्षा के लिए स्तूप को घेरने वाली रेलिंग।
  - परादक्षिणापथ: भक्तों द्वारा परिक्रमा के लिए मार्ग।
  - प्रतीकवाद: प्रारंभिक बौद्ध धर्म में एकरूपता; बुद्ध को प्रत्यक्ष चित्रण के बजाय पदचिह्नों, पहियों या खाली सिंहासन जैसे प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है।
  - शिलालेख: इसमें अशोकन सिंह शीर्ष और ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में शिलालेख शामिल हैं।
  - यूनेस्को का दर्जा: 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

इस्कॉन

संदर्भ:

ढाका उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के स्वप्रेरणा आदेश को अस्वीकार कर दिया, जिसमें सरकार द्वारा पहले ही की गई कार्रवाई का हवाला दिया गया।

इस्कॉन के बारे में:

- पूर्ण रूप: इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
- संस्थापक: सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद।
- स्थापना: न्यूयॉर्क शहर, यूएसए।
- **वर्ष:**
  - उद्देश्य: कृष्ण चेतना और सर्वोच्च देवता के रूप में कृष्ण की भक्ति सेवा को बढ़ावा देना।
- **विशेषताएँ:**
  - गौड़ीय वैष्णववाद की सबसे बड़ी शाखा, जिसकी जड़ें 16वीं शताब्दी के भारत में हैं।
  - हरे कृष्ण महामंत्र के जाप पर जोर देता है।
  - संकीर्तन, योग सेमिनार और त्यौहारों जैसी सार्वजनिक भक्ति प्रथाओं में संलग्न है।
  - निःशुल्क भोजन वितरण, स्कूल, इको-विलेज और अस्पताल सहित सामाजिक पहल चलाता है।

सिद्दी समुदाय

संदर्भ:

रिदम ऑफ दम्मम, हाशिए पर पड़े सिद्दी समुदाय, सदियों पहले भारत लाए गए अफ्रीकी गुलामों के वंशजों पर प्रकाश डालता है, 12 वर्षीय जयराम सिद्दी के माध्यम से, जिसका किरदार चिन्मय सिद्दी ने निभाया है।

सिद्दी जनजाति के बारे में:

- वंशज: मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका से बंटू लोगों के, जिन्हें दास व्यापार के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया, साथ ही सैनिक, नाविक और व्यापारी भी।
- **इतिहास:**
  1. सबसे पहले 628 ईस्वी में अरब व्यापारियों के साथ भरूच बंदरगाह पर पहुंचे।
  2. बाद में अरब विजेताओं, पुर्तगाली व्यापारियों और डेक्कन सल्तनतों द्वारा गुलामों के रूप में लाए गए।
  3. प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों में मलिक अंबर और जमाल-उद-दीन याकूत शामिल हैं।
- भारत में वितरण: कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्रित, अक्सर ग्रामीण या वन क्षेत्रों में।
- **विशेषताएँ:**
  1. विविध धर्म-मुस्लिम, हिंदू और ईसाई।
  2. दम्मम, डफ और गुमटे वाद्ययंत्रों के उपयोग जैसी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाएँ और पूर्वजों की पूजा जैसी साझा रस्में।
  3. भाषाओं में कोंकणी, उर्दू, मराठी और क्षेत्रीय बोलियाँ शामिल हैं।

बृहदेश्वर मंदिर

संदर्भ:

तमिलनाडु के तंजावुर में मनाया जाने वाला सधाया विझा, राजा राजा चोल प्रथम की जयंती का स्मरण करता है, जो एक दूरदर्शी चोल सम्राट थे, जो अपने प्रशासनिक कौशल और वास्तुकला और संस्कृति में स्मारकीय योगदान के लिए जाने जाते थे।

बृहदेश्वर मंदिर (राजराजेश्वरम) के बारे में

- स्थान: तमिलनाडु का तंजावुर, यूनेस्को के "महान जीवित चोल मंदिरों" का हिस्सा है।
- युग: राजा राज चोल प्रथम द्वारा 1009 ई. में निर्मित, यह सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा भारतीय मंदिर है।
- **डिज़ाइन:**
  - इसमें एक अष्टकोणीय गुंबद के आकार का स्तूपिका के साथ एक विशाल 70 मीटर का पिरामिडनुमा विमान है।
  - जटिल मूर्तियों से सजे दो बड़े गोपुर।
  - गर्भगृह में भगवान शिव का दो मंजिला लिंगम है।
  - सांस्कृतिक महत्व: अनुष्ठानों, उपहारों और मंदिर के निर्माण का विवरण देने वाले तमिल शिलालेखों का भंडार, जिसकी देखरेख राजा राज चोल ने स्वयं की थी।
  - कलात्मकता: चित्रित भित्ति चित्र, मूर्तिकला कथाएँ, और प्लास्टर आकृतियाँ (मराठा काल के दौरान बाद में जोड़ी गई)।
- **अन्य चोल मंदिर:**
  - गंगईकोंडा चोलपुरम (राजेंद्र प्रथम द्वारा)।
  - ऐरावतेश्वर मंदिर (राजराजा चोल द्वितीय द्वारा)।

माओरी समूह

संदर्भ:

न्यूज़ीलैंड की संसद कुछ समय के लिए रुकी, क्योंकि माओरी पार्टी के सांसदों ने संधि सिद्धांत विधेयक का विरोध करने के लिए हाका प्रदर्शन किया, जो 184 साल पुरानी वेटांगी संधि में बदलावों का विरोध कर रहा था।

माओरी समूह के बारे में:

- उत्पत्ति: न्यूज़ीलैंड के स्वदेशी पोलिनेशियाई लोग (एओटेरोआ) जो 1320-1350 के बीच पूर्वी पोलिनेशिया से पलायन कर गए थे।
- सांस्कृतिक विकास: सदियों से अलगाव में रहने के कारण, माओरी ने भाषा, पौराणिक कथाओं, शिल्प और प्रदर्शन कलाओं सहित एक विशिष्ट संस्कृति विकसित की।
- वेटांगी की संधि: 1840 में अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षरित, इसने सह-अस्तित्व स्थापित किया, लेकिन यह निरंतर राजनीतिक और आर्थिक निवारण का स्रोत रहा है।
- जनसंख्या: माओरी न्यूज़ीलैंड में यूरोपीय न्यूज़ीलैंडर्स (पाकेहा) के बाद दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसमें 170,000 से अधिक माओरी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं।

हाका के बारे में:

- परिभाषा: माओरी संस्कृति में गर्व, शक्ति और एकता को व्यक्त करने वाला एक औपचारिक नृत्य।
- उत्पत्ति: पारंपरिक रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य।
- उद्देश्य: सामाजिक कार्यों, समारोहों, मेहमानों का स्वागत करने या युद्ध के नारे/चुनौती के रूप में उपयोग किया जाता है।
- अभिव्यक्ति: इसमें जोरदार हरकतें, लयबद्ध मंत्रोच्चार, पैर पटकना और शरीर पर थप्पड़ मारना शामिल है।

गुरु नानक

पाठ्यक्रम: भक्ति आंदोलन

संदर्भ:

गुरु नानक जयंती या गुरुपर्व आज पूरे भारत और दुनिया भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस साल गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती है।

गुरु नानक देव के बारे में:

- जन्म: 1469 में तलवंडी (अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान) में जन्मे।
- सिख धर्म के संस्थापक: समानता और एक ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देते हुए एक नए धर्म की शुरुआत की।
- क्रांतिकारी नेता: जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों को चुनौती दी।
- मृत्यु: 1539 में पंजाब के करतारपुर में निधन हो गया।
- विरासत: उनकी शिक्षाएँ सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निहित हैं।

गुरु नानक देव की शिक्षाएँ:

- **ईश्वर और मानवता की एकता:**
  - गुरु नानक देव ने एक ओंकार सतनाम की अवधारणा पर जोर दिया - "एक निर्माता, एक सत्य है।"
  - उनका मानना था कि ईश्वर सभी में निवास करता है और सभी मनुष्य समान हैं, चाहे उनकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग कुछ भी हो।

समानता और भाईचारा:

- गुरु नानक ने जातिविहीन और समतावादी समाज की वकालत की। उन्होंने इस तरह की प्रथाएँ शुरू कीं:
- लंगर: सामुदायिक रसोई जिसमें मुफ़्त भोजन दिया जाता है, जो समानता का प्रतीक है।
- पंगत: जाति या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना एक साथ भोजन करना।
- संगत: सामूहिक पूजा और निर्णय लेना।
- **ईमानदारी से जीना और कड़ी मेहनत (किरत करनी):**
  - उन्होंने अपने अनुयायियों से नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए शारीरिक या मानसिक श्रम के माध्यम से ईमानदारी से आजीविका कमाने का आग्रह किया।
- **साझा करना और सामुदायिक सेवा (वंड चकना):**
  - गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को अपनी कमाई और संसाधनों को ज़रूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
  - उन्होंने सामुदायिक कल्याण का समर्थन करने और कम भाग्यशाली लोगों के उत्थान के लिए दसवंध (अपनी आय का दसवां हिस्सा दान करना) को संस्थागत बनाया।
- ज़िम्मेदारी के साथ आध्यात्मिकता (नाम जपना):
  - उन्होंने सांसारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए ईश्वर से जुड़े रहने के तरीके के रूप में नाम जपना - भगवान के नाम का ध्यान करना - पर ज़ोर दिया।
  - गुरु नानक ने सिखाया कि आध्यात्मिकता और सांसारिक कर्तव्य एक साथ चलते हैं और उन्हें अलग-अलग कामों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- **कर्मकांड और अंध विश्वास को अस्वीकार करना:**
  - उन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा और बिना उद्देश्य के तीर्थयात्राओं का विरोध किया।
  - उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति प्रेम, निस्वार्थता और नैतिक जीवन के माध्यम से भीतर से आती है।
- **लैंगिक समानता:**
  - नानक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ईश्वर के सामने पुरुष और महिला समान हैं। उन्होंने कहा, "जो राजाओं को जन्म देती है, उसे हीन क्यों कहें?"
  - उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करके उनकी स्थिति को ऊपर उठाया।
- **सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय सद्भाव:**
  - गुरु नानक ने दुनिया को ईश्वर की रचना के रूप में देखा और लोगों को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
  - उन्होंने शोषण और उत्पीड़न की आलोचना की, न्याय और सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत की।
- **गुरु नानक देव की शिक्षाओं की प्रासंगिकता**
  - सामाजिक समानता: समतावाद के उनके सिद्धांत जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को प्रेरित कर सकते हैं।
  - न्याय और साझा करना: ईमानदारी से काम करने और संसाधनों को साझा करने के माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज बनाने को प्रोत्साहित करता है।
  - पर्यावरणीय सद्भाव: सृष्टि की एकता में उनका विश्वास आधुनिक पर्यावरणीय नैतिकता के साथ संरेखित है।
  - शांति और सहिष्णुता: सार्वभौमिक भाईचारे पर उनकी शिक्षाएं विविधतापूर्ण दुनिया में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं।
  - महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के प्रति उनका सम्मान समकालीन समाज में लैंगिक समानता के महत्व को उजागर करता है।

- निष्कर्ष: गुरु नानक देव की शिक्षाएँ समय से परे हैं, समानता, करुणा और जिम्मेदारी के बारे में शिक्षा देती हैं। सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज का उनका दृष्टिकोण आधुनिक सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है।

तुमैनी महोत्सव

संदर्भ:

तुमैनी महोत्सव, मलावी के दजालेका शरणार्थी शिविर में 2014 से आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो संगीत, कला और शिल्प के माध्यम से शरणार्थियों के लचीलेपन और संस्कृति का जश्न मनाता है।

टुमैनी फेस्टिवल के बारे में:

- स्थापना: 2014, कांगो के कवि मेनेस ला प्लूम द्वारा।
- उद्देश्य: सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक अनूठा मंच बनाना, संगीत, कला और शिल्प के माध्यम से लचीलापन प्रदर्शित करना।
- आगंतुक: मलावी और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे सहित आस-पास के देशों से हज़ारों लोग।
- महत्व: शरणार्थी अनुभव को मानवीय बनाकर संबंध बनाता है और रूढ़ियों को तोड़ता है, जिससे लोगों को साझा अनुभव साझा करने और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने का मौका मिलता है।
- 2024 का कार्यक्रम: शिविर के युवाओं द्वारा आयोजित, जिनमें से कई शिविर में पैदा हुए थे, जो स्थानीय गौरव और स्वामित्व को दर्शाता है।

दज़ालेका शरणार्थी शिविर के बारे में:

- स्थान: मलावी के लिलोंग्वे के पास, मूल रूप से एक पूर्व जेल स्थल पर स्थापित किया गया था।
- स्थापना: 1994, क्षेत्रीय संघर्षों के बाद, विशेष रूप से अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में।
- क्षमता: मूल रूप से 10,000 शरणार्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब 60,000 से अधिक लोग रह रहे हैं।
- जनसंख्या: मुख्य रूप से डीआरसी, रवांडा, बुरुंडी, इथियोपिया और सोमालिया से।
- भूमिका: यह शिविर मानवीय प्रयासों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपने निवासियों का उत्थान और सशक्तिकरण करना है।

2 राजव्यवस्था

भारतीय संविधान के 75 वर्ष

पाठ्यक्रम: राजनीति

संदर्भ:

26 नवंबर, 2024 को भारत अपने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। यह क्षण संविधान सभा द्वारा किए गए ऐतिहासिक योगदान और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न्याय, समानता और प्रगति की ओर ले जाने वाले स्थायी ढांचे की याद दिलाता है।

भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि:

- भारत सरकार अधिनियम, 1935: एक बुनियादी संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण को कायम रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।
- कैबिनेट मिशन योजना, 1946: कांग्रेस, मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया।

संविधान सभा:

- पहला सत्र: 9 दिसंबर, 1946।
- राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने मसौदा समिति का नेतृत्व किया।
- 1949 में 243 अनुच्छेदों और 13 अनुसूचियों के साथ मसौदा तैयार किया गया।
- एन. राऊ (संवैधानिक सलाहकार) और एस. एन. मुखर्जी (मुख्य मसौदाकार) जैसे विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

भारतीय संविधान की रूपरेखा:

- संसदीय प्रणाली: भारत की परंपराओं के साथ संरेखित है और सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है।
- संघीय संरचना: केंद्र और राज्य की शक्तियों को संतुलित करती है, जिससे संघ को अधिक अधिकार मिलते हैं।
- व्यापक डिजाइन: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं का विवरण।
- मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत:
- मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) सामाजिक-आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखते हैं।

75 वर्षों में भारत के संविधान की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **लोकतांत्रिक आधार:**
  - एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की।
  - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच जाँच और संतुलन सुनिश्चित करता है।
- **अधिकारों की सुरक्षा:**
  - मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।
  - केशवानंद भारती (1973) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों को सक्षम बनाता है, जो मूल संरचना सिद्धांत को कायम रखते हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन:**
  - हाशिए के समुदायों के लिए आरक्षण नीतियों सहित सकारात्मक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाया।
  - स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण और लोकसभा और विधानसभाओं के लिए हाल ही में कानून बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाया।
- **आर्थिक सुधार:**
  - संवैधानिक ढांचे के तहत एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) सुधारों को सक्षम बनाया।
  - संवैधानिक सिद्धांतों के साथ विकास को संतुलित करने वाली नीतियों को प्रोत्साहित किया।
- **नागरिक जिम्मेदारी:**
  - डिजिटल इंडिया और पर्यावरण सुरक्षा जैसे आंदोलनों के माध्यम से नागरिक साक्षरता और जिम्मेदारियों को मजबूत किया।
- **स्वतंत्र संस्थाएँ:**
  - सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और CAG जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता को बनाए रखा।

संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा:

- **प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट:**
  - विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 159वें स्थान पर।

- बढ़ती सेंसरशिप और असहमति को डराना।
- **व्यक्तिगत अधिकारों का हनन:**
  - UAPA और राजद्रोह कानून जैसे कानूनों का कथित दुरुपयोग।
  - स्टेन स्वामी और उमर खालिद जैसे मामले अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हैं।
- **कमजोर संसदीय बहस:**
  - बहस और चर्चा में गिरावट; 2023 का बजट बिना चर्चा के पारित हो गया।
- **राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार:**
  - 2024 की लोकसभा में 46% से अधिक सांसदों पर आपराधिक मामले हैं।
- **कॉर्पोरेट-संचालित नीतियाँ:**
  - नीतियों में नागरिकों के अधिकारों पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने के आरोप, जैसे श्रम सुधार और पर्यावरण मंजूरी।

आगे की राह:

- राज्य की शक्ति को सीमित करें: अतिक्रमण को रोकने के लिए संस्थागत जाँच को मजबूत करें।
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाएँ: लोकतंत्र को चुनावों से परे जवाबदेही और मुक्त भाषण पर जोर देना चाहिए।
- निर्देशक सिद्धांतों को बनाए रखें: नीतियों को DPSP में उल्लिखित सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना चाहिए।
- न्यायिक स्वतंत्रता: संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वायत्तता की रक्षा करें।
- संसदीय सुधार: संसद में बहस, चर्चा और निगरानी तंत्र को पुनर्जीवित करें।
- नागरिक जुड़ाव: शासन में संवैधानिक साक्षरता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष:

भारत का संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय का प्रतीक बना हुआ है। उभरती चुनौतियों का समाधान करके, संस्थानों की सुरक्षा करके और समावेशिता को बढ़ावा देकर, राष्ट्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि संविधान आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी प्रगति का मार्गदर्शन करता रहे।

संविधान सभा में महिलाएँ

संदर्भ:

भारतीय संविधान, शासन के लिए एक स्मारकीय ढाँचा, संविधान सभा के 299 सदस्यों के योगदान से आकार लिया गया था, जिसमें विविध पृष्ठभूमि की 15 उल्लेखनीय महिलाएँ शामिल थीं।

संविधान सभा में महिलाओं के बारे में:

अम्मू स्वामीनाथन (1894-1978)

- पृष्ठभूमि: केरल के पलक्कड़ से आईं; सुब्बाराम स्वामीनाथन से शादी की।
- योगदान: लैंगिक समानता की वकालत की और पुरुष-प्रधान उपहास के बावजूद हिंदू कोड बिल पर बात की।

एनी मैस्करेन (1902-1963)

- पृष्ठभूमि: त्रावणकोर में लैटिन ईसाई परिवार में जन्मी; शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें कानून की ओर अग्रसर किया।
- योगदान: स्थानीय सरकार की स्वायत्तता को बढ़ावा देते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक मजबूत केंद्र की वकालत की।

बेगम कुदसिया ऐज़ाज़ रसूल (1909-2001)

- पृष्ठभूमि: पंजाब के एक शाही परिवार से; शादी के बाद पर्दा प्रथा का विरोध किया।
- योगदान: धर्म के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया और मुस्लिम उत्थान और भारतीय राष्ट्रवाद पर बहस की।
- स्वतंत्रता के बाद: राज्यसभा के लिए चुनी गई; महिला हॉकी को बढ़ावा दिया।

दक्षायनी वेलायुधन (1912-1978)

- पृष्ठभूमि: विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला; पुलया समुदाय।
- योगदान: राष्ट्रवाद और समानता पर जोर देते हुए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया।

रेणुका रे (1904-1997)

- पृष्ठभूमि: अब बांग्लादेश के पबना में जन्मी; गांधी से मिलने के बाद एलएसई में पढ़ाई की।
- योगदान: हिंदू कोड बिल, महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार की वकालत की और विकास में बाधा के रूप में महिला आरक्षण का विरोध किया।

प्रस्तावना

पाठ्यक्रम: राजनीति

संदर्भ:

सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मामला और उसका निर्णय:

- **मामले के नाम:**
  1. डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ
  2. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ
  3. अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ

निर्णय की मुख्य बातें:

- सर्वोच्च न्यायालय ने "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा, तथा संविधान के मूल ढांचे के साथ उनकी संगति की पुष्टि की, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में स्थापित किया गया था।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद की संशोधन शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना तक विस्तारित है।
- इसने 42वें संशोधन के 44 साल बाद याचिकाओं को दोषपूर्ण और वैध कारण की कमी के रूप में खारिज कर दिया।

प्रस्तावना संशोधन:

- सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया था।
- इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान 1976 में पारित किया गया।
- इस संशोधन ने संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द पेश किए, जबकि राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में अपडेट किया गया।
- जबकि 44वें संशोधन (1978) ने आपातकाल-युग के कई बदलावों को उलट दिया, इसने इन शब्दों को बरकरार रखा।

"समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" का अर्थ:

- समाजवादी: आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, असमानताओं को कम करने और निजी उद्यम को खत्म किए बिना सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले कल्याणकारी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।
- धर्मनिरपेक्ष: बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता बनाए रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

समावेश के पीछे कारण:

1. संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना: संविधान के ढांचे में पहले से ही अंतर्निहित सिद्धांतों (जैसे, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत) पर जोर देना।
2. आपातकालीन-युग की आलोचना को संबोधित करना: राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समावेशिता और समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना।
3. वैश्विक संरेखण: भारत को उन आधुनिक राज्यों के साथ जोड़ना जो लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देते हैं।

सरकार द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम:

- **समाजवादी पहल:**
  - मनरेगा: ग्रामीण रोजगार की गारंटी।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): सभी के लिए खाद्य सुरक्षा।
  - शिक्षा का अधिकार (RTE): निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना।
  - आवास योजना: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास।
- धर्मनिरपेक्ष पहल:
  - अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम: अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति और कौशल विकास।
  - पूजा स्थल अधिनियम, 1991: स्थलों के धार्मिक चरित्र की रक्षा करना।
  - सांप्रदायिक हिंसा के लिए विशेष न्यायालय: न्याय और सद्भाव सुनिश्चित करना।
  - संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 25-28 के तहत समान धार्मिक अधिकार।

सीमाएँ और चुनौतियाँ:

- धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग: चुनावी लाभ के लिए इस शब्द का राजनीतिकरण।
- आर्थिक असमानता: लगातार आय का अंतर समाजवादी लक्ष्यों को चुनौती देता है।
- धार्मिक असहिष्णुता: बढ़ते सांप्रदायिक तनाव धर्मनिरपेक्ष आदर्शों में बाधा डालते हैं।
- कार्यान्वयन के मुद्दे: कल्याण कार्यक्रमों के लिए अक्षम वितरण तंत्र।

प्रस्तावना के बारे में:

- **प्रस्तावना की विशेषताएँ:**
  - संविधान का परिचय: भारतीय संविधान के दर्शन और उद्देश्यों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है।
  - मूल मूल्य: संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

- गारंटीकृत आदर्श: न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना), समानता (स्थिति और अवसर) और बंधुत्व (राष्ट्रीय एकता और गरिमा) सुनिश्चित करता है।
- मार्गदर्शक सिद्धांत: लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाता है, जो संविधान के नैतिक और दार्शनिक सार के रूप में कार्य करता है।

- **प्रस्तावना के घटक:**
  - अधिकार का स्रोत: यह घोषणा करता है कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है।
  - राज्य की प्रकृति: भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र इकाई के रूप में परिभाषित करता है।
  - उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है।
  - अपनाने की तिथि: 26 नवंबर, 1949 को अपनाने की तिथि के रूप में निर्दिष्ट करता है।
- **संविधान के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तावना:**
  - बेरुबारी यूनियन केस (1960): शुरू में फैसला सुनाया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन व्याख्या में सहायता कर सकती है।
  - केशवानंद भारती केस (1973): पहले के विचार को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया और इसके प्रावधानों की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
  - एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995): संविधान के हिस्से के रूप में प्रस्तावना की स्थिति की पुष्टि की गई, हालांकि इसे अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष:

प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" को शामिल करना न्याय, समानता और समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, ये सिद्धांत भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन को मजबूत करना संविधान के दृष्टिकोण को बनाए रखेगा।

एक राष्ट्र एक सदस्यता

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता (ONOS) योजना को मंजूरी दी है।

- यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो भारत में एक मजबूत अनुसंधान और विकास संस्कृति को बढ़ावा देती है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) के बारे में:

- मंत्रालय: उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय।
- केंद्रीय क्षेत्र योजना: 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित।
- उद्देश्य: सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) और केंद्र सरकार के R&D संस्थानों को शीर्ष-गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करना।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों और लगभग 13,000 ई-पत्रिकाओं का कवरेज।
  - 6,300 सरकारी HEI और R&D संस्थानों के लिए पहुँच, जिससे 8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे।
  - UGC के तहत INFLIBNET द्वारा समन्वित पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया।
  - अंतःविषयक और मुख्य शोध को बढ़ावा देता है, खास तौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में।
  - एनईपी 2020 के साथ संरेखित और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) द्वारा समर्थित।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

पाठ्यक्रम: राजनीति

संदर्भ:

नई दिल्ली में चौथे लेखापरीक्षा दिवस कार्यक्रम के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में:

मूल बातें:

- स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय: अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित, CAG सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- सार्वजनिक खजाने का संरक्षक: केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की देखरेख करता है।

- **नियुक्ति और कार्यकाल:**
  - राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - छह साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
  - वेतन और सेवा शर्तें: संसद द्वारा निर्धारित और भारत के समेकित कोष पर भारित।
  - आगे के पद के लिए अयोग्यता: सेवानिवृत्ति के बाद, CAG केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन पद पर नहीं रह सकते।

संबंधित अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 149: संसद CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करती है।
- अनुच्छेद 150: CAG की सलाह पर संघ और राज्य खातों का प्रारूप निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 151: CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है और संसद के समक्ष रखी जाती है।
- अनुच्छेद 279: करों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है, जो सरकार के लिए बाध्यकारी है।

CAG की शक्तियाँ और कर्तव्य:

- वित्तीय लेन-देन का ऑडिट: भारत और राज्यों के समेकित, आकस्मिक और सार्वजनिक खातों से व्यय का ऑडिट करता है। सरकार की प्राप्तियों, ऋणों और प्रेषणों की भी जाँच करता है।
- राजस्व की जांच: राजस्व आकलन, संग्रह और आवंटन के लिए प्रभावी नियम सुनिश्चित करता है।
- स्थानीय निकायों का ऑडिट: अनुरोध पर स्थानीय प्राधिकरणों और सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों के लेन-देन का ऑडिट करता है।
- खातों का निर्माण: संघ और राज्य खातों को बनाए रखने के प्रारूप पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- विधानमंडलों को रिपोर्ट करना: विधायी जांच के लिए राष्ट्रपति (केंद्र) और राज्यपालों (राज्यों) को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- लोक लेखा समिति की भूमिका: पीएसी के लिए एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में कार्य करता है, सरकारी व्यय की जांच करने में सहायता करता है।

चुनौतियाँ और मुद्दे:

- सीमित शक्तियाँ: समय पर जानकारी के लिए अनुपालन लागू नहीं कर सकते।
- कार्यक्षेत्र में अस्पष्टता: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट पर स्पष्टता की कमी।
- गुप्त सेवा व्यय: ऐसे व्यय का ऑडिट नहीं किया जा सकता; प्रशासनिक प्रमाणपत्रों पर निर्भर करता है।
- रिपोर्टिंग में देरी: हाल के वर्षों में CAG रिपोर्ट में उल्लेखनीय कमी आई है।
- हितों का टकराव: नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका द्वारा प्रभावित होती है, जिससे पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ बढ़ती हैं।
- एकल-सदस्यीय संरचना: बेहतर निर्णय लेने के लिए CAG को बहु-सदस्यीय निकाय में बदलने पर बहस।

सुधार के लिए सिफारिशें

- लेखापरीक्षा के दायरे का विस्तार करें: PPP, पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी वित्तपोषित समितियों को शामिल करें।
- नियुक्ति प्रक्रिया को मजबूत करें: CAG चयन के लिए कॉलेजियम-शैली तंत्र बनाएँ।
- शक्तियाँ बढ़ाएँ: गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक उपायों को शामिल करने के लिए 1971 के CAG अधिनियम में संशोधन करें।
- सूचना तक समय पर पहुँच: सात दिनों के भीतर रिकॉर्ड तक पहुँच अनिवार्य करें; अनुचित देरी के लिए दंडित करें।
- पारदर्शिता और स्वतंत्रता: चयन और कार्यप्रणाली में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
- क्षमता निर्माण: SDG और माल और सेवा कर (GST) जैसे उभरते क्षेत्रों का ऑडिट करने के लिए CAG को सुसज्जित करें।

निष्कर्ष:

शासन में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CAG अपरिहार्य है। इसकी शक्तियों और परिचालन ढांचे को मजबूत करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे राजकोषीय प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामला

पाठ्यक्रम: राजनीति

संदर्भ:

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पुष्टि की कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रख सकते हैं।

- यह निर्णय संस्थानों में "राष्ट्रीय" और "अल्पसंख्यक" विशेषताओं के सह-अस्तित्व पर बहस को हल करता है।

अल्पसंख्यक संस्थान क्या है?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 30(1): अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
  - अनुच्छेद 28: राज्य निधि द्वारा संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों में इसकी अनुमति देता है।

- **कानूनी प्रावधान:**
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या: धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता देता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामले पर निर्णय:

- **समग्र परिणाम:**
  - राष्ट्रीय और अल्पसंख्यक सह-अस्तित्व: राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी अल्पसंख्यक का दर्जा रख सकते हैं, और ये विशेषताएँ परस्पर अनन्य नहीं हैं।
  - मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 30 (1) के अधिकार प्रविष्टियाँ 63 और 64 के तहत संसदीय घोषणाओं के अधीन नहीं हो सकते।
  - अधिकारों का संरक्षण: संवैधानिक गारंटी को बनाए रखने के लिए संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय के पास ही रहना चाहिए।
- **महत्व:**
  - AMU जैसे संस्थानों की दोहरी पहचान की रक्षा करता है।
  - भारत में अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को मजबूत करता है।

अल्पसंख्यक संस्थानों पर पिछले मामले और फैसले:

- सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992): इस बात की पुष्टि की गई कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी प्रवेश नीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए।
- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002): अल्पसंख्यक स्थिति और प्रशासन में स्वायत्तता की सीमा निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
- प्रमति शैक्षिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014): शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के आरक्षण प्रावधानों से अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दी गई।

अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड:

- स्थापना और प्रशासन: संस्थान को धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया जाना चाहिए।
- उत्पत्ति और उद्देश्य: उद्देश्य मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुँचाना चाहिए।
- प्रशासन: अल्पसंख्यक द्वारा विशेष रूप से प्रबंधित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक हितों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- वित्तपोषण स्रोत: राज्य सहायता या अन्य समुदायों से योगदान से अल्पसंख्यक का दर्जा प्रभावित नहीं होता।
- ऐतिहासिक संदर्भ: संविधान से पहले स्थापित संस्थाएँ अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं।

नोट: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान के अधिकार को निर्धारित करने के लिए मुख्य मानदंडों पर निर्णय में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी।

भारत में अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका:

1. शिक्षा को बढ़ावा देना: अल्पसंख्यक संस्थान वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं।
   उदाहरण के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज (कोलकाता), जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली)।
1. सांस्कृतिक संरक्षण: भाषाई और धार्मिक विविधता को संरक्षित करने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना।
   उदाहरण के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय।
1. समावेशिता को बढ़ावा देना: हाशिए पर पड़े समुदायों को एकीकृत करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना।
   उदाहरण के लिए मदरसे धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते हैं।
1. कौशल विकास: अल्पसंख्यकों को सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कौशल से लैस करना।
   उदाहरण के लिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी (बेंगलुरु) में व्यावसायिक कार्यक्रम।

निष्कर्ष

भारत में अल्पसंख्यक संस्थान शैक्षिक और सामाजिक समानता में योगदान करते हुए सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राष्ट्रीय एकीकरण और अल्पसंख्यक अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन को मजबूत करता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

संदर्भ:

हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी लाइफ़ विसंगतियों के बारे में चिंता जताई, सवाल किया कि मतदान के बाद कुछ ईवीएम में 99% चार्ज क्यों दिखा

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बारे में:

- उद्देश्य: संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए पोर्टेबल डिवाइस, जो पारंपरिक पेपर बैलेट की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को सक्षम बनाता है।

- **मुख्य विशेषताएं:**
  - मतदान क्षमता: कुशल चुनाव संचालन के लिए 2,000 वोट तक रिकॉर्ड करता है।
  - सुरक्षित भंडारण: एन्क्रिप्टेड मेमोरी वोटों की गोपनीयता सुनिश्चित करती है।
  - बैकअप पावर: क्षारीय बैटरी बिजली के बिना दूरदराज के क्षेत्रों में उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं।
  - बहुभाषी विकल्प: मतदाता की पहुँच के लिए कई भाषाओं का समर्थन करता है।
  - ऑडिट ट्रेल (VVPAT): मतदाता ऑडिट उद्देश्यों के लिए पेपर ट्रेल के साथ अपने वोटों को सत्यापित कर सकते हैं।
  - विकास: चुनाव आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा डिज़ाइन किया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित, दोनों भारतीय सार्वजनिक उपक्रम।

EVM बैटरी के बारे में:

- बैटरी का प्रकार: ईवीएम और VVPAT गैर-रिचार्जेबल क्षारीय बैटरी का उपयोग करते हैं, जिन्हें विश्वसनीयता और पाँच साल की शेल्फ लाइफ के लिए चुना जाता है।
- वोल्टेज डिस्प्ले: 99% संकेतक सटीक चार्ज के बजाय वोल्टेज रेंज (8.2V से 7.4V) को दर्शाता है। वास्तविक प्रतिशत केवल 7.4V से नीचे दिखाई देता है।
- चयन तर्क: क्षारीय बैटरी को अत्यधिक तापमान और क्रमिक बिजली की गिरावट में उनके स्थिर प्रदर्शन के लिए चुना गया था, जो निर्बाध कार्य सुनिश्चित करता है।
- बिजली का उपयोग: ईवीएम न्यूनतम बिजली की खपत करते हैं, मोबाइल फोन के विपरीत, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट रहते हैं, जो बैटरी की लंबी उम्र सुनिश्चित करता है।

अवैध रेत खनन

संदर्भ:

असम और मेघालय के ग्रामीण, खास तौर पर अंतर-राज्यीय सीमा विवाद वाले इलाकों में, अवैध रेत खनन के खिलाफ एकजुट हुए हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और सड़क के बुनियादी ढांचे को खतरे में डालता है।

खबरों में नदियों के बारे में:

  - कोलोंग नदी (असम)
  - स्थान: मोरीगांव जिला, असम
  - जुड़ती है: ब्रह्मपुत्र नदी
  - महत्व: कोलोंग ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है और मोरीगांव में रेत खनन गतिविधियों से प्रभावित होती है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और सड़क की स्थिति प्रभावित होती है।
- **दुधनोई (मांडा) नदी (मेघालय-असम सीमा)**
  - स्थान: असम-मेघालय सीमा पर, खास तौर पर नोकमाकुंडी और आसपास के गांवों के पास
  - जुड़ती है: अंततः ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है
  - महत्व: यह उत्तरी गारो हिल्स क्षेत्र में अवैध रेत खनन का एक प्राथमिक स्थल है, जिससे कटाव होता है और खेती के लिए पानी की कमी होती है।
- **कुलसी नदी (असम)**
  - स्थान: कामरूप जिला, असम
  - जुड़ती है: ब्रह्मपुत्र नदी में बहती है
  - महत्व: कुलसी लुप्तप्राय गंगा डॉल्फ़िन का निवास स्थान है, जहाँ अवैध रेत खनन से निवास स्थान का नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान हो रहा है।
- **मोराकोलोही नदी (असम)**
  - स्थान: चमारिया क्षेत्र, पुथिमारी गाँव के पास, कामरूप जिला, असम
  - जुड़ती है: ब्रह्मपुत्र प्रणाली में मिलती है
  - महत्व: पंप मोटरों का उपयोग करके उच्च गति वाली रेत निकासी के लिए एक हॉटस्पॉट, जो नदी की स्थिरता को प्रभावित करता है और जलीय प्रजातियों को खतरे में डालता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

पाठ्यक्रम: शासन

संदर्भ:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश भारत, 2014 से 2023 तक CSR के माध्यम से ₹1.84 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कर चुका है। कृषि में लगभग आधे कार्यबल कार्यरत हैं और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 16.73% है, इसलिए कृषि स्थिरता के लिए CSR निधियों को निर्देशित करने में रुचि बढ़ रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में:

- परिभाषा: CSR में सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक विकास पर केंद्रित कॉर्पोरेट पहल शामिल हैं, जो कंपनियों को समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम बनाती हैं।
- **भारत में CSR ढांचा:**
  - कानूनी आधार: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII और कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 द्वारा शासित, जो CSR गतिविधियों के लिए पात्रता मानदंड, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को रेखांकित करते हैं।
  - सीएसआर के लिए मानदंड: निम्नलिखित में से किसी एक को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य:
  - ₹500 करोड़ या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति,
  - ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक कारोबार,
  - ₹5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ।
  - ऐसी कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के लिए आवंटित करना आवश्यक है।
  - दंडात्मक प्रावधान: यदि कोई कंपनी सीएसआर दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे ₹50,000 से ₹25 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों को कारावास (तीन साल तक), ₹50,000-₹5 लाख के बीच जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
- **2019 संशोधन:**
  - 2019 से पहले, अप्रयुक्त सीएसआर फंड को अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ाया जा सकता था।
  - संशोधन के बाद, अप्रयुक्त निधियों को वित्तीय वर्ष के अंत तक एक निर्दिष्ट अनुसूची VII निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और तीन वर्षों के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर, उन्हें सरकार द्वारा निर्दिष्ट निधि में जमा किया जाना चाहिए।

कृषि में CSR योगदान:

- रोजगार महत्व: कृषि भारत के 47% कार्यबल को रोजगार देती है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है।
- आर्थिक भूमिका: सकल घरेलू उत्पाद में 16.73% योगदान करते हुए, कृषि भारत की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के लिए केंद्रीय है।
- स्थिरता पर ध्यान: कॉर्पोरेट अपने सीएसआर फंड के माध्यम से जलवायु कार्रवाई और संसाधन संरक्षण सहित टिकाऊ कृषि प्रथाओं का तेजी से समर्थन कर रहे हैं।
- सीएसआर पहल: कॉर्पोरेट सीएसआर के माध्यम से कृषि का तेजी से समर्थन कर रहे हैं, अनाज बैंक, किसान शिक्षा, टिकाऊ सिंचाई और जल संरक्षण जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

चुनौतियाँ:

- ट्रैकिंग मुद्दे: कृषि से संबंधित सीएसआर प्रयासों के लिए विशिष्ट वर्गीकरण की कमी ट्रैकिंग और निगरानी को जटिल बनाती है।
- क्षेत्र ओवरलैप: कृषि में सीएसआर गतिविधियाँ अक्सर अनुसूची VII में कई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, जिससे कृषि-विशिष्ट रिपोर्टिंग कमजोर हो जाती है।
- अपर्याप्त रिपोर्टिंग फोकस: वर्तमान सीएसआर रिपोर्ट में कृषि पर समर्पित ध्यान का अभाव है, जिससे कृषि स्थिरता पर प्रभाव का सटीक आकलन सीमित हो जाता है।
- अनुसूची VII में अस्पष्टता: अनुसूची VII के तहत व्यापक श्रेणियों के परिणामस्वरूप गतिविधियों का मिश्रण होता है, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होती है और कृषि-विशिष्ट सीएसआर योगदान को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने की क्षमता प्रभावित होती है।

आगे की राह:

- कृषि को एक अलग सीएसआर क्षेत्र के रूप में नामित करें: अधिक लक्षित और पारदर्शी वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर दिशानिर्देशों के भीतर कृषि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
- रिपोर्टिंग ढांचे को संशोधित करें: कृषि परियोजनाओं के लिए फंड आवंटन और प्रभाव ट्रैकिंग में सटीकता बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र--आधारित रिपोर्टिंग संरचना में बदलाव करें।
- महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करें: सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर सीएसआर फंड को निर्देशित करने के लिए कृषि में प्रमुख स्थिरता चुनौतियों को पहचानें।
- सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करें: भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए संरक्षण, जल प्रबंधन और कृषि वानिकी जैसे सतत कृषि प्रथाओं को चलाने के लिए सीएसआर का लाभ उठाएं।

निष्कर्ष:

कृषि पर सीएसआर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, भारत को कृषि को एक अलग क्षेत्र के रूप में नामित करके, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर और विशिष्ट स्थिरता चुनौतियों पर धन केंद्रित करके अपने रिपोर्टिंग ढांचे को परिष्कृत करना चाहिए। यह दृष्टिकोण सीएसआर को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ता है, किसानों को बेहतर समर्थन देताहै और टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाता है।

3 भूगोल

चक्रवात के लिए रंग कोडित अलर्ट

संदर्भ:

चक्रवात फेंगल शनिवार दोपहर को पुडुचेरी के पास आने की उम्मीद है, जिससे तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में भारी बारिश और तेज़ हवाएँ चलेंगी।

IMD के रंग कोडित अलर्ट के बारे में:

- हरा (सब ठीक है): कोई गंभीर मौसम नहीं होने का संकेत देता है; कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
- पीला (सावधान रहें): मध्यम रूप से खराब मौसम के कारण संभावित व्यवधानों की चेतावनी देता है; सावधानी बरतने की सलाह देता है।
- नारंगी (तैयार रहें): परिवहन, बिजली और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यवधानों के साथ बेहद खराब मौसम की संभावना को उजागर करता है।
- लाल (कार्रवाई करें): जीवन के लिए जोखिम पैदा करने वाले खतरनाक मौसम की निश्चितता का संकेत देता है, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई और तैयारी की आवश्यकता होती है।

चक्रवात चेतावनी चरण:

- चक्रवात पूर्व निगरानी (72 घंटे): मौसम विज्ञान महानिदेशक द्वारा जारी संभावित चक्रवात की प्रारंभिक चेतावनी।
- चक्रवात चेतावनी (48 घंटे): तूफान के स्थान, दिशा और प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों का विवरण।
- चक्रवात चेतावनी (24 घंटे): इसमें विशिष्ट भूस्खलन विवरण, अपेक्षित तीव्रता और सुरक्षा सलाह शामिल हैं।
- भूस्खलन के बाद का पूर्वानुमान (12 घंटे): तूफान के अंतर्देशीय आंदोलन और संबंधित प्रतिकूल मौसम प्रभावों की भविष्यवाणी करता है।

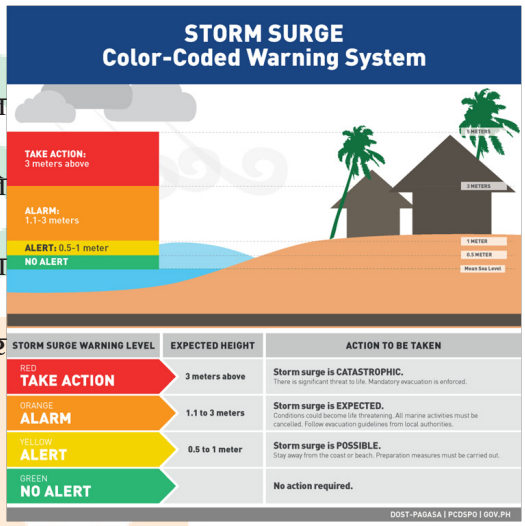

पेन्नैयार नदी

संदर्भ:

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद को संबोधित करते हुए वार्ता समिति से एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

पेरियार नदी के बारे में:

- उद्गम: शिवगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट।
- प्रवाह: पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, वेम्बनाड झील में बहती है और अरब सागर में गिरती है।
- सहायक नदियाँ: मुथिरापुझा, मुल्लायर, चेरुथोनी, पेरिनजानकुट्टी।
- महत्व:
  1. प्रमुख कस्बों और कोच्चि शहर (अलुवा के माध्यम से) के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराता है।
  2. केरल के इडुक्की बांध को बिजली देता है, जिससे महत्वपूर्ण बिजली पैदा होती है।
  3. केरल के 25% उद्योगों को इसके किनारे पर सहायता करता है।
- अनूठी विशेषता: केरल की कुछ बारहमासी नदियों में से एक, जो कृषि, उद्योग और जैव विविधता को बनाए रखती है।

त्रिशूर-पोन्नानी कोले वेटलैंड्स

संदर्भ:

पूर्वी इंपीरियल ईगल (एक्विला हेलियाका), एक दुर्लभ और कमजोर शिकारी पक्षी, हाल ही में केरल के रामसर-संरक्षित क्षेत्र, पुल्लुझी कोले वेटलैंड्स में देखा गया था।

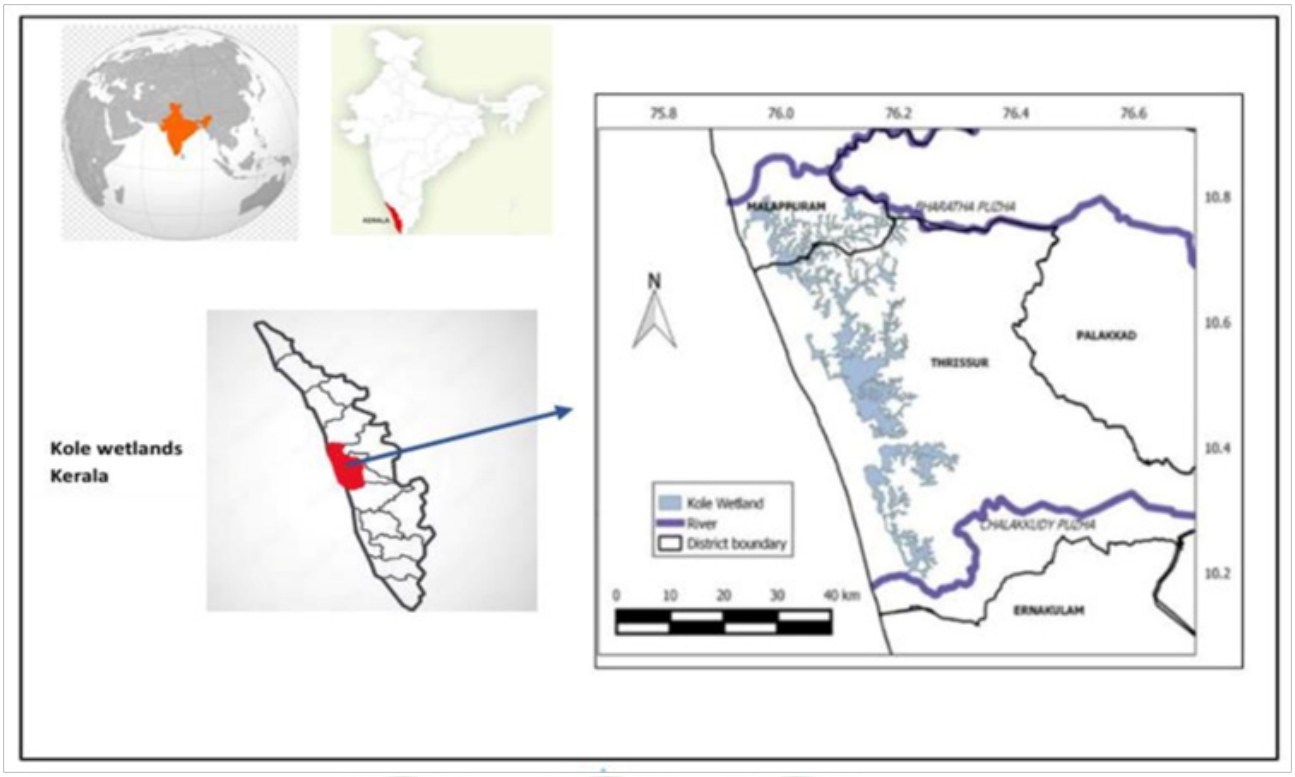

पूर्वी इंपीरियल ईगल के बारे में:

- वैज्ञानिक वर्गीकरण: परिवार एसिपिट्रिडे का सदस्य; उपपरिवार एक्विलिना।
- निवास स्थान: पुराने जंगलों, पहाड़ और नदी के किनारे के जंगलों और घोंसले के लिए अलग-थलग ऊंचे पेड़ों में पाया जाता है।
- रेंज: दक्षिण-पूर्वी यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया में प्रजनन करता है; सर्दियों में पूर्वोत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण/पूर्व एशिया में प्रवास करता है।
- **शारीरिक विशेषताएँ:**
  - 1.76 से 2.2 मीटर के पंखों के फैलाव और 68 से 90 सेमी के बीच की लंबाई वाला बड़ा चील।
  - रिवर्स सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म: मादाएं नर से बड़ी होती हैं।
  - सुनहरा मुकुट और गर्दन, पूंछ का आधार ग्रे, स्कैपुलर पर सफेद "ब्रेसेज"।
  - तेज दृष्टि, शिकार को पकड़ने के लिए घुमावदार पंजे के साथ मजबूत पैर।
  - संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध।

त्रिशूर-पोन्नानी कोले वेटलैंड्स के बारे में:

- स्थान: भारत के केरल में त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में फैला हुआ है।
- क्षेत्र: 13,632 हेक्टेयर (33,690 एकड़) को कवर करता है।

महत्व:

- केरल की चावल की आवश्यकता का 40% प्रदान करता है।
- त्रिशूर शहर, पोन्नानी शहर और आसपास के जिलों के लिए एक प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा, प्रवासी पक्षी प्रजातियों का समर्थन करता है।
- सीमाएँ: चालकुडी नदी (दक्षिण) और भरतप्पुझा नदी (उत्तर) के बीच स्थित है, जो पोन्नानी तालुक तक फैली हुई है।
- हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क: एनामावु नदी, कैनोली नहर, चेट्टुवा नदी से जुड़ता है, और अरब सागर में बहता है।
- मिट्टी की उर्वरता: मानसून के दौरान केचेरी और करुवन्नूर नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध।

यूनेस्को स्थल समाचार में

संदर्भ:

पुरातत्वविदों और शिक्षाविदों सहित सैकड़ों सांस्कृतिक पेशेवरों ने एक महत्वपूर्ण यूनेस्को बैठक से पहले एक याचिका में युद्धग्रस्त लेबनान की विरासत की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से आह्वान किया।

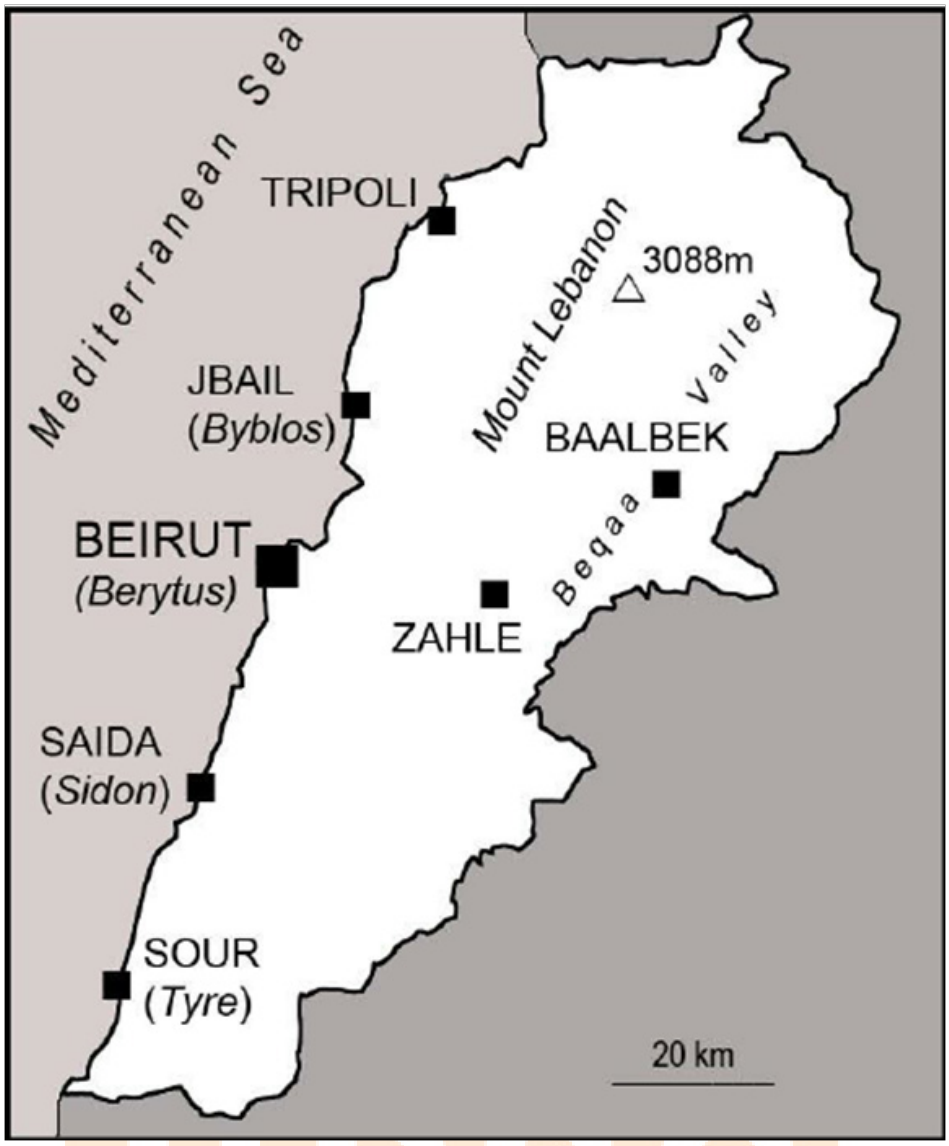

यूनेस्को के समाचार स्थलों के बारे में:

- **बालबेक (लेबनान)**
  - पूर्वी लेबनान में स्थित प्राचीन रोमन खंडहर, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।
- **टायर (लेबनान)**
  - दक्षिणी लेबनान में एक फोनीशियन शहर, जो अपने ऐतिहासिक बंदरगाह और रोमन खंडहरों के लिए जाना जाता है।
- **अंजार (लेबनान)**
  - बेका घाटी में स्थित उमय्यद खंडहरों वाला एक प्रारंभिक इस्लामी शहर।
- **बखमुत (यूक्रेन)**
  - रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इस शहर के ऐतिहासिक स्थलों को खतरा है।
- **लविव (यूक्रेन)**
  - यूनेस्को विश्व धरोहर शहर, जो अपनी मध्ययुगीन और पुनर्जागरण वास्तुकला के लिए जाना जाता है, यूक्रेन-रूस संघर्ष से खतरे में है।

हेग कन्वेंशन, 1954 के बारे में:

- पृष्ठभूमि: सशस्त्र संघर्षों के दौरान सांस्कृतिक विरासत के बड़े पैमाने पर विनाश को देखने के बाद यूनेस्को के तहत अपनाया गया।
- उद्देश्य: स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, कला, पांडुलिपियों और वैज्ञानिक संग्रह जैसी सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा करना।
- दायरा: संभावित खतरों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के साथ-साथ शांति काल में भी लागू होता है।
- प्रतीक: सांस्कृतिक विरासत स्थलों को चिह्नित करने और उनकी पहचान करने के लिए "ब्लू शील्ड" प्रतीक पेश किया गया।
- भारत की भूमिका: भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है और इसके कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

माउंट अन्नपूर्णा

संदर्भ:

अन्नपूर्णा-I के आधार पर स्थित अन्नपूर्णा बेस कैंप (एबीसी) में इस वर्ष के दशैन उत्सव के बाद पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ आमद देखी गई है।

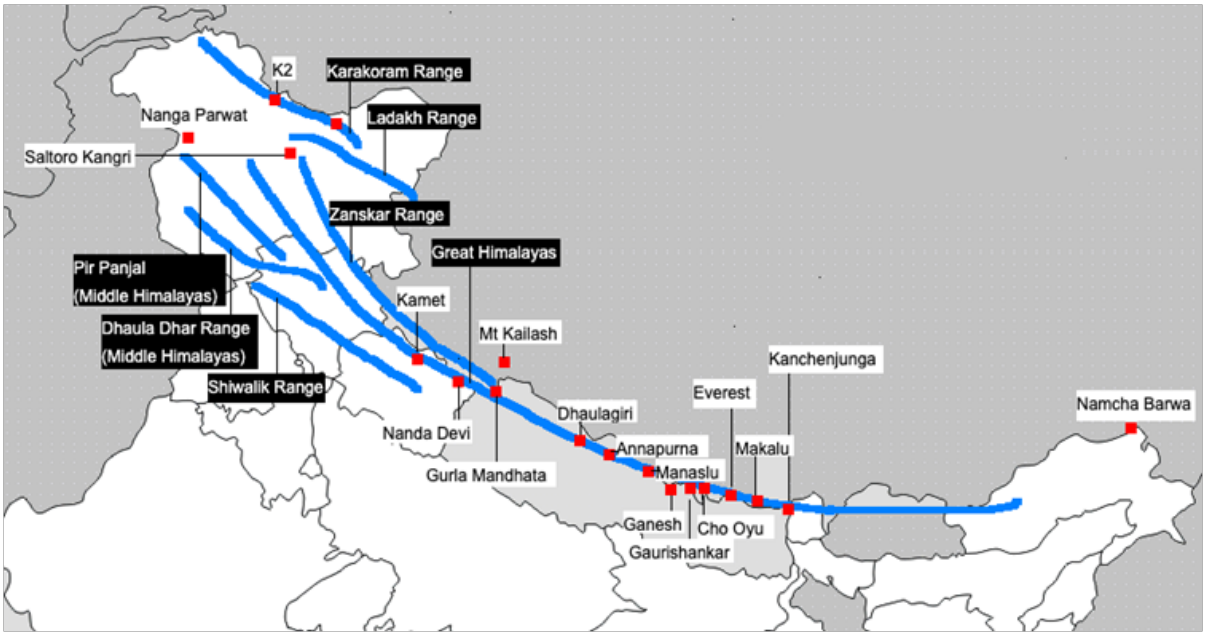

माउंट अन्नपूर्णा के बारे में:

- स्थान: उत्तर-मध्य नेपाल के गंडकी प्रांत के अन्नपूर्णा रेंज में स्थित है।
- ऊँचाई: समुद्र तल से 8,091 मीटर ऊपर पहुँचकर दुनिया की दसवीं सबसे ऊँची चोटी है।
- संरक्षण: अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र के भीतर स्थित, 7,629 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- उपनाम: शिखर पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों के बीच उच्च मृत्यु दर के कारण इसे अक्सर "हत्यारा पर्वत" कहा जाता है।

शहरीकरण

पाठ्यक्रम: शहरीकरण

संदर्भ:

विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में शहरी चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है।

- इस वर्ष का विषय, "युवा जलवायु परिवर्तनकर्ता: शहरी स्थिरता के लिए स्थानीय कार्रवाई को उत्प्रेरित करना", युवा पीढ़ी के नेतृत्व में सतत शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

शहरीकरण की परिभाषा और वर्तमान स्थिति:

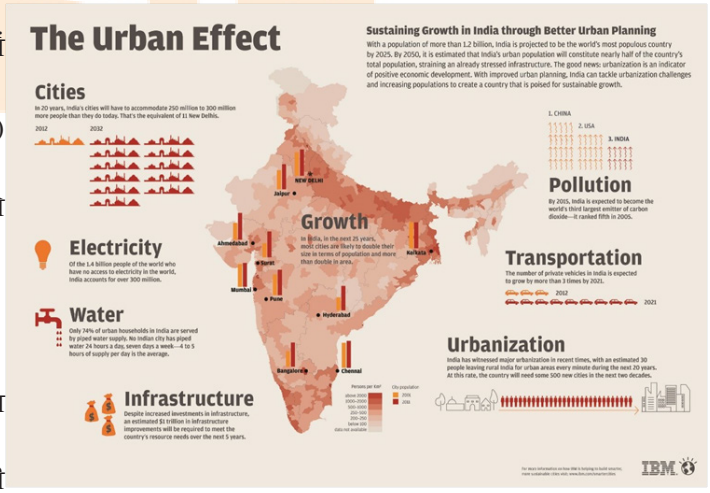

- परिभाषा: शहरीकरण का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि से है, जिससे विस्तार और विकास होता है।
- शहरी जनसंख्या: भारत की लगभग 40% (500 मिलियन) आबादी अब शहरी क्षेत्रों में रहती है (विश्व बैंक, 2023)।
- शहरी विकास दर: 2001 में 27.7% से बढ़कर 2011 में 31.1% हो गई, जिसकी वार्षिक दर 2.76% है (जनगणना 2011)।
- **क्षेत्रीय वितरण:**
  - महाराष्ट्र: 8 मिलियन (शहरी आबादी का 13.5%)।
  - उत्तर प्रदेश: 4 मिलियन।
  - तमिलनाडु: 9 मिलियन (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय)।
  - मध्यम शहरों की ओर बदलाव: रोजगार और जीवनशैली (ADB, 2019) जैसे कारकों के कारण विकास का ध्यान टियर-1 शहरों से मध्यम आकार के शहरों की ओर जा रहा है।
  - वैश्विक संदर्भ: भारत 4.7 बिलियन (57.5%) की वैश्विक शहरी आबादी में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसके 2050 तक दोगुना होने का अनुमान है (संयुक्त राष्ट्र)।
  - आवास की मांग: 18.78 मिलियन शहरी आवास इकाइयों की कमी, जो ज्यादातर निम्न-आय समूहों को प्रभावित करती है (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, 2012-27)।

शहरीकरण के प्रकार:

- प्राकृतिक शहरीकरण: प्राकृतिक जन्म दर के कारण शहरी आबादी में वृद्धि।
- प्रवासन-संचालित शहरीकरण: बेहतर रोजगार के अवसर, सेवाएँ और जीवनशैली की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का आना।

- परिधीय शहरीकरण: शहरों का आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, जिससे पेरी-अर्बन क्षेत्र बनते हैं।
- आर्थिक शहरीकरण: औद्योगीकरण, व्यापार केंद्र और रोजगार के अवसरों द्वारा प्रेरित।

शहरीकरण में चुनौतियाँ:

- पर्यावरण संबंधी मुद्दे: वायु प्रदूषण और शहरी ऊष्मा द्वीप; दुनिया भर में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में हैं (विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, 2023)।
- अपर्याप्त आवास: लगभग 40% शहरी भारतीय झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ अनुमानित आवास की कमी 18.78 मिलियन यूनिट है।
- पानी की कमी: खराब प्रबंधन के कारण बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में बार-बार पानी की समस्या होती है।
- यातायात और गतिशीलता: भीड़भाड़ की लागत बढ़ रही है, बेंगलुरु जैसे शहरों में औसत अधिकतम यातायात गति 18 किमी/घंटा से भी कम है।
- अपशिष्ट प्रबंधन: भारत में सालाना 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 20% का ही उपचार किया जाता है (CPCB)।

सरकारी पहल:

- स्मार्ट सिटी मिशन: टिकाऊ और नागरिक-अनुकूल शहरी बुनियादी ढाँचा विकसित करना।
- अमृत: शहरों में बुनियादी सेवाओं में सुधार, जिसमें जलापूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U): शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने का लक्ष्य।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी: स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम): शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी और आजीविका के अवसर पैदा करना।

आगे की राह:

- पर्यावरण पहल: वर्षा जल का प्रबंधन करने और शहरी बाढ़ को कम करने के लिए "स्पंज सिटी" अवधारणा को अपनाना।
- डिजिटल शहरी नियोजन: डेटा-संचालित शहरी शासन के लिए शहरी डिजिटल जुड़वाँ का कार्यान्वयन।
- स्मार्ट जल प्रबंधन: जल वितरण का कुशलतापूर्वक पता लगाने और प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- शहरी प्रणालियों के लिए साइबर सुरक्षा: साइबर खतरों से महत्वपूर्ण शहरी डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा।

निष्कर्ष:

भारत के शहरीकरण को सतत शहरों के लिए एसडीजी लक्ष्य 11 और नीति आयोग की शहरी परिवर्तन रणनीति के साथ संरेखित करना चाहिए, जिसमें समावेशी विकास, लचीलापन और सतत बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाना चाहिए। बहु-स्तरीय नियोजन और तकनीकी एकीकरण के माध्यम से, भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप शहरी स्थिरता और समावेशिता प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकता है।

डल झील

संदर्भ:

एक ऐतिहासिक घटना में, 150 महिलाओं ने श्रीनगर में डल झील पर पहली बार पारंपरिक शिकारा नाव दौड़ में भाग लिया, जिसमें सामाजिक मानदंडों को तोड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।

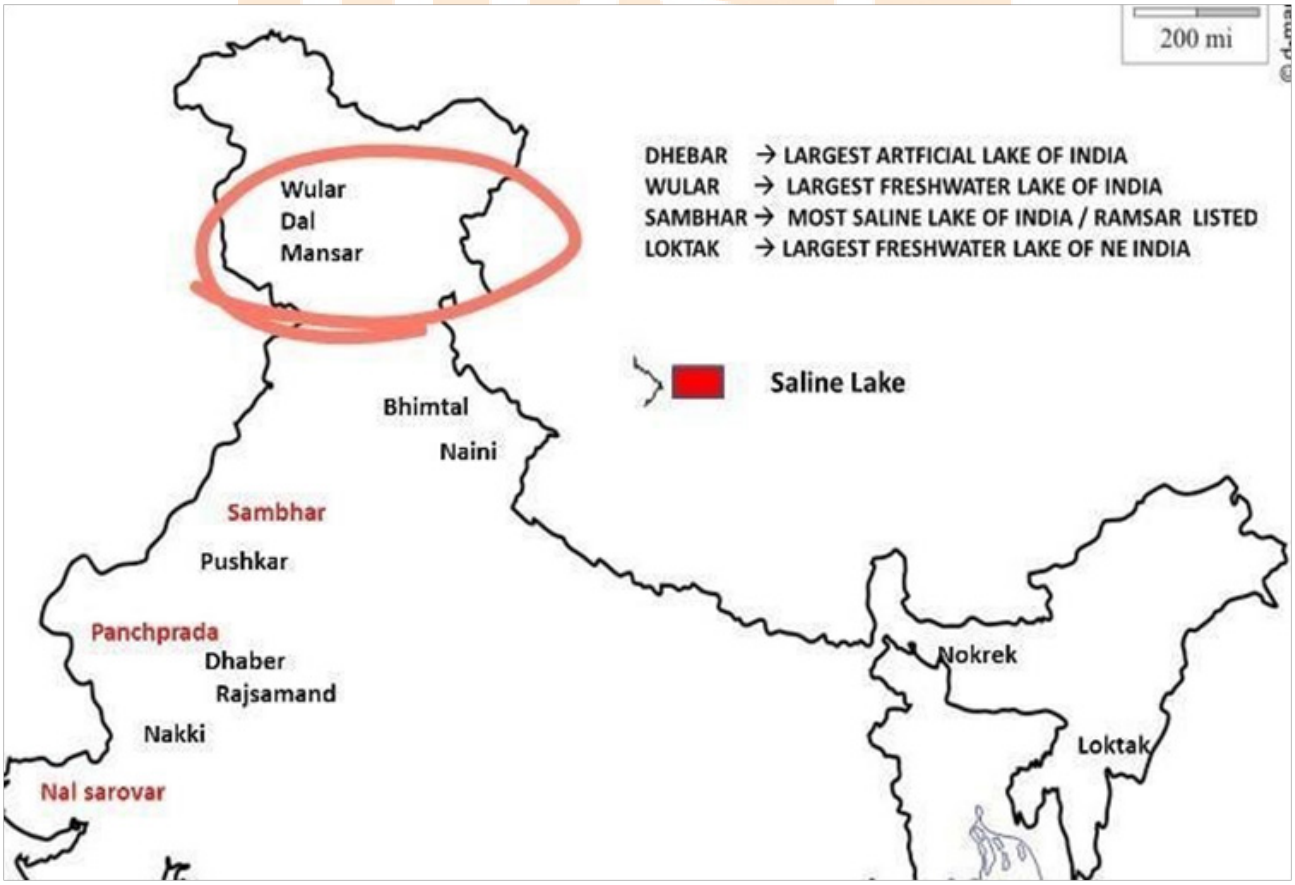

डल झील के बारे में:

- स्थान: श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित, पीर पंजाल पहाड़ों से घिरा हुआ।
- उपनाम: "कश्मीर के मुकुट में गहना" और "श्रीनगर का गहना" के रूप में जाना जाता है।
- आकार और संरचना: झील 18 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो 21.1 वर्ग किलोमीटर की प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है, जिसमें तैरते हुए बगीचे भी शामिल हैं।
- तैरते हुए उद्यान: इन्हें स्थानीय रूप से "राड" कहा जाता है, ये जुलाई और अगस्त के दौरान कमल के फूलों से खिलते हैं।
- बेसिन: चार बेसिनों में विभाजित- गगरीबल, लोकुट डल, बोड डल और नागिन (अक्सर एक अलग झील माना जाता है)।
- तटरेखा: मुगल उद्यान, पार्क, हाउसबोट और बुलेवार्ड के साथ होटलों के साथ 15.5 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- फ्लोटिंग मार्केट: अपने जीवंत फ्लोटिंग मार्केट के लिए जाना जाता है जहाँ विक्रेता लकड़ी के शिकारे से सामान बेचते हैं।
- गहराई: सबसे गहरे बिंदु पर 6 मीटर से लेकर सबसे उथले बिंदु पर 2.5 मीटर तक होती है।
- सर्दियों में जमना: सर्दियों में तापमान -11 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे झील के कुछ हिस्से जम सकते हैं।
- द्वीप: इसमें तीन द्वीप शामिल हैं, जिनमें चार चिनारी (चार चिनार) और सोन लंक (गोल्ड आइलैंड) अपने ऐतिहासिक और दर्शनीय महत्व के लिए उल्लेखनीय हैं।

CCS UPSC

4 पर्यावरण

वायु प्रदूषण संकट

पाठ्यक्रम: पर्यावरण

संदर्भ:

दिल्ली के लगातार वायु प्रदूषण संकट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को उजागर किया है, इस मुद्दे को कम करने के लिए सामूहिक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

वायु प्रदूषण क्या है?

- वायु प्रदूषण हानिकारक पदार्थों, जैसे गैसों, कणों और जैविक अणुओं द्वारा वायुमंडल के संदूषण को संदर्भित करता है, जो मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

प्रदूषण का वर्गीकरण:

- प्राथमिक प्रदूषक: सीधे हवा में उत्सर्जित होते हैं (जैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड)।
- द्वितीयक प्रदूषक: वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं (जैसे, स्मॉग, ग्राउंड-लेवल ओजोन)।

वायु प्रदूषण के स्रोत:

- औद्योगिक उत्सर्जन: ऊर्जा और विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना।
- वाहन उत्सर्जन: ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआँ शहरी वायु प्रदूषण में योगदान देता है।
- घरेलू दहन: खाना पकाने और गर्म करने के लिए लकड़ी, कोयला या बायोमास जलाना।
- कृषि पद्धतियाँ: पराली जलाने और उर्वरक के उपयोग से हानिकारक रसायन निकलते हैं।
- प्राकृतिक स्रोत: धूल भरी आंधी, जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट।

वायु प्रदूषण के प्रभाव:

- **स्वास्थ्य:**
  - श्वसन संबंधी रोग (अस्थमा, ब्रोंकाइटिस)।
  - हृदय संबंधी समस्याएँ और जीवन प्रत्याशा में कमी।
  - संज्ञानात्मक हानि, विशेष रूप से बच्चों में।
- **पर्यावरण:**
  - पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नुकसान।
  - अम्लीय वर्षा मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
  - ग्रीनहाउस गैसों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में योगदान।
- **अर्थव्यवस्था:**
  - स्वास्थ्य सेवा लागत में वृद्धि।
  - कृषि उत्पादकता में कमी।
  - संपत्ति और बुनियादी ढाँचे को नुकसान।
- **सरकारी उपाय:**

1. **विधायी कदम:**
   - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 2024 तक वायु प्रदूषण को 20-30% तक कम करने का लक्ष्य।
   - प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र: वाहनों के लिए अनिवार्य।
2. **तकनीकी हस्तक्षेप:**
   - दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी को अपनाना।
   - इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना।
3. **जागरूकता अभियान:**
   - वृक्षारोपण और वाहनों के उपयोग में कमी जैसे व्यक्तिगत कार्यों को बढ़ावा देना।
4. **बुनियादी ढांचे का विकास:**
   - वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियों की स्थापना।
   - शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टियों का विकास।

बहुराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका:

- साझा समाधान: सीमा पार प्रदूषण के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी साझाकरण: वायु प्रदूषण शमन प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान।
- नीति समन्वय: औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त विनियमन।
- वैश्विक पहल: पेरिस समझौते और जलवायु कार्य योजना जैसे ढाँचों में भागीदारी।

आगे की राह:

- मज़बूत क्रियान्वयन: गैर-अनुपालन के लिए सख़्त नियम और दंड लागू करना।
- सार्वजनिक भागीदारी: कारपूलिंग और अपशिष्ट खाद बनाने जैसी नागरिक-संचालित पहलों को प्रोत्साहित करना।
- संधारणीय अभ्यास: नवीकरणीय ऊर्जा और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रीय सहयोग: पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाएँ विकसित करना।

निष्कर्ष:

वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए सरकारी नीतियों, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग को शामिल करते हुए एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल ठोस प्रयासों के माध्यम से ही हम स्वच्छ वायु और एक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

एशियाई शेर

स्रोत: IE

संदर्भ:

गुजरात में रहने वाली 674 की पूरी आबादी के साथ एशियाई शेर, सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी कारकों द्वारा संचालित मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व के एक अनूठे मॉडल का उदाहरण देते हैं।

एशियाई शेर केवल गुजरात में ही क्यों पाए जाते हैं?

- ऐतिहासिक आवास में कमी: एशियाई शेर, जो कभी मध्य पूर्व से लेकर भारत तक फैले हुए थे, अब शिकार, आवास की कमी और अवैध शिकार के कारण गुजरात के गिर वन तक ही सीमित रह गए हैं।
- कानूनी संरक्षण: गिर राष्ट्रीय उद्यान और आस-पास के क्षेत्र शेरों के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- सांस्कृतिक स्वीकृति: गुजरात के मालधारी चरवाहे सांस्कृतिक संबंधों और वन्यजीव पर्यटन से होने वाली आय के कारण शेरों का सम्मान करते हैं।
- प्रचुर शिकार आधार: संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पुराने पशुधन और सड़े हुए मांस से शेरों का भरण-पोषण होता है।
- स्थानांतरण की कमी: राजनीतिक और तार्किक चुनौतियों के कारण शेरों को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) के बारे में:

- **वितरण:**
  - ऐतिहासिक रूप से दक्षिण-पश्चिम एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला हुआ था।
  - वर्तमान में केवल भारत के गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और आस-पास के क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त
  - CITES: परिशिष्ट I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (भारत): अनुसूची I
- **शारीरिक विशेषताएँ:**
  - अफ्रीकी शेरों से थोड़ा छोटा; नर का वजन 160-190 किलोग्राम, मादा का 110-120 किलोग्राम होता है।
  - नर में पेट के साथ त्वचा की अलग-अलग तह, कम विकसित माने और दिखाई देने वाले कान।
  - फर कुछ रोशनी में चांदी की चमक के साथ गहरे पीले से रेतीले-भूरे रंग में भिन्न होता है।
  - अफ्रीकी शेरों की तुलना में बड़ी पूंछ का गुच्छा और कम फुला हुआ श्रवण बुलै।
- **निवास स्थान और व्यवहार:**
  - शुष्क पर्णपाती जंगलों और सवाना के लिए अनुकूल।
  - हिरण, मृग और पशुधन का शिकार करता है; सड़े हुए मांस को खाता है।
  - सांस्कृतिक सहिष्णुता और संरक्षण उपायों के माध्यम से गुजरात में मनुष्यों के साथ सह-अस्तित्व।

बायोमेडिकल अपशिष्ट

पाठ्यक्रम: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट।

संदर्भ:

एचआईवी महामारी और "सिरिंज टाइड" जैसी घटनाओं ने अनुचित बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान के खतरों को उजागर किया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय सुधारों को बढ़ावा मिला।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. एचआईवी महामारी (1983): ल्यूक मॉन्टैग्नियर और रॉबर्ट गैलो द्वारा एचआईवी की पहचान ने वैश्विक भय और कलंक को जन्म दिया, जिसने चिकित्सा अपशिष्ट के जोखिमों पर जोर दिया।
2. सिरिंज टाइड (1987): अमेरिका में समुद्र तट चिकित्सा अपशिष्ट से प्रदूषित हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया और नियामक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
3. भारत का परिदृश्य: भारत में पहला एचआईवी मामला (1986) और बायोमेडिकल अपशिष्ट कानून की कमी ने अपशिष्ट प्रबंधन में खामियों को उजागर किया।

वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के परिणाम:

संयुक्त राज्य अमेरिका:

1. मेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग एक्ट (1988): अस्पताल के कचरे को खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया, व्यवस्थित हैंडलिंग और निपटान प्रोटोकॉल लागू किए गए।
2. पारदर्शिता और जवाबदेही: अन्य देशों के लिए बेंचमार्क विनियामक ढाँचे।

भारत:

1. न्यायिक हस्तक्षेप: डॉ. बी.एल. वडेहरा बनाम भारत संघ (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अपशिष्ट कुप्रबंधन की आलोचना की, जिससे देशव्यापी कार्रवाई हुई।
2. बायोमेडिकल वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम (1998): बायोमेडिकल कचरे को खतरनाक के रूप में मान्यता देने वाला पहला विनियमन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त बनाना।
3. संशोधन और अद्यतन: 2016 में प्रोटोकॉल को मजबूत किया गया और 2020 में एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नति की गई।

भारत के बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य विशेषताएँ:

1. **अपशिष्ट पृथक्करण और रंग-कोडिंग:**
   - स्रोत पर अपशिष्ट को अलग-अलग श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य किया गया।
   - आसान पहचान और हैंडलिंग के लिए रंग-कोडित कंटेनरों (पीले, लाल, नीले, सफेद) का उपयोग।
2. **उपचार और निपटान प्रौद्योगिकियाँ:**
   - उन्नत अपशिष्ट उपचार विधियों का कार्यान्वयन:
   - भस्मीकरण: संक्रामक और रोग संबंधी अपशिष्ट के लिए।
   - ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग: तीखे और अन्य श्रेणियों के कीटाणुशोधन के लिए।
   - रासायनिक कीटाणुशोधन: रक्त और दूषित तरल पदार्थ जैसे तरल अपशिष्ट के लिए।
   - ग्रामीण और संसाधन-सीमित क्षेत्रों में जहाँ भस्मीकरण संभव नहीं है, वहाँ गहरे दफनाने की पद्धति को अपनाना।
3. **स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा:**
   - खतरनाक अपशिष्ट से निपटने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान।
   - सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
   - संक्रामक अपशिष्ट से निपटने वाले श्रमिकों के लिए हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण।
4. **निगरानी और अनुपालन तंत्र:**
   - अपशिष्ट उत्पादन और निपटान की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त बनाना।
   - स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता।
   - नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण और ऑडिट।
5. **अनिवार्य रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-कीपिंग:**
   - स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को उत्पन्न, उपचारित और निपटाए गए अपशिष्ट का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
   - जवाबदेही बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में बारकोड ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग।
6. **सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ (CBWTF):**
   - छोटी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए साझा सुविधाओं की स्थापना, जिससे व्यक्तिगत सुविधा लागत कम हो।

भारत में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में सीमाएँ:

1. अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की सीमित संख्या, जिसके कारण असुरक्षित निपटान प्रथाएँ होती हैं।
2. कमज़ोर प्रवर्तन और अनुपालन: पृथक्करण और निपटान प्रोटोकॉल का खराब पालन, साथ ही अधिकारियों द्वारा ढीली निगरानी और प्रवर्तन।
3. व्यावसायिक खतरे: अपर्याप्त प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की कमी स्वास्थ्य कर्मियों और अपशिष्ट संचालकों को स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति उजागर करती है।
4. कम सार्वजनिक जागरूकता: बायोमेडिकल कचरे के खतरों के बारे में जनता और अनौपचारिक अपशिष्ट संचालकों के बीच सीमित ज्ञान असुरक्षित हैंडलिंग प्रथाओं को जन्म देता है।
5. सामान्य उपचार सुविधाओं में अक्षमता: सीबीडब्ल्यूटीएफ का असमान वितरण और अधिक बोझ कुछ क्षेत्रों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा डालता है।

आगे की राह:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करें: असुरक्षित निपटान प्रथाओं को कम करने के लिए कम सेवा वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधाएँ (सीबीडब्ल्यूटीएफ) स्थापित करें।
   उदाहरण: कई छोटी स्वास्थ्य सेवा इकाइयों की सेवा करने वाले सीबीडब्ल्यूटीएफ के तमिलनाडु के मॉडल को पूरे देश में दोहराया जा सकता है।
1. निगरानी और जवाबदेही बढ़ाएँ: अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बारकोडिंग और जीपीएस का उपयोग करके वास्तविक समय ट्रैकिंग सिस्टम लागू करें।
   उदाहरण: केरल की एकीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन निगरानी प्रणाली (आईबीएमडब्ल्यूएमएस) प्रभावी रूप से उत्पादन से निपटान तक अपशिष्ट को ट्रैक करती है।
1. क्षमता निर्माण और व्यावसायिक सुरक्षा में सुधार: स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण, पीपीई का अनिवार्य उपयोग, और अपशिष्ट संचालकों के लिए टीकाकरण ताकि जोखिम को कम किया जा सके।
   उदाहरण: मुंबई के नगरपालिका अस्पताल अपने बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रोटोकॉल में सुरक्षा प्रशिक्षण और पीपीई प्रावधान को शामिल करते हैं।
1. क्षमता निर्माण और व्यावसायिक सुरक्षा में सुधार: स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण, पीपीई का अनिवार्य उपयोग, तथा अपशिष्ट प्रबंधनकर्ताओं के लिए टीकाकरण, ताकि जोखिम को कम किया जा सके।
   उदाहरण: एम्स, नई दिल्ली, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत ऑटोक्लेविंग और कीटाणुशोधन विधियों का उपयोग करता है।
1. सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाएँ: बायोमेडिकल कचरे के जोखिमों और उचित निपटान के बारे में जनता और अनौपचारिक कचरा संचालकों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाएँ।
   उदाहरण: स्वच्छ भारत अभियान का विस्तार करके बायोमेडिकल कचरे के बारे में जागरूकता अभियान को शामिल करें, जो स्वच्छता में इसकी सफलता पर आधारित है।

निष्कर्ष:

एचआईवी महामारी और सिरिंज टाइड जैसी घटनाओं ने वैश्विक स्तर पर बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। 1990 के दशक से भारत के विधायी और नीतिगत सुधार निरंतर प्रयास के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता को उजागर करते हैं। जबकि अंतराल बने हुए हैं, प्रगति दीर्घकालिक समाधानों के लिए संकटों का लाभ उठाने की महत्वपूर्णता को दर्शाती है।

माइक्रोप्लास्टिक का खतरा

पाठ्यक्रम: पर्यावरण

संदर्भ:

जैसे-जैसे दुनिया वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रही है, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को कम करना एक ज़रूरी प्राथमिकता बन गई है, जिसके लिए विनियमन, नवीन तकनीकों और वैश्विक सहयोग को शामिल करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं और उनका वर्गीकरण

- परिभाषा: 5 मिमी से कम व्यास वाले प्लास्टिक, विखंडन के माध्यम से या जानबूझकर विशिष्ट उपयोगों के लिए निर्मित।
- **वर्गीकरण:**

1. प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक: व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्मित, जैसे सौंदर्य प्रसाधनों, प्लास्टिक छर्रों और सिंथेटिक फाइबर में माइक्रोबीड्स।
2. द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक: सौर विकिरण, समुद्री तरंगों और यांत्रिक बलों के कारण पानी की बोतलों जैसे बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक के अनुप्रयोग

1. चिकित्सा और दवा: रसायनों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने और छोड़ने की उनकी क्षमता के कारण दवा वितरण प्रणालियों में उपयोग किया जाता है।
2. औद्योगिक: एयर-ब्लास्टिंग तकनीक और सिंथेटिक वस्त्रों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
3. व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद: फेशियल स्क्रब, टूथपेस्ट और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों जैसे एक्सफ़ोलीएटिंग एजेंटों में पाए जाते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव:

1. पर्यावरण पर:
- मिट्टी का क्षरण: मिट्टी की गुणवत्ता को कम करता है, रासायनिक गुणों को बदलता है, और जल प्रतिधारण और पोषक चक्रों को बाधित करता है।
- जलीय प्रदूषण: समुद्री जीवों में जैव संचय होता है और जल निकायों में जहरीले रसायनों के रिसाव में योगदान देता है।

2. जानवरों पर:
- ट्रॉफ़िक ट्रांसफ़र: छोटे जीवों द्वारा खाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पारित हो जाते हैं, जिससे उच्च शिकारियों पर असर पड़ता है।
- प्रजनन और विकास पर प्रभाव: जलीय और स्थलीय प्रजातियों में विकास में रुकावट, प्रजनन क्षमता में कमी और कोशिका क्षति का कारण बनता है।

3. मनुष्यों पर:

- स्वास्थ्य जोखिम: ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन, डीएनए क्षति और चयापचय और प्रजनन में व्यवधान से जुड़ा हुआ है।
- अंग संचय: मस्तिष्क, फेफड़े, प्लेसेंटा और यहां तक कि हृदय के ऊतकों में पाया जाता है, जिससे स्ट्रोक, दिल के दौरे और प्रतिरक्षा विकारों का खतरा बढ़ जाता है।

उठाए गए कदम:

- **वैश्विक स्तर:**
  - UNEA संकल्प: माइक्रोप्लास्टिक सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि के निर्माण को अनिवार्य बनाया गया।
  - न्यूज़ीलैंड माइक्रोबीड प्रतिबंध (2017): माइक्रोबीड्स युक्त उत्पादों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- **भारत स्तर:**
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016, 2018, 2024): प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और कमी के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।
  - एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध: प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक स्ट्रॉ और कटलरी जैसी वस्तुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध।
  - भारत प्लास्टिक संधि: उद्योगों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और रीसाइक्लिंग प्रथाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

माइक्रोप्लास्टिक को कम करने के उपाय:

- अभिनव प्रौद्योगिकियाँ: माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए अपशिष्ट जल उपचार के लिए इलेक्ट्रोकोएग्यूलेशन जैसी उन्नत निस्पंदन प्रणाली विकसित करें।
- उत्पादन को विनियमित करना: माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध लगाएँ और उपभोक्ता उत्पादों में द्वितीयक प्लास्टिक स्रोतों के उपयोग को नियंत्रित करें।
- पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन: कुशल पुनर्चक्रण प्रणालियों को बढ़ावा दें और समग्र प्लास्टिक उत्पादन को कम करें।
- जागरूकता अभियान: उद्योगों और उपभोक्ताओं को माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव के बारे में शिक्षित करें और टिकाऊ विकल्पों को प्रोत्साहित करें।
- मानकीकृत निगरानी: पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक सांद्रता का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए वैश्विक प्रोटोकॉल लागू करें।
- सर्वोत्तम अभ्यास: यूरोपीय संघ का REACH विनियमन (2023) डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन और उर्वरक जैसे उत्पादों में जानबूझकर जोड़े गए माइक्रोप्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाता है, जिसका उद्देश्य उनके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना है।

निष्कर्ष

माइक्रोप्लास्टिक पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों के साथ एक वैश्विक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि वैश्विक प्लास्टिक संधि और राष्ट्रीय नीतियों जैसे प्रयास सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, इस खतरे को कम करने और हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नवाचार, विनियमन और सार्वजनिक जागरूकता को शामिल करने वाला एक सामूहिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024

संदर्भ:

UNEP के ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024, उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उन्हें वैश्विक पर्यावरणीय चर्चाओं के केंद्र में रखता है।

ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस, 2024 के बारे में:

- ग्लोबल पीटलैंड्स पहल के तहत UNEP द्वारा प्रकाशित।

उद्देश्य:

- पीटलैंड की वैश्विक स्थिति के बारे में डेटा और जानकारी प्रदान करना।
- संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए खतरों और अवसरों को उजागर करना।
- सूचित निर्णय लेने के लिए विज्ञान और नीति के बीच की खाई को पाटना।

मुख्य जानकारी:

- जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग पर डेटा को जोड़ने वाले अपडेट किए गए हॉटस्पॉट मानचित्र।
- वैश्विक स्तर पर 488 मिलियन हेक्टेयर पीटलैंड की पहचान की गई है, जिसमें से 12% अत्यधिक क्षीण हैं।
- मानवीय गतिविधियों के कारण पीटलैंड प्रति वर्ष 1,941 मीट्रिक टन CO_2e उत्सर्जित करते हैं।

पीटलैंड के बारे में:

- **पीटलैंड क्या है?**
  - पीटलैंड अद्वितीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनकी विशेषता जलभराव की स्थिति है जो पौधों की सामग्री के अपघटन को धीमा कर देती है, जिससे पीट मिट्टी का निर्माण होता है।
  - इन पारिस्थितिकी तंत्रों में कार्बनिक-समृद्ध मिट्टी (पीट) और सतह पर पनपने वाली आर्द्रभूमि वनस्पति दोनों शामिल हैं।
- **पीटलैंड का वितरण:**
  - लगभग सभी देशों में पाए जाने वाले पीटलैंड पृथ्वी की भूमि की सतह के कम से कम 3% हिस्से को कवर करते हैं।
  - कांगो बेसिन में सबसे बड़ा ज्ञात उष्णकटिबंधीय पीटलैंड है, जिसे 2017 में खोजा गया था।
- **पीटलैंड का महत्व:**
  - कार्बन भंडारण: पीटलैंड दुनिया के सभी जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहीत करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करते हैं।
  - जलवायु विनियमन: वे वायुमंडलीय कार्बन को अलग करके शीतलन प्रभाव प्रदान करते हैं।
  - जल प्रबंधन: जल आपूर्ति को विनियमित और शुद्ध करना, मानव उपभोग और पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना।
  - जैव विविधता: वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं।
  - सांस्कृतिक महत्व: अपनी जलभराव स्थितियों के कारण पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं।
  - आजीविका: पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और संसाधनों के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करें।

पराली जलाने पर नज़र रखना

संदर्भ:

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से एनसीआर की हवा बहुत प्रदूषित होती है। जबकि उपग्रह आग की निगरानी करते हैं, लेकिन डिटेक्शन विंडो के बाहर जलाए जाने वाले किसान ट्रैकिंग विधियों और सरकारी उपायों के बारे में चिंताएँ पैदा करते हैं।

पराली जलाने पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपग्रहों के बारे में:

- **नासा के उपग्रह:**
  - MODIS और VIIRS उपकरणों के साथ एक्वा (2002) और सुओमी-एनपीपी (2011) स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे और सुबह 1:30 बजे ओवरपास के दौरान दृश्यमान और अवरक्त इमेजिंग के माध्यम से आग का पता लगाते हैं।
  - ओजोन मैपिंग और प्रोफाइलर सूट वायु गुणवत्ता पर धुएं के प्रभाव का आकलन करने के लिए एरोसोल के स्तर को मापता है।
- **दक्षिण कोरिया का GEO-KOMPSAT 2A:**
  - एक्वा और सुओमी-एनपीपी द्वारा छूटी हुई आग को पकड़ने के लिए निरंतर भूस्थिर अवलोकन प्रदान करता है।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सेंटिनल II:
  - हर पाँच दिन में जले हुए क्षेत्र का डेटा प्रदान करता है।
- **भारतीय उपग्रह:**
  - INSAT-3DR: आग की गतिविधि को ट्रैक करता है, लेकिन मोटे रिज़ॉल्यूशन के साथ, सटीकता सीमित करता है।
  - रिसोर्ससैट श्रृंखला: LISS-3, LISS-4, और AWiFS सेंसर अलग-अलग स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के साथ आग का पता लगाते हैं।

COP 29 - परिणाम

पाठ्यक्रम: पर्यावरण

संदर्भ:

29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP29) बाकू, अज़रबैजान में संपन्न हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त, अनुकूलन और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

COP29 के परिणाम:

1. **जलवायु वित्त:**

- **नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG):**
  - विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 2035 तक तिगुना करके 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष करना।
  - सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वित्त को 2035 तक 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक बढ़ाना।

2. **कार्बन बाजार (पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6):**
   - कार्बन क्रेडिट के देश-दर-देश व्यापार के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया (अनुच्छेद 6.2)।
   - पर्यावरण और मानवाधिकार सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पेरिस समझौते के क्रेडिटिंग तंत्र (अनुच्छेद 6.4) को क्रियान्वित किया गया।
   - कार्बन बाजारों में भाग लेने के लिए कम विकसित देशों के लिए क्षमता निर्माण का समर्थन किया गया।

3. **पारदर्शिता:**
   - 13 देशों ने संवर्धित पारदर्शिता ढांचे के तहत अपनी द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR) प्रस्तुत की।
   - UNFCCC ने 42 कार्यक्रमों के साथ पारदर्शी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देते हुए #Together4Transparency का आयोजन किया।

4. **अनुकूलन:**
   - राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (एनएपी) में तेजी लाने के लिए बाकू अनुकूलन रोडमैप लॉन्च किया गया।
   - कम विकसित देशों (एलडीसी) में एनएपी कार्यान्वयन के लिए एक सहायता कार्यक्रम स्थापित किया गया।
   - उच्च स्तरीय संवादों ने अनुकूलन के लिए वित्तपोषण और तकनीकी सहायता पर जोर दिया।

5. **स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय:**
   - बाकू कार्ययोजना को अपनाया और स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोग मंच (एलसीआईपीपी) सुविधा कार्य समूह को नवीनीकृत किया।

6. **लिंग और जलवायु परिवर्तन:**
   - लिंग और जलवायु परिवर्तन पर लीमा कार्य कार्यक्रम को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया।
   - सीओपी30 द्वारा विकसित की जाने वाली एक नई लिंग कार्य योजना को अनिवार्य बनाया।

7. **नागरिक समाज और समावेशिता:**

- नागरिक समाज, स्वदेशी लोग, युवा और व्यवसाय सहित 55,000 से अधिक उपस्थित लोग।
- राष्ट्रीय जलवायु नीतियों में सार्वजनिक सहभागिता को एकीकृत करने के लिए जलवायु सशक्तिकरण (ACE) के लिए मजबूत कार्रवाई।

8. **वैश्विक जलवायु कार्रवाई:**
   - वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए माराकेच साझेदारी के तहत वास्तविक दुनिया के समाधान प्रदर्शित किए।
   - गैर-पार्टी हितधारक योगदान पर जोर देते हुए वैश्विक जलवायु कार्रवाई की 2024 वर्ष पुस्तिका का शुभारंभ किया।

9. **वन और REDD+:**
   - यूके ने 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के लिए REDD+ पारदर्शिता और कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए £3 मिलियन देने का वचन दिया।

- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC):**
  - 2025 तक सभी ग्रीनहाउस गैसों और क्षेत्रों को कवर करने वाली मजबूत जलवायु योजनाएं (एनडीसी 3.0) तैयार की जाएंगी।
  - यू.के. और ब्राजील ने अपने अद्यतन एन.डी.सी. में जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

C.O.P.29 में भारत की पहल:

- लचीला बुनियादी ढांचा: आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और एस.आई.डी.एस. अनुकूलन के लिए सी.डी.आर.आई. और आई.आर.आई.एस. पहलों पर प्रकाश डाला।
- औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन: स्वीडन के साथ लीडआईटी सदस्य बैठक की सह-मेजबानी की; हाइड्रोजन-आधारित समाधानों और CO2 कैप्चर को बढ़ावा दिया।
- एस.आई.डी.एस. अनुकूलन वित्त: एस.आई.डी.एस. के लिए वित्त अनलॉकिंग और आपदा-प्रतिरोधी समर्थन की वकालत की।
- सौर ऊर्जा नेतृत्व: आई.एस.ए. के साथ सौर अपनाने को बढ़ावा दिया, जिसका लक्ष्य 2050 तक 20 गुना वृद्धि करना है।
- लिंग-समावेशी कार्रवाई: महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वच्छ ऊर्जा समाधान और लिंग-समावेशी जलवायु नीतियों का प्रदर्शन किया।
- लीडआईटी शिखर सम्मेलन: पेरिस समझौते के तहत भारी उद्योग डीकार्बोनाइजेशन के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

COP29 की सीमाएँ:

- अपर्याप्त वित्त: वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं को "बहुत कम, बहुत दूर की बात" कहा गया, जो तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहीं।
- निजी क्षेत्र पर निर्भरता: गैर-गारंटीकृत निजी योगदान पर भारी निर्भरता।
- अपूर्ण उत्सर्जन लक्ष्य: 1.5°C लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त प्रतिज्ञाएँ, 2023 में वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि के साथ।
- भू-राजनीतिक संघर्ष: CBAM और अनुचित प्रक्रियात्मक प्रथाओं पर विवाद ने अविश्वास को उजागर किया।

आगे की राह:

- वित्त को मजबूत करें: बाध्यकारी, समय पर और अनुदान-आधारित वित्तपोषण तंत्र सुनिश्चित करें।
- सहयोग को बढ़ावा दें: वार्ता निष्पक्षता में सुधार करें और अलग-अलग मंचों पर व्यापार विवादों को संबोधित करें।
- NDCs में तेजी लाएँ: सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का विस्तार करें।
- अनुकूलन पर ध्यान दें: समर्पित संसाधनों के साथ LDCs और SIDS के लिए समर्थन बढ़ाएँ।
- विज्ञान-संचालित कार्रवाई: निर्णयों को वैज्ञानिक आकलन के साथ संरेखित करें और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करें।

निष्कर्ष:

COP29 ने जलवायु वित्त को बढ़ाने, कार्बन बाजारों को चालू करने और अनुकूलन और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। जबकि महत्वपूर्ण प्रगति हुई, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए COP30 और उसके बाद मजबूत वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI), 2025

संदर्भ:

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2025 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI), 2025 के बारे में:

- उत्पत्ति: पहली बार 2005 में प्रकाशित।
- द्वारा प्रकाशित: जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क।
- उद्देश्य: जलवायु शमन प्रयासों की निगरानी और तुलना करना और वैश्विक स्तर पर जलवायु नीतियों में पारदर्शिता बढ़ाना।

उपयोग किए गए संकेतक:

1. जी.एच.जी. उत्सर्जन
2. नवीकरणीय ऊर्जा
3. ऊर्जा उपयोग
4. जलवायु नीति

- **शीर्ष रैंकिंग वाले देश:**
  - किसी भी देश को समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग नहीं मिली।
  - डेनमार्क इस वर्ष के सी.सी.पी.आई. में अपनी 4वीं रैंकिंग रखता है और सर्वेक्षण किए गए सभी देशों में फिर से सर्वोच्च रैंक पर है। (कोई भी देश शीर्ष 3 में नहीं आया)

सी.सी.पी.आई. 2025 में भारत का प्रदर्शन:

  - समग्र रैंक: 10वां, सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों में से।
  - कुल मिलाकर, सर्वेक्षण किए गए 64 सी.सी.पी.आई. देशों (ई.यू. सहित) में से केवल 22 ही सही रास्ते पर हैं, जबकि 42 पिछड़ रहे हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम दो ऐसे देश हैं जो सही रास्ते पर हैं।

- **श्रेणी रेटिंग:**
  - जीएचजी उत्सर्जन: उच्च
  - ऊर्जा उपयोग: उच्च
  - जलवायु नीति: मध्यम
  - नवीकरणीय ऊर्जा: कम
- **ताकत:**
  - तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं में।
  - ऊर्जा दक्षता मानकों और इलेक्ट्रिक वाहन तैनाती की शुरूआत।
  - सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग।
- **चुनौतियाँ:**
  - धीमी चरणबद्ध प्रगति के साथ कोयले पर भारी निर्भरता।
  - जलवायु लक्ष्यों में परिवहन, आवास और पानी जैसे क्षेत्रों का सीमित समावेश।

केन्द्रापसारक प्रक्रिया और यूरेनियम संवर्धन

संदर्भ:

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा निंदा प्रस्ताव के जवाब में उन्नत सेंट्रीफ्यूज लॉन्च करने की योजना की घोषणा की, जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम पर तनाव बढ़ गया।

केन्द्रापसारक प्रक्रिया के बारे में:

- परिभाषा: अपकेंद्रित्र यूरेनियम गैस को उच्च गति पर घुमाते हैं, जिससे विखंडनीय आइसोटोप U-235 की सांद्रता में वृद्धि करके यूरेनियम को समृद्ध किया जा सकता है।
- उपयोग: कम समृद्ध यूरेनियम (LEU) का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के लिए किया जाता है, जबकि अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (HEU) का उपयोग परमाणु हथियारों के लिए किया जा सकता है।
- दक्षता: उन्नत सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को तेजी से समृद्ध करते हैं और पुराने डिजाइनों की तुलना में कम मशीनों की आवश्यकता होती है।
- उत्पत्ति: ईरान का सेंट्रीफ्यूज कार्यक्रम 1980 के दशक में ए.क्यू. खान के प्रसार नेटवर्क से प्राप्त डिजाइनों और घटकों का उपयोग करके शुरू हुआ था।
- अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ: यह प्रक्रिया अपने दोहरे उपयोग की प्रकृति के कारण परमाणु हथियारों के विकास की आशंकाएँ बढ़ाती है।

यूरेनियम संवर्धन के बारे में:

- परिभाषा: संवर्धन यूरेनियम में यू-235 आइसोटोप के अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया है ताकि इसे परमाणु रिएक्टरों या हथियारों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।
- प्राकृतिक यूरेनियम संरचना: इसमें 0.7% यू-235 (विखंडनीय आइसोटोप) और 99.3% यू-238 (गैर-विखंडनीय) होता है।
- उद्देश्य: मानक परमाणु रिएक्टरों (LEU) के लिए U-235 सांद्रता को 0.7% से 3-5% तक या विशेष रिएक्टरों (HALEU) के लिए 20% तक बढ़ाता है।
- विखंडन प्रक्रिया: रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु U-235 परमाणु विखंडन से गुजरता है।
- संवर्धन के तरीके: गैस सेंट्रीफ्यूज और गैसीय प्रसार जैसी आइसोटोप पृथक्करण तकनीकें आमतौर पर उपयोग की जाती हैं।

रणथंभौर टाइगर रिजर्व

संदर्भ:

राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास बाघों और ग्रामीणों के बीच हाल ही में हुआ संघर्ष मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व की चुनौतियों को उजागर करता है।

- भीड़भाड़, आवास ओवरलैप और अपर्याप्त प्रबंधन ने दुखद घटनाओं को जन्म दिया है, जिससे संतुलित संरक्षण रणनीतियों और मानव सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) के बारे में:

- स्थान: राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास अरावली और विंध्य के संगम पर स्थित है।
- क्षेत्र: 1,411 वर्ग किमी में फैला है, जो इसे उत्तरी भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक बनाता है।
- इतिहास: जयपुर के महाराजाओं के पूर्व शाही शिकारगाह; 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व नामित किया गया।
- भूगोल: इसमें खड़ी चट्टानी पहाड़ियाँ, पदम तालाब, राज बाग तालाब, चंबल और बनास नदियाँ और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट शामिल हैं।
- वनस्पति: उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और कांटेदार परिदृश्य जिसमें ढोक के पेड़ और घास के मैदान हैं।
- जीव-जंतु: बंगाल के बाघ, तेंदुए, सुस्त भालू, धारीदार लकड़बग्घा, दलदली मगरमच्छ और 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर।
- पर्यटन महत्व: वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य, जो स्थानीय आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

पेरिस समझौता

संदर्भ:

राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में अर्जेंटीना, दार्शनिक असहमति और अपनी जलवायु रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन का हवाला देते हुए पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार कर रहा है।

पेरिस समझौते के बारे में:

- स्वीकृति: वैश्विक जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए 2015 में 195 देशों द्वारा हस्ताक्षरित।
- लक्ष्य:
  - वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे सीमित करना, इसे पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C ऊपर सीमित करने का प्रयास।
  - जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए देशों की क्षमताओं को बढ़ाना।
  - सुनिश्चित करें कि राष्ट्र हर पाँच साल में अद्यतन और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के लिए प्रतिबद्ध हों।
  - रूपरेखा: गैर-बाध्यकारी लेकिन सहयोगात्मक, साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना।

वापसी प्रक्रिया:

- पात्रता: कोई देश उस पक्ष के लिए संधि के लागू होने के तीन साल बाद (2016 से) वापस ले सकता है।
- अधिसूचना: संयुक्त राष्ट्र के कानूनी मामलों के कार्यालय को लिखित संचार।
- समयरेखा: अधिसूचना प्राप्त होने के एक साल बाद वापसी प्रभावी हो जाती है।
- भागीदारी: जब तक वापसी प्रभावी नहीं हो जाती, तब तक देश संधि से बंधा रहता है।

ग्लोबल वार्मिंग में अर्जेंटीना की स्थिति और योगदान:

- ग्रीनहाउस गैसों का 24वाँ सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक।
- शेल गैस और शेल तेल के महत्वपूर्ण भंडार, जीवाश्म ईंधन निर्यात में योगदान करते हैं।
- पशुधन के माध्यम से मीथेन उत्सर्जन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कृषि उत्पादक।

कैरहान कोयला खदान

संदर्भ:

लगभग 500 खनिकों ने खदान और संबंधित थर्मल पावर प्लांट के निजीकरण का विरोध करते हुए अंकारा, तुर्किये के पास कैरहान कोयला खदान में खुद को बंद कर लिया है।

कैयरहान खदान के बारे में:

- स्थान: अंकारा प्रांत, तुर्किये में अंकारा के बाहरी इलाके में स्थित है।
- कोयले का ग्रेड: लिग्नाइट का उत्पादन करता है, जो मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न-श्रेणी का कोयला है।
- **महत्व:**
  - निकटवर्ती 620 मेगावाट केयरहान कोयला आधारित बिजलीघर को आपूर्ति करता है।
  - तुर्किये के ऊर्जा उत्पादन और स्थानीय रोजगार का अभिन्न अंग।
  - प्रस्तावित विस्तार और अकुशलता और प्रदूषण पर चिंताओं के कारण पर्यावरणीय और आर्थिक जांच का विषय।

अष्टमुडी झील

संदर्भ:

केरल की अष्टमुडी झील, एक रामसर साइट, प्रदूषण और आवास क्षरण से पारिस्थितिक खतरों का सामना कर रही है, हाल ही में शैवाल के खिलने से मछलियों की मौत ने जैव विविधता और स्थानीय आजीविका को खतरे में डाल दिया है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी:

- **मुद्दे:**
  - प्रदूषण: सीवेज डिस्चार्ज, प्लास्टिक डंपिंग और अवैध अपशिष्ट निपटान बड़े पैमाने पर हैं।
  - अतिक्रमण: अवैध निर्माण जल प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं और आवासों को खराब करते हैं।
  - माइक्रोप्लास्टिक: मछली, शंख और तलछट में उच्च स्तर का प्रदूषण पाया गया, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है।
  - जलकुंभी: आक्रामक पौधों के फैलने से मछली पकड़ने की गतिविधियाँ सीमित हो जाती हैं।
- **शैवाल खिलने का प्रभाव:**
  - पोषक तत्वों की अधिकता से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय प्रजातियाँ दम तोड़ देती हैं।
  - स्ट्रेप्टोकोकी और ई. कोली संदूषण गंभीर सीवेज प्रदूषण की ओर इशारा करता है।
  - मछुआरों और पिंजरे के किसानों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है।

अष्टमुडी झील के बारे में:

- स्थान: केरल के कोल्लम जिले में स्थित; इसका नाम इसकी आठ परस्पर जुड़ी भुजाओं ("अष्टमुडी") के कारण पड़ा।
- **महत्व:**
  - केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील।
  - 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित
  - स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत।
  - जल विज्ञान: कल्लदा नदी द्वारा पोषित, नींदकारा मुहाना के माध्यम से अरब सागर से जुड़ती है।
  - ऐतिहासिक महत्व: 14वीं शताब्दी के दौरान एक प्रमुख बंदरगाह शहर; मोरक्को के खोजकर्ता इब्न बतूता के यात्रा अभिलेखों में उल्लेख किया गया है।
  - जैव विविधता: मैंग्रोव प्रजातियों से समृद्ध, जिसमें सिज़ीगियम ट्रावनकोरिकम और कैलामस रोटांग जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं।

पराली जलाने की समस्या को हल करने की तकनीकें

पाठ्यक्रम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वायु प्रदूषण

संदर्भ:

पराली जलाना, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, अक्टूबर और नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण और धुंध में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकारी उपायों के बावजूद, किसानों के सामने आने वाली आर्थिक और परिचालन चुनौतियों के कारण यह प्रथा जारी है।

पराली जलाना

- पराली जलाना फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों को जानबूझकर आग लगाना है, जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है।
- किसान अगले फसल चक्र, खासकर गेहूं की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए एक त्वरित और किफायती तरीके के रूप में धान के पुआल को जलाते हैं।

पराली जलाने के कारण:

- छोटा फसल चक्र: धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच सीमित समय।
- आर्थिक बाधाएँ: वैकल्पिक अवशेष प्रबंधन तकनीकों की उच्च लागत।
- जागरूकता की कमी: किसानों में टिकाऊ प्रथाओं के बारे में ज्ञान की कमी है।
- अपर्याप्त मशीनीकरण: फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की सीमित उपलब्धता।
- नीति कार्यान्वयन अंतराल: विनियमों का अप्रभावी प्रवर्तन और अपर्याप्त प्रोत्साहन।

पराली जलाने के परिणाम:

- वायु प्रदूषण: महीन कण पदार्थ (PM2.5, PM10), CO2, CO और अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन।
- स्वास्थ्य संबंधी खतरे: श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि और दृश्यता में कमी।
- मृदा क्षरण: आवश्यक पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों की हानि।
- जलवायु प्रभाव: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है।
- आर्थिक लागत: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ और मिट्टी की उर्वरता का नुकसान।

पराली जलाने की समस्या को हल करने की तकनीकें:

बड़े पैमाने की तकनीकें:

- प्रत्यक्ष दहन: खाना पकाने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए गर्मी उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित वातावरण में चावल के भूसे को जलाया जाता है।
- पायरोलिसिस और गैसीकरण: नियंत्रित हीटिंग के माध्यम से चावल के भूसे को उच्च ताप मूल्य वाले सिनगैस या जैव-तेल में परिवर्तित करता है।
- बायोचार उत्पादन: उर्वरता बढ़ाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मिट्टी कंडीशनर के रूप में बायोचार का उत्पादन करता है।
- बिजली उत्पादन: चावल के भूसे को बिजली में बदलने के लिए बायोमास-आधारित बिजली संयंत्रों का उपयोग करता है, जिससे ग्रामीण ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
- पेलेट उत्पादन: चावल के भूसे को ईंधन और आसान परिवहन के लिए उपयुक्त कॉम्पैक्ट, ऊर्जा-घने छर्रों में संपीड़ित करता है।
- जैव ईंधन: चावल के भूसे को बायोएथेनॉल, बायोगैस और अन्य नवीकरणीय ईंधन में संसाधित करता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।
- कागज़ उत्पादन: चावल के भूसे की उच्च सेल्यूलोज़ सामग्री का उपयोग लुगदी और कागज़ उत्पादन के लिए एक स्थायी कच्चे माल के रूप में करता है।

लघु-स्तरीय प्रौद्योगिकियाँ:

- खाद बनाना: चावल के भूसे को कृषि उपयोग के लिए पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में परिवर्तित करता है।
- मशरूम की खेती: खाद्य मशरूम की खेती के लिए चावल के भूसे को सब्सट्रेट के रूप में उपयोग करता है, जो कि लागत-प्रभावी खेती का विकल्प प्रदान करता है।
- सिलिका निष्कर्षण: निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चावल के भूसे से सिलिका कणों को निकालता है।
- जुगाली करने वालों के लिए चारा: भौतिक या रासायनिक उपचारों के माध्यम से पशु चारे के रूप में उपयोग के लिए चावल के भूसे की पाचन क्षमता को बढ़ाता है।
- एक सोखने वाले पदार्थ के रूप में: दूषित पानी से भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए चावल के भूसे का उपयोग करता है, जिससे पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- मिट्टी में मिलाना: उर्वरता, नमी बनाए रखने और वातन को बेहतर बनाने के लिए चावल के भूसे को मिट्टी में मिलाना।

निष्कर्ष:

भारत में पराली जलाना एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती बनी हुई है। फसल अवशेषों के लिए संधारणीय प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक उपयोग, मजबूत नीतियों और किसान जागरूकता के साथ मिलकर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं। दीर्घकालिक समाधान के लिए किसानों, उद्योगों और सरकारों को शामिल करने वाला एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है।

चीन और नवीकरणीय ऊर्जा

पाठ्यक्रम: नवीकरणीय ऊर्जा

संदर्भ:

चीन, सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक और नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी, वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक परिवर्तनों के लिए चुनौतियाँ खड़ी करता है।

सौर ऊर्जा में चीन की स्थिति:

- वैश्विक नेता: चीन वैश्विक सौर पैनल निर्माण के 80% से अधिक और पवन टरबाइन उत्पादन के 60% पर हावी है।
- नवीकरणीय विकास: 2023 में 300 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ा, जो निर्धारित समय से छह साल पहले अपने 1,200 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को लगभग पूरा कर रहा है।
- लागत प्रतिस्पर्धात्मकता: चीन में सौर पीवी उत्पादन लागत भारत, अमेरिका और यूरोप की तुलना में 10-35% कम है।

चीन विरोधाभास:

- उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता: पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य का अनुपालन करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 66% की कमी करने की आवश्यकता है।
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: नवीकरणीय विकास के बावजूद, कोयला अभी भी चीन की आधी से अधिक बिजली उत्पन्न करता है, जो सौर और पवन विनिर्माण जैसे उद्योगों का समर्थन करता है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव: उत्सर्जन में बहुत तेज़ी से कमी लाने से चीन की जीवाश्म ईंधन पर निर्भर विनिर्माण प्रक्रियाएँ बाधित हो सकती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती धीमी हो सकती है।

नवीकरणीय ऊर्जा में चीन के अनूठे लाभ:

- लागत नेतृत्व: सौर पीवी विनिर्माण लागत भारत, अमेरिका और यूरोप की तुलना में 10-35% कम है।
- विनिर्माण प्रभुत्व: वैश्विक सौर पैनल के 80% से अधिक और पवन टरबाइन उत्पादन के 60% पर नियंत्रण।
- एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला: कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक, सौर पीवी आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में एकाधिकार।
- उत्पादन का पैमाना: बड़े पैमाने पर औद्योगिक पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को सक्षम करना।
- सरकारी सहायता: सक्रिय नीतियाँ और सब्सिडी अक्षय ऊर्जा विकास और निर्यात को बढ़ावा देती हैं।
- तकनीकी बढ़त: स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उन्नत विनिर्माण तकनीक और व्यापक अनुसंधान एवं विकास।

चीन के उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन का प्रभाव:

- **चीन पर प्रभाव:**
  - औद्योगिक मंदी: जीवाश्म ईंधन का तेजी से चरणबद्ध तरीके से उपयोग बंद होने से अक्षय ऊर्जा उपकरणों सहित विनिर्माण में बाधा आ सकती है।
  - आर्थिक चुनौतियाँ: कोयले और जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर उद्योगों पर दबाव।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - आपूर्ति श्रृंखला भेद्यता: भारत के सौर मॉड्यूल आयात (चीन से 85%) में व्यवधान आ सकता है, जिससे इसके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।
  - बढ़ती लागत: चीनी आयात पर निर्भरता इसे सौर पीवी और पवन उपकरणों में लागत वृद्धि के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- **विश्व पर प्रभाव:**
  - वैश्विक नवीकरणीय लक्ष्य: चीन के उत्पादन में कमी से 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने के लक्ष्य में देरी हो सकती है।
  - निर्भरता जोखिम: आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

चीन के प्रतिस्पर्धी के रूप में भारत की क्षमता:

- महत्वाकांक्षी लक्ष्य: 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता में से 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा: वर्तमान वार्षिक सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 15 गीगावाट है, जिसे बढ़ाने की योजना है।
- सरकारी सहायता: नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए नीतियाँ और सब्सिडी।
- भौगोलिक लाभ: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उच्च सौर विकिरण और विशाल भूमि उपलब्धता।

निष्कर्ष:

जबकि चीन के उत्सर्जन में कटौती वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, वे नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए जोखिम पैदा करते हैं। उत्पादन में विविधता लाना और भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करने और संतुलित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

एल कैजस नेशनल पार्क

संदर्भ:

कुएनका के पास इक्वाडोर के ऊंचे इलाकों में स्थित एल कैजस नेशनल पार्क, लंबे समय से चल रहे और भयंकर सूखे के कारण लगी आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

- □ इक्वाडोर की सरकार ने जंगल में लगी भीषण आग को रोकने के लिए 60 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, जिससे न केवल पार्क की पारिस्थितिकी अखंडता बल्कि इसके महत्वपूर्ण जल संसाधनों को भी खतरा है।

एल कैजस नेशनल पार्क के बारे में:

- स्थान: इक्वाडोर के ऊंचे इलाके, अज़ुए प्रांत में कुएनका से 30 किमी पश्चिम में।
- क्षेत्र: 285.44 वर्ग किमी में फैला है और इसकी ऊंचाई 3100 मीटर से 4450 मीटर के बीच है।
- घोषित: 5 नवंबर, 1996 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
- स्थलाकृति: पैरामो वनस्पति, दांतेदार पहाड़ियाँ, घाटियाँ और लगभग 270 झीलें और लैगून, जिनमें लुस्पा सबसे बड़ी झील है।
- नदियाँ: टोमेम्बाम्बा और यानुनके नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जो अमेज़न बेसिन में योगदान देती हैं। पश्चिमी जल निकासी प्रशांत महासागर से जुड़ती है।
- सबसे ऊँचा बिंदु: सेरो आर्किटेक्टोस (4450 मीटर)।

उच्च प्रदर्शन वाली इमारतें

पाठ्यक्रम:

जलवायु लचीला बुनियादी ढाँचा।

संदर्भ: उच्च प्रदर्शन वाली इमारतें (एचपीबी) जलवायु परिवर्तन, बढ़ते शहरीकरण और ऊर्जा की माँगों के सामने संधारणीय जीवन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। संसाधनों को संरक्षित करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और चरम मौसम का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए, एचपीबी संधारणीय निर्माण और शहरी लचीलेपन के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उच्च प्रदर्शन वाली इमारतें:

परिभाषा: HPB को ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करने, संसाधन की खपत को कम करने और अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों के खिलाफ लचीलापन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आवश्यकता:

- कार्बन उत्सर्जन: इमारतें वैश्विक ऊर्जा-संबंधित उत्सर्जन का 28% हिस्सा हैं; भारत में, यह क्षेत्र राष्ट्रीय उत्सर्जन का 20% योगदान देता है।
- शहरीकरण: भारत की शहरी आबादी 2030 तक 600 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढाँचे की माँग बढ़ेगी।
- वैश्विक लक्ष्य: 2030 तक इमारतों में 30% ऊर्जा दक्षता सुधार के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

एकीकृत डिज़ाइन:

- मापनीय प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तुकारों, इंजीनियरों और भवन मालिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- परिचालन दक्षता और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए परिणामों की भविष्यवाणी करने और निर्माण से पहले डिज़ाइन को परिष्कृत करने के लिए डिजिटल मॉडलिंग का उपयोग करता है।
  - उदाहरण: निष्क्रिय डिज़ाइन रणनीतियाँ हीटिंग और कूलिंग की ज़रूरतों को कम करने के लिए प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश और तापीय द्रव्यमान को अनुकूलित करती हैं।

संधारणीय सामग्री:

- कम कार्बन और उच्च पुनर्चक्रित सामग्री वाली सामग्रियों को प्राथमिकता दें।
- वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) को कम करके इनडोर वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कम उत्सर्जन वाली सामग्रियों का उपयोग करें।
  - उदाहरण: भारतीय मानव बस्तियों का संस्थान (IIHS) अपने बेंगलुरु परिसर के लिए टिकाऊ सामग्रियों को चुनने के लिए जीवनचक्र आकलन का उपयोग करता है।

ऊर्जा दक्षता:

- निष्क्रिय रणनीतियाँ: यांत्रिक प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश, भवन अभिविन्यास और तापीय द्रव्यमान का उपयोग करें।
- सक्रिय रणनीतियाँ: शुद्ध-शून्य ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा-कुशल HVAC सिस्टम, स्मार्ट तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करें।

  उदाहरण: इंफोसिस हैदराबाद परिसर ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए रेडिएंट कूलिंग सिस्टम और डेलाइटिंग नियंत्रण का उपयोग करता है।

जल संरक्षण

- कुशल जुड़नार: कम प्रवाह वाले नल और दोहरे फ्लश वाले शौचालय पानी का संरक्षण करते हैं।
- पुन: उपयोग प्रणालियाँ: सिंचाई और स्वच्छता के लिए वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण।

  उदाहरण: इंफोसिस परिसर उन्नत उपचार प्रणालियों का उपयोग करके 100% अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करता है।

जलवायु जोखिमों से निपटना

- बाढ़ सुरक्षा, टिकाऊ सामग्री और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों जैसी जलवायु-लचीली विशेषताओं को शामिल करना।
- बिजली कटौती के दौरान रहने की क्षमता बनाए रखने के लिए निष्क्रिय उत्तरजीविता सुनिश्चित करना।

  उदाहरण: बेंगलुरु में इंफोसिस क्रिसेंट बिल्डिंग उन्नत शीतलन प्रणालियों का उपयोग करती है और मानक कार्यालय भवनों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा की खपत करती है।

ऊर्जा-कुशल भवनों के लिए भारत की पहल:

- इको-निवास संहिता: ऊर्जा-कुशल आवासीय भवनों के लिए एक कोड।
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC): वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानक निर्धारित करता है।
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022: इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है।
- निर्माण पुरस्कार: ऊर्जा-कुशल भवनों में नवाचार को मान्यता देता है।
- एकीकृत आवास मूल्यांकन (GRIHA) के लिए ग्रीन रेटिंग: संधारणीय भवन प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

सीमाएँ:

- परिचालन उपेक्षा: प्रारंभिक लागतों पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर दीर्घकालिक परिचालन दक्षता की अनदेखी होती है।
- विविध प्रकार: ऊर्जा दक्षता भवन के प्रकारों में भिन्न होती है, जिससे मानकीकरण जटिल हो जाता है।
- विभाजित प्रोत्साहन: मालिकों और किरायेदारों के बीच लाभों में बेमेल ऊर्जा-कुशल उन्नयन के लिए समर्थन को कम करता है।
- स्वदेशी ज्ञान की हानि: विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अत्यधिक निर्भरता लागत प्रभावी स्थानीय समाधानों को दरकिनार कर देती है।
- खंडित प्रणाली: डिजाइन, निर्माण और संचालन के बीच एकीकरण की कमी समग्र भवन प्रदर्शन को कम करती है।

निष्कर्ष:

उच्च प्रदर्शन वाली इमारतें संधारणीय शहरीकरण और वैश्विक ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य हैं। सीमाओं के बावजूद, भारत की पहल प्रगति को बढ़ावा दे रही है। जैसे-जैसे प्रथाएँ अधिक व्यापक होती जाती हैं, एचपीबी भविष्य के लिए तैयार, जलवायु-लचीले निर्माण के लिए मानक स्थापित कर सकते हैं।

ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल

संदर्भ:

असम के मोरीगांव जिले के मायोंग गांव में, एक अनूठी समुदाय-संचालित संरक्षण पहल ने ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के लिए एक आदर्श आवास स्थापित किया है, जो जैव विविधता संरक्षण में अनुकरणीय प्रयासों को दर्शाता है।

मायोंग गांव पहल के बारे में:

- सामुदायिक संरक्षण: ग्रामीण सामूहिक रूप से ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के घोंसले और प्रजनन का समर्थन करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित होती है।
- वृक्षारोपण अभियान: हॉर्नबिल के लिए प्राकृतिक भोजन स्रोत प्रदान करने के लिए केले और पपीता जैसे फलदार पेड़ बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं।
- पवित्र संबंध: हॉर्नबिल को शांति और समृद्धि के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो समुदाय के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देता है।

ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के बारे में:

- **वैज्ञानिक नाम: एंथ्राकोसेरोस एल्बिरोस्ट्रिस**
  - इस प्रजाति के दो अन्य सामान्य नाम सुंडा पाइड हॉर्नबिल (कॉन्वेक्सस) और मलेशियाई पाइड हॉर्नबिल हैं।
  - IUCN स्थिति: कम से कम चिंता का विषय

- निवास स्थान: हिमालय की तलहटी, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नम तराई के जंगलों में पाया जाता है।
- पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका: उष्णकटिबंधीय पेड़ों के बीजों को फैलाने और वन स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए 'वन इंजीनियर' के रूप में जाना जाता है।
- आहार: सर्वाहारी, फल, कीड़े, शंख, छोटे सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी के अंडे खाते हैं।
- विशेषताएँ: एशियाई हॉर्नबिल में सबसे छोटा और सबसे आम; अपने पूरे क्षेत्र में अनुकूलनीय और व्यापक।

थाई सैकब्रूड वायरस

संदर्भ:

शोध में पाया गया कि प्रबंधित मधुमक्खियों से जंगली परागणकों में रोगजनकों का फैलना एक गंभीर खतरा है, क्योंकि साझा निवास स्थान रोग संचरण को सुविधाजनक बनाते हैं और परागण पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालते हैं।

थाई सैकब्रूड वायरस के बारे में:

- मधुमक्खियों पर प्रभाव: दक्षिण भारत (1991-1992) में एशियाई मधुमक्खी कॉलोनियों के 90% को तबाह कर दिया और 2021 में तेलंगाना में फिर से उभर आया।
- लक्षण: लार्वा को मारता है, कॉलोनी के विकास और प्रजनन को रोकता है।
- भौगोलिक प्रसार: भारत, चीन और वियतनाम में रिपोर्ट किया गया।
- मेजबान रेंज: पश्चिमी मधुमक्खियों में कम विषैला लेकिन एशियाई मधुमक्खियों (एपिस सेराना इंडिका) के लिए काफी खतरा है।
- भारत में 700 से अधिक मधुमक्खी प्रजातियाँ हैं, जिनमें चार देशी मधुमक्खियाँ एशियाई मधुमक्खियाँ (एपिस सेराना इंडिका), विशाल चट्टान मधुमक्खी (एपिस डोरसाटा), बौनी मधुमक्खी (एपिस फ्लोरिया) और डंक रहित मधुमक्खी (प्रजाति ट्रिगोना) शामिल हैं।
- देश की शहद की पैदावार बढ़ाने के लिए 1983 में पश्चिमी मधुमक्खियों को भारत में लाया गया था।
- संचरण: अस्पष्ट मार्ग; संभवतः साझा आवासों या प्रबंधित मधुमक्खियों के प्रवासी मार्गों के माध्यम से।

अतिरिक्त जानकारी:

- रोगजनक स्पिलओवर: तब होता है जब रोगजनक साझा आवासों के कारण एक प्रजाति (जैसे, प्रबंधित मधुमक्खियाँ) से दूसरी प्रजाति (जैसे, जंगली परागणकर्ता) में चले जाते हैं।
- रोगजनक स्पिलबैक: तब होता है जब जंगली प्रजातियों से रोगजनक मूल मेजबान प्रजातियों (जैसे, प्रबंधित मधुमक्खियाँ) को संक्रमित करने के लिए वापस आते हैं, अक्सर अधिक विषैले रूपों में।

तितलियों को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियाँ:

- ओफ़्रियोसिस्टिस इलेक्ट्रोसिर्रा (OE): एक प्रोटोज़ोआ परजीवी जो मोनार्क तितलियों को संक्रमित करता है, जिससे पंखों की विकृति और जीवनकाल छोटा हो जाता है।
- नोसेमा: एक फंगल रोग जो तितली के प्रजनन और ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है।
- बैकुलोवायरस: कैटरपिलर अवस्था को प्रभावित करता है, जिससे उच्च मृत्यु दर होती है।
- वायरल पॉलीहेड्रोसिस: लार्वा को लक्षित करता है, कायापलट और विकास को बाधित करता है।
- जीवाणु संक्रमण: सेराटिया मार्सेसेंस जैसे रोगजनक तितलियों को संक्रमित कर सकते हैं, विशेष रूप से बंदी आबादी में।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

संदर्भ:

दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को संबोधित करने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III को लागू किया है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के बारे में:

GRAP क्या है?

- दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के उद्देश्य से आपातकालीन उपायों की एक रूपरेखा।
- एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले के बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित।
- शुरू में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) द्वारा कार्यान्वित किया गया; अब 2021 से CAQM द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
- **कार्यान्वयन:**
  - IITM और IMD द्वारा वास्तविक समय के AQI डेटा और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर आधारित।
  - GRAP उपाय वृद्धिशील हैं, वायु गुणवत्ता खराब होने पर सभी निचले चरणों से उपायों के अनुपालन की आवश्यकता होती है।
- **नया संशोधित GRAP:**
  - 1 अक्टूबर, 2023 को पूरे NCR में लागू हुआ।
  - सर्दियों के दौरान AQI की गिरावट को संभालने के लिए मजबूत किया गया।

संशोधित GRAP चरण:

चरण	AQI रेंज	कार्रवाई
चरण I – खराब	201-300	एनजीटी/एससी द्वारा पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर आदेश लागू करें।
चरण II – बहुत खराब	301-400	- प्रदूषण हॉटस्पॉट पर लक्षित कार्रवाई करें। - डीजल जनरेटर संचालन को विनियमित करें।
चरण III – गंभीर	401-450	- बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल लाइट मोटर वाहनों (एलएमवी) को प्रतिबंधित करें। - कक्षा V तक की भौतिक कक्षाओं को निलंबित करने पर विचार करें।
चरण IV – गंभीर+	> 450	- दिल्ली के बाहर से एलसीवी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएं, जब तक कि वे ईवी, सीएनजी या बीएस-VI डीजल (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) न हों। - शैक्षणिक संस्थान और गैर-आवश्यक वाणिज्यिक गतिविधियाँ बंद करें। - वाहनों के लिए ऑड-ईवन ट्रैफ़िक नियम लागू करें।

CCS UPSC

5 विज्ञान

नया मोइरे सुपरकंडक्टर

संदर्भ:

वैज्ञानिकों ने ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टन डाइसेलेनाइड ($tWSe_2$) में सुपरकंडक्टिविटी की खोज की है, जो सेमीकंडक्टर से बना एक नया मोइरे मटीरियल है, जो क्वांटम मटीरियल रिसर्च में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

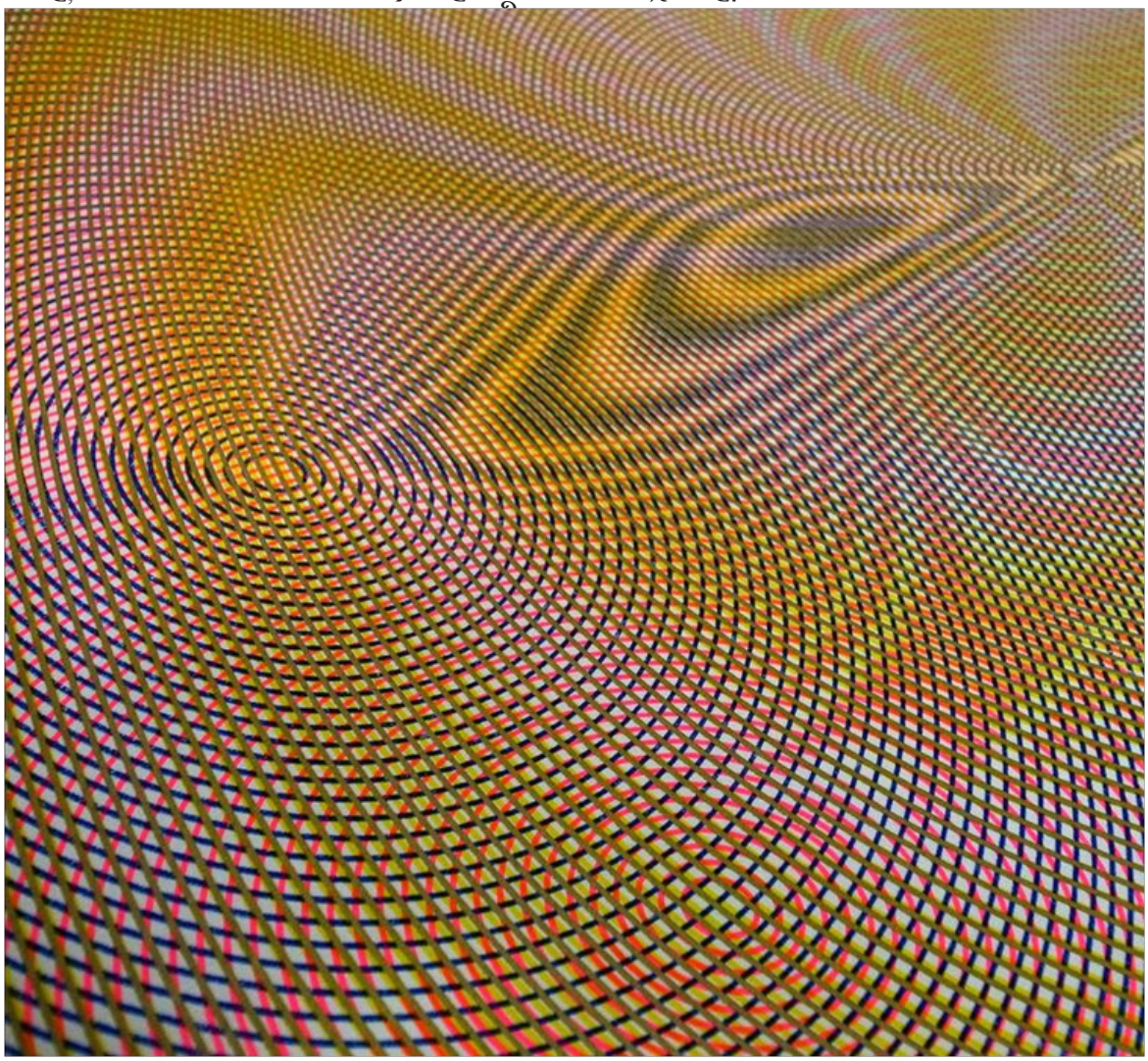

नए मोइरे सुपरकंडक्टर के बारे में:

- यह क्या है: टंगस्टन डाइसेलेनाइड ($tWSe_2$) की दो परतों को एक छोटे कोण से घुमाकर बनाया गया एक मोइरे मटीरियल, जो फ्लैट एनर्जी बैंड के साथ एक अनूठी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाता है।
- प्रयुक्त सामग्री: ट्विस्टेड बाइलेयर टंगस्टन डाइसेलेनाइड ($tWSe_2$), एक सेमीकंडक्टर।
- **गुण और विशेषताएँ:**

1. शून्य प्रतिरोध के साथ -272.93° C पर सुपरकंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है।
2. मजबूत इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन और हाफ-बैंड फिलिंग द्वारा संचालित।
3. अन्य मोइरे सामग्रियों की तुलना में 10 गुना अधिक सुसंगतता लंबाई के साथ मजबूत सुपरकंडक्टिंग अवस्था।
4. सामान्य सामग्रियों में, इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर चलते समय गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं या खो देते हैं, जो उनकी गति और गति को प्रभावित करता है। लेकिन मोइरे सामग्रियों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में बहुत कम बदलाव का अनुभव करते हैं।

- **महत्व:**

1. अर्धचालकों में स्थिर सुपरकंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है, जो भविष्य की क्वांटम सामग्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
2. मुड़ी हुई 2D परतों में अद्वितीय इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक संरचना परिवर्तनों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
3. अर्धचालक-आधारित क्वांटम अनुप्रयोगों के लिए रास्ते खोलता है।

दूध में एंटीबायोटिक संदूषण

संदर्भ:

दूध में एंटीबायोटिक संदूषण विनियमन के बावजूद प्रतिदिन 180 मिलियन भारतीयों को प्रभावित करता है। अनियमित एंटीबायोटिक उपयोग, कम जागरूकता और खंडित दूध संग्रह प्रणाली इस समस्या को बढ़ावा देती है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है और डेयरी प्रसंस्करण प्रभावित होता है।

दूध में पाए जाने वाले संदूषण के बारे में:

- **संदूषण का स्रोत:**
  1. स्तनदाह नियंत्रण जैसे उपचारों से एंटीबायोटिक अवशेष।
  2. दूषित फ़ीड और अनुचित पशु चिकित्सा दवा का उपयोग।
  3. संग्रह के दौरान दूषित दूध मिलाना।
- **स्वास्थ्य प्रभाव:**
  1. रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) और एलर्जी प्रतिक्रियाएं।
  2. आंतों के वनस्पतियों में विकार।
  3. समझौता किए गए डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता के कारण आर्थिक नुकसान।
- **एंटीबायोटिक्स का पता चला:**
  - बीटा-लैक्टम (जैसे, पेनिसिलिन), एमिनोग्लाइकोसाइड्स (जैसे, जेंटामाइसिन), टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स (जैसे, एरिथ्रोमाइसिन), क्विनोलोन, सल्फोनामाइड्स।

डार्क टूरिज्म

संदर्भ:

यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच, डार्क टूरिज्म की अवधारणा ने गति पकड़ ली है, जिसमें आगंतुक नष्ट हो चुके इरपिन पुल और टैंक कब्रिस्तान जैसे युद्धग्रस्त स्थानों की खोज कर रहे हैं।

डार्क टूरिज्म के बारे में:

- परिभाषा: मृत्यु, त्रासदी या पीड़ा से जुड़े स्थानों पर जाना, जैसे युद्ध के मैदान, आपदा क्षेत्र या स्मारक।
- उत्पत्ति: जॉन लेनन और मैल्कम फोले द्वारा आगंतुकों के लिए अमानवीय कृत्यों की व्याख्या के रूप में परिभाषित।
- लोकप्रिय स्थल: ऑशविट्ज़ (पोलैंड), चेरनोबिल (यूक्रेन), ग्राउंड ज़ीरो (USA), हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क (जापान)।
- **प्रकार:**
  1. आपदा पर्यटन: प्रमुख आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित।
  2. युद्ध पर्यटन: संघर्ष क्षेत्रों या युद्ध के बाद के क्षेत्रों का दौरा।
- **विवाद:**
  - सकारात्मक दृष्टिकोण: स्मारक, शिक्षा और जागरूकता के रूप में कार्य करता है।
  - आलोचना: कुछ लोगों द्वारा अनैतिक या मानवीय पीड़ा से लाभ उठाने के रूप में देखा जाता है।
  - उभरते बाजार: वैश्विक ध्यान और जिज्ञासा के कारण यूक्रेन जैसे देशों में लोकप्रियता बढ़ रही है।

गामा किरणें

संदर्भ:

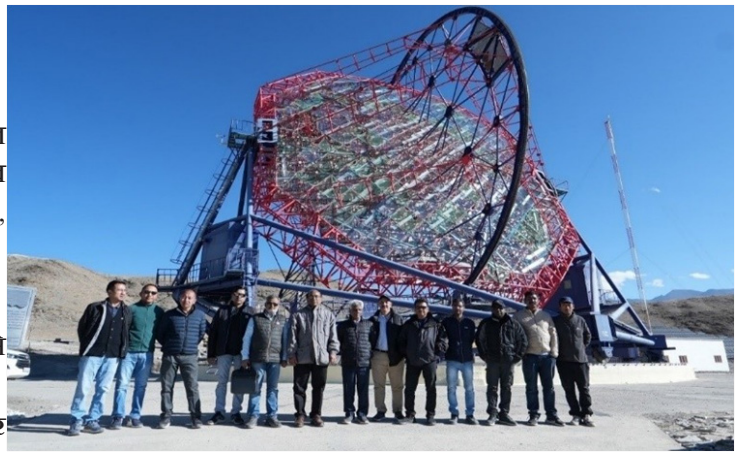

ब्रह्मांडीय गामा किरणों का अध्ययन करने और उच्च-ऊर्जा खगोल भौतिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए 4 अक्टूबर को लद्दाख के हानले में दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन, MACE दूरबीन का उद्घाटन किया गया।

गामा किरणों के बारे में:

- परिभाषा: गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण का सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य और उच्चतम ऊर्जा रूप हैं।
- स्रोत: पल्सर, सुपरनोवा, ब्लैक होल, गामा-रे बर्स्ट और

संभावित डार्क मैटर कण इंटरैक्शन द्वारा उत्पादित।

- गुण: ऊर्जा> 100,000 eV, जीवित कोशिकाओं के लिए खतरनाक, और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवरुद्ध।
- पता लगाना: MACE जैसे इमेजिंग वायुमंडलीय चेरेनकोव टेलीस्कोप (IACT) का उपयोग करके पृथ्वी पर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है।
- चेरेनकोव विकिरण: जब गामा किरणें वायुमंडलीय अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन की बौछार पैदा करते हुए, हल्की नीली रोशनी निकलती है।

MACE परियोजना के बारे में:

- स्थान: हानले, लद्दाख, ~4,300 मीटर की ऊँचाई पर, जो इसे दुनिया का सबसे ऊँचा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप बनाता है।
- विकास: ECIL और अन्य भारतीय भागीदारों के समर्थन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित।
- उद्देश्य: उच्च-ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करना और ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं, जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा-रे विस्फोटों को समझने में योगदान देना।
- प्रौद्योगिकी: ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाने और उच्च-ऊर्जा खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए चेरेनकोव इमेजिंग तकनीक का उपयोग करता है।
- महत्व: भारत की ब्रह्मांडीय-किरण अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाता है और वैश्विक स्तर पर बहु-संदेशवाहक खगोल विज्ञान में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

अंतरिक्ष कचरा और उसका प्रभाव

संदर्भ:

उपग्रह प्रक्षेपण में तेजी से वृद्धि, आज कक्षा में 10,000 से अधिक सक्रिय उपग्रहों के साथ, अंतरिक्ष कचरा प्रदूषण में योगदान दे रहा है।

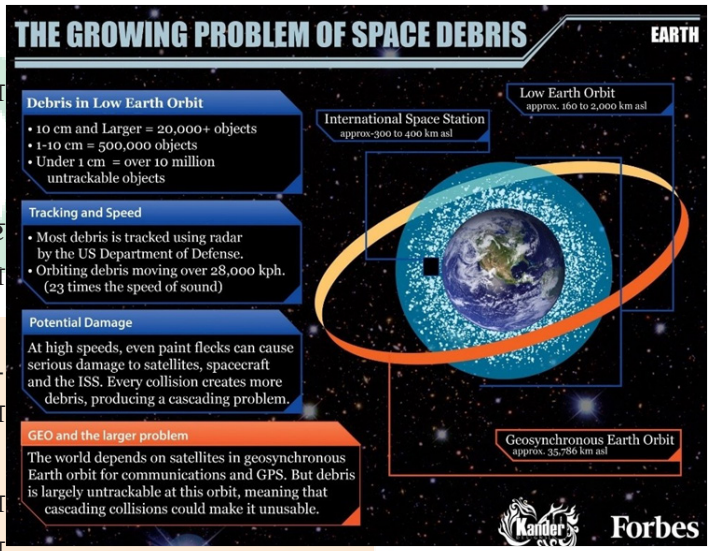

अंतरिक्ष कचरा और उसके प्रभाव के बारे में:

- परिभाषा: अंतरिक्ष कबाड़ में निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट चरण और कक्षा में छोड़े गए या पुनः प्रवेश के दौरान विघटित होने वाले अन्य मलबे शामिल हैं।
- उत्सर्जित प्रदूषक: उपग्रहों के जलने से एल्युमिनियम, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन उत्सर्जित होते हैं, जो समताप मंडल में जमा हो जाते हैं।
- ओजोन परत के लिए खतरा: एल्युमिनियम ऑक्साइड ओजोन क्षरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता का प्रतिकार करता है जिसने CFCs को कम किया।
- समताप मंडल में परिवर्तन: तांबा और अन्य धातुओं जैसे प्रदूषक वायुमंडलीय रसायन विज्ञान को बदल सकते हैं और बादल निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं।
- जलवायु प्रभाव: कालिख के कण सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जो संभावित रूप से वायुमंडल को गर्म करते हैं और प्राकृतिक जलवायु पैटर्न को बाधित करते हैं।
- दीर्घकालिक तरंग प्रभाव: ऊपरी वायुमंडल में परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र, मौसम पैटर्न और पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया का प्रभाव

पाठ्यक्रम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ:

सोशल मीडिया ने वैश्विक स्तर पर संचार और सूचना प्रसार में क्रांति ला दी है। यह आवाज़ों को सशक्त बनाकर और बहस को सुविधाजनक बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, लेकिन यह गलत सूचना, अभद्र भाषा और एकाधिकार नियंत्रण के माध्यम से चुनौतियाँ भी पेश करता है।

सोशल मीडिया और इसके प्रकार:

- परिभाषा: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सामग्री बनाने, साझा करने और उससे बातचीत करने की अनुमति देता है।

- **प्रकार:**
  - सोशल नेटवर्क: कनेक्शन के लिए Facebook, LinkedIn जैसे प्लेटफ़ॉर्म।
  - माइक्रोब्लॉगिंग साइट्स: त्वरित अपडेट और समाचार साझा करने के लिए X (पूर्व में Twitter) जैसे प्लेटफ़ॉर्म।
  - मीडिया साझा करने वाले प्लेटफ़ॉर्म: विज़ुअल और वीडियो सामग्री के लिए Instagram, YouTube।
  - चर्चा मंच: विषय-आधारित चर्चाओं के लिए Reddit, Quora।

लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले सोशल मीडिया के हालिया उदाहरण:

1. अमेरिकी चुनाव: चुनावों के दौरान राजनीतिक अभियान और गलत सूचना फैलाने में X और Facebook ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. फिलिस्तीन संघर्ष: सोशल मीडिया ने स्थिति के बारे में वास्तविक समय के अपडेट लाए, अत्याचारों को प्रदर्शित किया और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा दिया।
3. श्रीलंका दंगे: फेसबुक पर स्थानीय सामग्री मॉडरेशन की कमी ने अभद्र भाषा के प्रसार को बढ़ा दिया।
4. भारत में किसान विरोध: सोशल मीडिया ने विरोध को बढ़ावा दिया, जिससे वैश्विक ध्यान और समर्थन मिला।

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव:

- बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी: नागरिकों को चर्चा में शामिल होने और सरकारों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है।
  उदाहरण के लिए जलवायु विरोध के दौरान युवाओं के नेतृत्व वाले अभियान।
- वैश्विक संपर्क: सीमाओं के पार विचारों और वास्तविक समय के अपडेट को साझा करने में सक्षम बनाता है।
  उदाहरण के लिए यूक्रेन-रूस संघर्ष अपडेट ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता जुटाई।
- हाशिए पर पड़ी आवाज़ों का प्रवर्धन: कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को अपनी चिंताओं को आवाज़ देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  उदाहरण के लिए #MeToo आंदोलन ने लैंगिक न्याय के बारे में वैश्विक बातचीत शुरू की।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकारी कार्रवाइयों को सार्वजनिक जाँच के दायरे में लाता है।
  उदाहरण के लिए सोशल मीडिया व्हिसलब्लोअर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं।

लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव:

- गलत सूचना का प्रसार: असत्यापित सामग्री जनता की राय को प्रभावित कर सकती है।
  उदाहरण के लिए, कोविड-19 के दौरान फर्जी खबरों के कारण लोगों में वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट हुई।
- ध्रुवीकरण और इको चैंबर: एल्गोरिदम समान विचारधारा वाली सामग्री को बढ़ावा देते हैं, जिससे पूर्वाग्रहों को बल मिलता है।
  उदाहरण के लिए, अमेरिका में पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बहस।
- घृणास्पद भाषण और अतिवाद: प्लेटफ़ॉर्म हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं।
  उदाहरण के लिए, म्यांमार में रोहिंग्या संकट फेसबुक पोस्ट के कारण और बढ़ गया।
- एकाधिकार नियंत्रण: व्यक्तियों या निगमों द्वारा स्वामित्व तटस्थता को प्रभावित करता है।
  उदाहरण के लिए, एलन मस्क का एक्स पर प्रभाव।
- सेंसरशिप: सरकारें प्लेटफ़ॉर्म नीतियों में हेरफेर करके असहमति को दबा सकती हैं।
  उदाहरण के लिए, सत्तावादी शासन में विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया जाता है।

सुझाए गए उपाय:

- मॉडरेशन को मजबूत करें: नफरत फैलाने वाले भाषण और गलत सूचना को प्रबंधित करने के लिए स्थानीय भाषा के मॉडरेटर बढ़ाएँ।
  उदाहरण के लिए, फेसबुक को क्षेत्रीय भाषाओं में धाराप्रवाह मॉडरेटर नियुक्त करने चाहिए।
- एल्गोरिदम को विनियमित करें: हानिकारक सामग्री के प्रवर्धन को रोकने के लिए एल्गोरिदम को पारदर्शी बनाएँ।
- विकेंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा दें: एकाधिकार प्रभाव को कम करने के लिए मैस्टोडॉन और ब्लूस्काई जैसे प्लेटफ़ॉर्म को प्रोत्साहित करें।
- कानूनी सुरक्षा उपाय: फर्जी खबरें फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएँ।
- मीडिया साक्षरता: स्कूल के पाठ्यक्रमों में सूचना सत्यापन तकनीकों को एकीकृत करें।
- स्वतंत्र निगरानी: प्लेटफ़ॉर्म की तटस्थता की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्थापित करें।

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आवाज़ों को बढ़ाता है और पारदर्शिता को सक्षम बनाता है। हालाँकि, गलत सूचना और एकाधिकार नियंत्रण के माध्यम से नुकसान पहुँचाने की इसकी क्षमता विनियमन, विकेंद्रीकरण और शिक्षा की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लोकतांत्रिक आदर्शों को जिम्मेदारी से पूरा करे।

उच्च-ऊंचाई की बीमारी

संदर्भ:

उत्तराखंड में हाल ही में एक ट्रेकर की सांस की विफलता के कारण हुई मौत हिमालय में उच्च-ऊंचाई की बीमारी से उत्पन्न गंभीर खतरों को उजागर करती है।

उच्च-ऊंचाई की बीमारी क्या है?

- परिभाषा: उच्च-ऊंचाई की बीमारी, जिसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस (AMS) के रूप में भी जाना जाता है, तब होती है जब शरीर 8,000 फीट (2,400 मीटर) से अधिक की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता है।
- **प्रकार:**
  - HAPE: उच्च-ऊंचाई फुफ्फुसीय एडिमा (फेफड़ों में तरल पदार्थ)।
  - HACE: हाई-एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा (मस्तिष्क में तरल पदार्थ)।
  - लक्षण: सिरदर्द, मतली, थकान, सांस लेने में तकलीफ, भ्रम और गंभीर मामलों में कोमा।

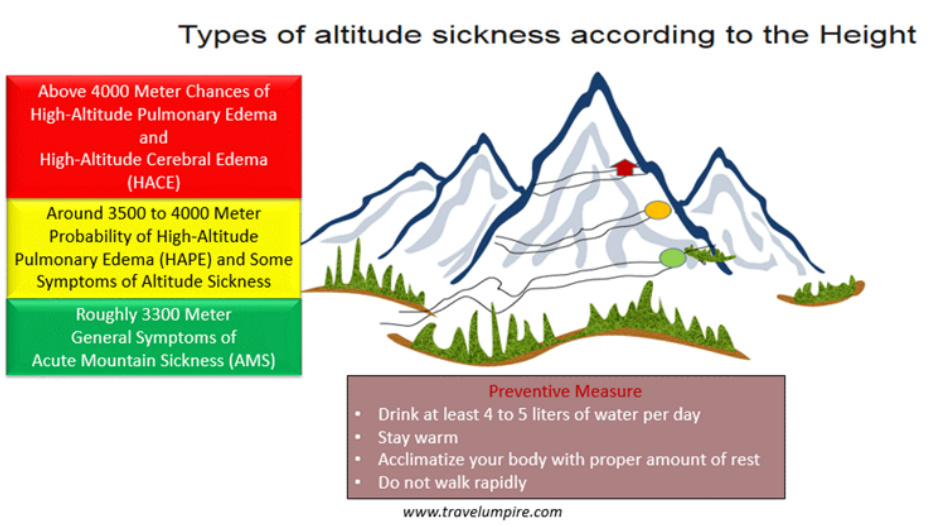

ऐसा क्यों होता है?

- कम ऑक्सीजन का स्तर: हवा में कम ऑक्सीजन शरीर के ऊतकों में हाइपोक्सिया की ओर ले जाती है।
- **शारीरिक तनाव:**
  - हाइपरवेंटिलेशन सांस लेने की दर को बढ़ाता है।
  - लाल रक्त कोशिका उत्पादन में वृद्धि के कारण गाढ़ा रक्त हृदय पर दबाव डालता है।
  - तेजी से चढ़ना: बिना अनुकूलन के बहुत तेज़ी से चढ़ना जोखिम को बढ़ाता है।

निवारक और शमन उपाय:

- **धीरे-धीरे चढ़ना:**
  - 3,000 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर हर 3-4 दिन में आराम करें।
  - प्रतिदिन 500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर सोने से बचें।
- **दवाएँ:**
  - एसिटाज़ोलैमाइड: अनुकूलन को बढ़ाता है।
  - डेक्सामेथासोन: गंभीर सूजन को कम करता है।
  - निफेडिपिन: HAPE से ग्रस्त लोगों के लिए निवारक।

लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल

संदर्भ:

भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ और उन्नत हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने में सक्षम देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया।

भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में:

- **विशेषताएँ**
  - मैक 6 गति: ध्वनि की गति से छह गुना अधिक गति से यात्रा करती है, जिससे दुश्मन की प्रतिक्रिया का समय कम हो जाता है।
  - लंबी दूरी: गहरे हमले के मिशन के लिए 1,500 किमी से अधिक की दूरी तय करती है।
  - मध्य-उड़ान गतिशीलता: रक्षा से बचने के लिए क्रूज मिसाइल की चपलता के साथ बैलिस्टिक मिसाइल की गति को जोड़ती है।
  - मल्टी-पेलोड क्षमता: पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती है।
  - उन्नत ट्रैकिंग: अत्याधुनिक मल्टी-डोमेन मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित किया जाता है।
  - स्वदेशी डिजाइन: DRDO द्वारा पूरी तरह से विकसित, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
- **क्षमताएँ:**
  - सामरिक प्रतिरोध: रक्षा तत्परता और सीमा सुरक्षा को बढ़ाता है।
  - बहु-डोमेन उपयोग: जहाज-लक्ष्यीकरण सहित भूमि, वायु और नौसैनिक प्लेटफार्मों के लिए अनुकूलनीय।
  - रक्षा परिहार: गति और चपलता के साथ आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर काबू पाता है।
  - सटीक हमले: कम से कम संपार्श्विक क्षति के साथ महत्वपूर्ण दुश्मन संपत्तियों को सटीक निशाना बनाना।
  - अनुप्रयोग: सेना, नौसेना और वायु सेना में कई उपयोग; नौसेना संस्करण का उद्देश्य लंबी दूरी पर सटीकता के साथ दुश्मन के युद्धपोतों को नष्ट करना है।
  - विकासात्मक पृष्ठभूमि: 2019 में शुरू की गई हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी वाहन (HSTDV) परियोजना पर आधारित है।

- वैश्विक संदर्भ: हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी में भारत को चीन, रूस और अमेरिका जैसी प्रमुख सैन्य शक्तियों के साथ रखता है।

गहन विश्लेषण: 6G

पाठ्यक्रम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ:

भारत का लक्ष्य भारत 6G मिशन के माध्यम से 2030 तक 6G तकनीक में वैश्विक नेता बनना है। यह पहल 5G परिनियोजन की सफलता पर आधारित है, जो केवल 21 महीनों में 98% जिलों को कवर करती है।

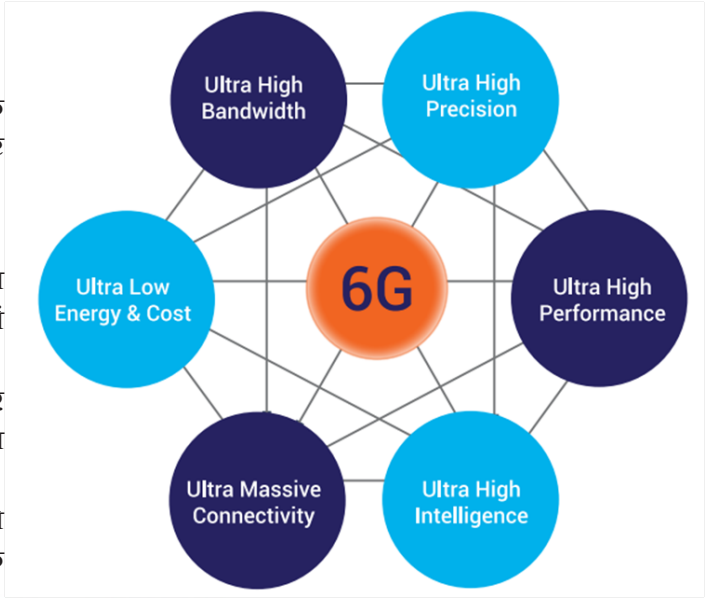

6G तकनीक की विशेषताएँ:

- टेराहर्ट्ज़ (THz) आवृत्तियाँ: 6G THz रेंज में तरंगों का उपयोग करेगा, जो 5G की तुलना में काफी अधिक डेटा ले जाने में सक्षम है।
- मैसिव MIMO: बेहतर डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए कई एंटेना का उपयोग करके कई डिवाइस और कनेक्शन का समर्थन करता है।
- नेटवर्क स्लाइसिंग: वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑटोमेशन जैसे अलग-अलग ट्रैफ़िक प्रकारों के लिए छोटे, विशेष नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाता है।
- बढ़ी हुई सुरक्षा: संवेदनशील डेटा और एप्लिकेशन की सुरक्षा के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करता है।
- अल्ट्रा-रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन (URLLC): बेहद कम लेटेंसी सुनिश्चित करता है, जो औद्योगिक स्वचालन और VR/AR जैसे मिशन-महत्वपूर्ण एप्लिकेशन का समर्थन करता है।
- एकीकृत बुद्धिमान परावर्तक सतहें (IIRS): खराब रिसेप्शन वाले क्षेत्रों में सिग्नल की शक्ति और गुणवत्ता को बढ़ाती हैं।
- हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर: सैकड़ों गीगाहर्ट्ज़ या THz आवृत्तियों पर तेज़ संचार और डेटा दरों को सक्षम बनाता है।

6G पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. भारत 6G विजन और रणनीति:

- विजन स्टेटमेंट: वैश्विक स्तर पर सुरक्षित, बुद्धिमान और व्यापक कनेक्टिविटी के लिए 6G तकनीकों को डिज़ाइन, विकसित और तैनात करना।
- मुख्य सिद्धांत: वहनीयता, स्थिरता और सर्वव्यापकता, आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित।
- **लक्ष्य:**
  - स्टार्टअप, कंपनियों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से 6G तकनीकों में अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाना।
  - किफ़ायती 6G दूरसंचार समाधान विकसित करना।
  - भारत से वैश्विक आईपी और पेटेंट योगदान को सक्षम बनाना।
  - परिवर्तनकारी अनुप्रयोगों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।

2. 6G पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह (TIG):

- भारत में 6G के लिए रोडमैप विकसित करने के लिए 1 नवंबर, 2021 को स्थापित किया गया।
- निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हुए छह टास्क फोर्स का गठन किया गया:
- बहु-विषयक समाधान।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन।
- डिवाइस और नेटवर्क।
- अंतर्राष्ट्रीय मानक।
- अनुसंधान और विकास के लिए वित्तपोषण।

3. भारत 6G गठबंधन:

- घरेलू उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों का सहयोग।
- 5G उन्नति, 6G उत्पाद विकास और पेटेंट निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- नेक्स्ट जी अलायंस (यूएस), 6G फ्लैगशिप (फिनलैंड) और दक्षिण कोरिया के 6G फोरम जैसे वैश्विक गठबंधनों के साथ जुड़ता है।

6G प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग:

आवेदन क्षेत्र	विवरण

स्वास्थ्य सेवा	AI-कनेक्टेड डिवाइस और इंटेलिजेंट एम्बुलेंस के साथ रीयल-टाइम रोगी निगरानी सक्षम करता है।
कृषि	भविष्यसूचक प्रणालियों, फसल स्वास्थ्य निगरानी और अनुकूलित सिंचाई के लिए IoT और AI का उपयोग करता है।
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा	उन्नत स्थानीयकरण का उपयोग करके निगरानी, गतिशील युद्धक्षेत्र संचार और मानव रहित संचालन को बढ़ाता है।
आपदा प्रतिक्रिया	आपातकालीन समन्वय के लिए त्वरित, उच्च-मात्रा संचार और सटीक नेटवर्क प्रदान करता है।
परिवहन	अल्ट्रा-लो लेटेंसी के साथ शहरी वायु गतिशीलता और बुद्धिमान यातायात प्रबंधन की सुविधा देता है।
शिक्षा	हाई-स्पीड वीडियो ट्रांसफर और इमर्सिव AR/VR-सक्षम कक्षाओं के साथ दूरस्थ शिक्षा का समर्थन करता है।
मेटावर्स	अल्ट्रा-विश्वसनीय कनेक्टिविटी के साथ 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले और सहज वर्चुअल इंटरैक्शन सक्षम करता है।
औद्योगिक स्वचालन	बढ़ी हुई परिचालन दक्षता के लिए रीयल-टाइम डेटा ट्रांसफर और xURLLC (अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस) के साथ स्मार्ट कारखानों को सशक्त बनाता है।
स्मार्ट शहर	कुशल शहरी बुनियादी ढांचे और रीयल-टाइम निगरानी के लिए IoT कनेक्टिविटी को बढ़ाता है।
मनोरंजन और मीडिया	उच्च बैंडविड्थ के साथ स्ट्रीमिंग गुणवत्ता, गेमिंग अनुभव और इमर्सिव कंटेंट डिलीवरी में सुधार करता है।
पर्यावरण निगरानी	बेहतर संसाधन प्रबंधन और संरक्षण के लिए सेंसर से रीयल-टाइम डेटा संग्रह की सुविधा देता है।

6G तकनीक से जुड़ी चुनौतियाँ:

- तकनीकी जटिलता: उन्नत घटक और उप-प्रणालियाँ विकास और परिनियोजन की जटिलता को बढ़ाती हैं।
- बुनियादी ढाँचे की परिनियोजन: बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और विनियामक समर्थन की आवश्यकता होती है।
- स्पेक्ट्रम आवंटन: प्रतिस्पर्धी माँगों के बीच सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता आवंटन के लिए चुनौतियाँ पेश करती है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: हाई-स्पीड डेटा ट्रांसमिशन साइबर हमलों के प्रति भेद्यता को बढ़ाता है, जिसके लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
- मानकीकरण के मुद्दे: अंतर-संचालन के लिए मानकों पर वैश्विक सहमति प्राप्त करना समय लेने वाला और विवादास्पद हो सकता है।
- वैश्विक सहयोग: तकनीकी और विनियामक संरेखण के लिए हितधारकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

भारत का 6G मिशन डिजिटल नवाचार के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र एक वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता बना रहे। रणनीतिक निवेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समावेशी नीतियों के माध्यम से, भारत सामाजिक-आर्थिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए 6G का उपयोग कर सकता है।

ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम

पाठ्यक्रम: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ:

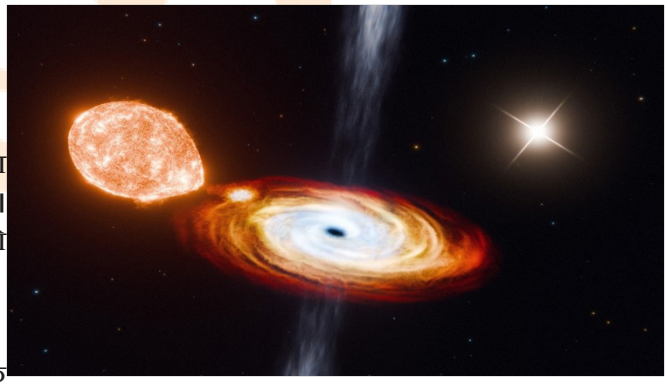

पहली बार, वैज्ञानिकों ने सिग्नस के तारामंडल में लगभग 8,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक दुर्लभ "ब्लैक होल ट्रिपल" सिस्टम की खोज की है। इस अनूठी संरचना में एक ब्लैक होल शामिल है जो पास के एक तारे को निगलता है, जबकि दूसरा दूर का तारा सिस्टम की परिक्रमा करता है।

ब्लैक होल ट्रिपल के बारे में

- परिभाषा: एक "ब्लैक होल ट्रिपल" सिस्टम में दो साथी सितारों के साथ एक ब्लैक होल होता है। खोजे गए सिस्टम में, एक तारा ब्लैक होल की परिक्रमा करीब से करता है, जबकि दूसरा तारा बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, जो हर 70,000 साल में परिक्रमा करता है।
- **खोज:**
  - V404 सिग्नी नामक ब्लैक होल की पहचान शोधकर्ताओं ने खगोलीय प्रेक्षणों के भंडार की जांच करते समय की थी।
  - सिग्नस तारामंडल में स्थित, V404 सिग्नी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग नौ गुना है।
  - दो तारों के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं की उपस्थिति ने सिस्टम के ट्रिपल विन्यास की पुष्टि की।
- **महत्व:**
  - पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देता है: यह खोज ब्लैक होल निर्माण की पारंपरिक समझ पर सवाल उठाती है, जिसमें आमतौर पर एक सुपरनोवा विस्फोट शामिल होता है जो आस-पास के तारों को बाहर निकालता है।
  - प्रत्यक्ष पतन गठन: माना जाता है कि V404 सिग्नी का निर्माण "प्रत्यक्ष पतन" या "विफल सुपरनोवा" के माध्यम से हुआ था, जहाँ तारा बिना किसी विस्फोटक घटना के ब्लैक होल में गिर गया था।
  - आस-पास के तारों का प्रतिधारण: इस सौम्य गठन प्रक्रिया ने ब्लैक होल को अपने आस-पास के तारों को बनाए रखने में सक्षम बनाया, जो सुपरनोवा परिदृश्य में बाहर निकल गए होंगे।
  - बाइनरी सिस्टम के लिए निहितार्थ: यह खोज बताती है कि कुछ ज्ञात बाइनरी ब्लैक होल सिस्टम मूल रूप से ट्रिपल सिस्टम हो सकते हैं, जिसमें ब्लैक होल बाद में अपने साथियों में से एक को निगल गया।

6 अर्थव्यवस्था

डेयरी क्षेत्र का प्रदर्शन

संदर्भ:

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 मनाया।

डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में:

श्रेणी	प्रदर्शन विवरण
दूध उत्पादन (2023-24)	239.3 मिलियन टन, 2022-23 के अनुमानों से 3.78% की वृद्धि।
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर	पिछले 10 वर्षों में 5.62% (दूध), 6.8% (अंडे), 4.85% (मांस)।
प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता	2022-23 में 459 ग्राम/दिन (भारत) बनाम 323 ग्राम/दिन (वैश्विक औसत)।
राज्य रैंकिंग (दूध)	उत्तर प्रदेश (16.21%), राजस्थान (14.51%), मध्य प्रदेश (8.91%), गुजरात (7.65%)।
अंडा उत्पादन (2023-24)	142.77 बिलियन, जिसमें आंध्र प्रदेश 17.85% के साथ सबसे आगे है, उसके बाद तमिलनाडु (15.64%) है।
मांस उत्पादन (2023-24)	10.25 मिलियन टन; पोल्ट्री का हिस्सा 48.96% है, उसके बाद भैंस और बकरी का मांस है।
वैश्विक स्थिति	दूध उत्पादन में पहला (24% वैश्विक हिस्सा); अंडा उत्पादन में दूसरा।

PAN 2.0

संदर्भ:

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा PAN 2.0 को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद, आयकर विभाग ने परियोजना पर एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया।

PAN के बारे में:

- उत्पत्ति: 1972 में शुरू किया गया; बेहतर कर अनुपालन के लिए 1995 में नया रूप दिया गया।
- विभाग: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है।
- उद्देश्य: व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके कर-संबंधी लेन-देन से जोड़ना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कर अनुपालन को सुव्यवस्थित करना।

पैन और पैन 2.0 की तुलना:

पहलू	पैन	पैन 2.0
परिचय वर्ष	1972 (1995 में नया रूप दिया गया)	2024 (नियोजित अपग्रेड)
जारी करने की प्रणाली	कई प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किया गया	सभी पैन/टैन सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल
आवेदन प्रक्रिया	कागज़-आधारित विकल्पों के साथ आंशिक रूप से ऑनलाइन	पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज़ रहित प्रक्रिया
QR कोड	2017 में शुरू किया गया, बुनियादी सत्यापन	वास्तविक समय के डेटा के साथ उन्नत डायनामिक क्यूआर कोड
अपडेट/सुधार	शुल्क-आधारित अपडेट	नाम, DOB, पता जैसे विवरणों के लिए मुफ़्त अपडेट
डेटा सुरक्षा	कोई केंद्रीकृत डेटा वॉल्ट नहीं	बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के लिए अनिवार्य पैन डेटा वॉल्ट
व्यवसाय पहचानकर्ता	टैक्स-संबंधी गतिविधियों के लिए पैन का उपयोग किया जाता है	कई प्रणालियों के लिए एकीकृत व्यवसाय पहचानकर्ता
शिकायत निवारण	सीमित, व्यक्तिगत पोर्टल के माध्यम से	एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सुव्यवस्थित शिकायत प्रणाली
मौजूदा पैन वैधता	वैध रहता है	वैध रहेगा लेकिन मुफ़्त में अपग्रेड उपलब्ध है

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

पाठ्यक्रम: अर्थशास्त्र

संदर्भ:

2020 में शुरू की गई भारत की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य निवेश, नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके देश के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक केंद्र में बदलना है।

पीएलआई योजना क्या है?

- पीएलआई योजना पाँच वर्षों में वृद्धिशील उत्पादन और राजस्व के आधार पर वित्तीय पुरस्कार देकर कंपनियों (घरेलू और विदेशी) को भारत में विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शुरुआत में तीन उद्योगों को लक्षित करते हुए, बाद में आयात प्रतिस्थापन, रोजगार सृजन और उच्च तकनीक औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया।

विशेषताएँ और कवर किए गए क्षेत्र

1. **विशेषताएँ:**
   - प्रदर्शन-संचालित वित्तीय प्रोत्साहन।
   - उन्नत तकनीकों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है।
   - आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
   - रोजगार सृजन और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करता है।
   - **कवर किए गए क्षेत्र:**
   - बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM)।
   - फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण।
   - ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक।
   - दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद।
   - नवीकरणीय ऊर्जा और सौर पीवी मॉड्यूल।
   - उन्नत रसायन सेल (SC) बैटरी।
   - श्वेत वस्तुएँ, ड्रोन, वस्त्र, खाद्य उत्पाद और विशेष इस्पात।

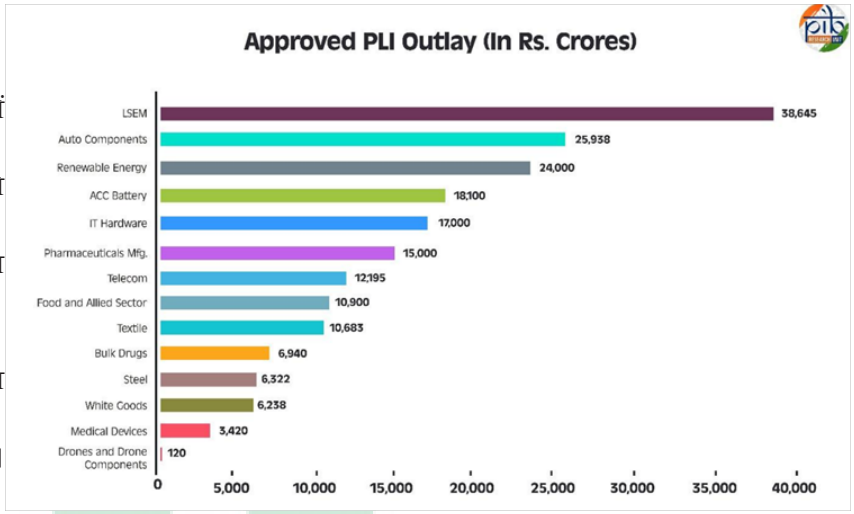

2. **बजट परिव्यय:**
   - कुल आवंटन: ₹1.97 लाख करोड़ (~$24 बिलियन)।
   - घरेलू विनिर्माण, निर्यात और तकनीकी विकास को बढ़ाने के लिए 14 क्षेत्रों में रणनीतिक वित्तपोषण।

उपलब्धियां और प्रभाव:

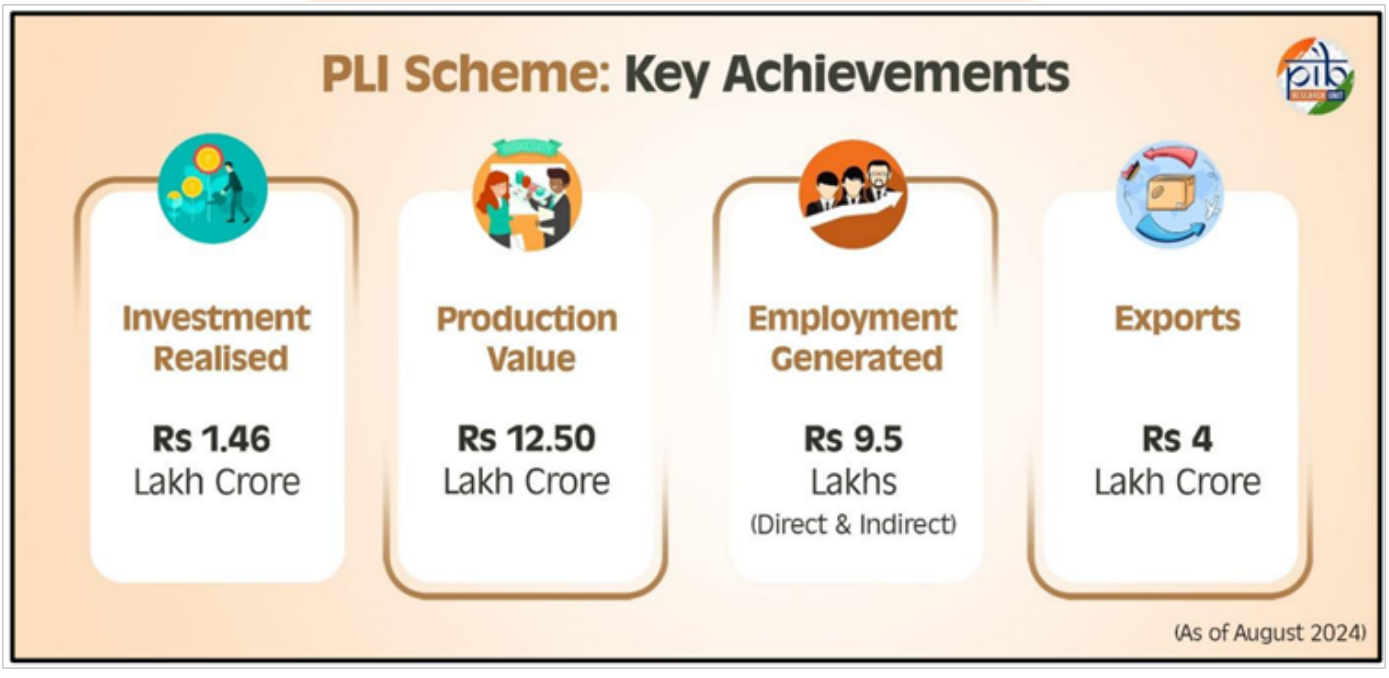

1. **समग्र प्रभाव:**
   - अगस्त 2024 तक ₹1.46 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ।
   - ₹12.50 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ।
   - ₹4 लाख करोड़ का निर्यात और 9.5 लाख नौकरियां सृजित हुईं।
2. **क्षेत्र-विशिष्ट उपलब्धियाँ:**
   - इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में परिवर्तन। उत्पादन बढ़कर 33 करोड़ यूनिट (2023-24) हो गया, जिसमें निर्यात 5 करोड़ यूनिट तक पहुँच गया।
   - फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस: भारत मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, जिसने उत्पादन का 50% निर्यात किया और थोक दवाओं पर आयात निर्भरता को कम किया।
   - ऑटोमोटिव: 8 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया और उच्च तकनीक वाले ऑटोमोटिव घटकों के उत्पादन को बढ़ावा दिया।
   - नवीकरणीय ऊर्जा: दूसरे चरण के तहत 65 गीगावाट विनिर्माण क्षमता के साथ सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन का विस्तार हुआ।
   - दूरसंचार: 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल किया और 4 जी और 5 जी उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बन गया।
   - ड्रोन: एमएसएमई और स्टार्ट-अप द्वारा संचालित इस क्षेत्र में सात गुना वृद्धि देखी गई।

चुनौतियाँ:

1. सीमित मूल्य संवर्धन: एंड-टू-एंड विनिर्माण के बजाय असेंबली पर अत्यधिक निर्भरता।
2. डब्ल्यूटीओ बाधाएँ: नियम घरेलू मूल्य संवर्धन के लिए प्रोत्साहन को सीमित करते हैं।
3. संवितरण में अस्पष्टता: निधि आवंटन के लिए मानकीकृत मापदंडों का अभाव।
4. डेटा अंतराल: परिणामों पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव।
5. जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएँ: सेमीकंडक्टर विनिर्माण जैसे उच्च तकनीक वाले उद्योगों को विकसित करने में कठिनाई।

आगे की राह:

1. नीति मूल्यांकन: प्रति नौकरी लागत, उत्पादन परिणाम और निर्यात वृद्धि का आकलन करें।
2. पारदर्शी प्रोत्साहन: निधि वितरण के लिए मानदंड मानकीकृत करें और जवाबदेही बनाए रखें।
3. मूल्य संवर्धन को मजबूत करना: घरेलू विनिर्माण को गहरा करने के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करें।
4. डेटाबेस विकास: निवेश, नौकरियों और निर्यात पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत सिस्टम बनाएँ।
5. क्षेत्रों का विस्तार करें: ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और AI जैसे उभरते उद्योगों को लक्षित करें।

निष्कर्ष:

पीएलआई योजना ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है, निवेश आकर्षित किया है, उत्पादन बढ़ाया है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। चुनौतियों का समाधान करना और एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना निरंतर विकास सुनिश्चित करेगा और वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को सुरक्षित करेगा।

शहरी नागरिक निकाय

पाठ्यक्रम: अर्थशास्त्र

संदर्भ:

RBI की एक हालिया रिपोर्ट में नगर निगमों के राजस्व सृजन में चुनौतियों, सरकारी हस्तांतरण पर भारी निर्भरता और शहरी विकास की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।

शहरी नागरिकों पर डेटा तथ्य (स्रोत: नगरपालिका वित्त पर RBI रिपोर्ट)

- **संपत्ति कर राजस्व:**
  - सकल घरेलू उत्पाद (2023-24) में 0.12% का योगदान देता है।
  - नगरपालिका राजस्व प्राप्तियों का 16% और स्वयं के कर राजस्व का 60% हिस्सा है।
- **राजस्व प्राप्तियां:**
  - नगरपालिका प्राप्तियां: 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.6%, जबकि 9.2% (केंद्र) और 14.6% (राज्य सरकारें)।
  - शीर्ष 10 MC नगरपालिका राजस्व प्राप्तियों का 58% उत्पन्न करते हैं।
- **अनुदान और हस्तांतरण:**
  - केंद्र सरकार के अनुदान में 24.9% (2022-23) की वृद्धि हुई।
  - राज्य हस्तांतरण में 20.4% की वृद्धि हुई।
- **नगरपालिका बांड:**
  - कुल बकाया बांड: ₹4,204 करोड़ (मार्च 2024), कुल कॉर्पोरेट बांड का केवल 0.09%।
- **डिजिटलीकरण:**
  - जीआईएस-आधारित संपत्ति कर मानचित्रण अनुपालन में सुधार कर सकता है और राजस्व रिसाव को कम कर सकता है।

शहरी निकायों को परेशान करने वाले मुद्दे:

- **कम राजस्व सृजन:**
  - संपत्ति कर संग्रह बेहद कम बना हुआ है।
  - सरकारी हस्तांतरण पर निर्भरता वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर करती है।
- **परिचालन अक्षमताएँ:**
  - कर कानूनों का खराब प्रवर्तन।
  - राजस्व संग्रह प्रणालियों में रिसाव।
  - कम उपयोग किए गए वित्तपोषण विकल्प:
  - नगरपालिका बांड और पीपीपी का सीमित उपयोग।
- **बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण में अंतराल:**
  - सड़कों, जल निकासी और स्वच्छता प्रणालियों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त धन।
- **ऊपरी स्तरों पर निर्भरता:**
  - राज्य और केंद्रीय हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक योजना को बाधित करती है।

आगे की राह:

- **अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करें:**
  - वास्तविक मूल्यांकन को दर्शाने के लिए संपत्ति कर संरचनाओं में सुधार करें।
  - जीआईएस-आधारित संपत्ति कर मानचित्रण शुरू करें।
- **गैर-कर राजस्व में वृद्धि करें:**
  - पानी और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को नियमित रूप से संशोधित करें।
  - कुशल शुल्क संग्रह के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनाएँ।
- **अभिनव वित्तपोषण का लाभ उठाएँ:**
  - नगरपालिका बांड बाजार में भागीदारी का विस्तार करें।
  - शहरी परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा में पीपीपी को बढ़ावा दें।
- **व्यय का अनुकूलन करें:**
  - लागतों को सुव्यवस्थित करने के लिए संचालन को डिजिटल करें।
  - पूंजी निवेश के लिए संसाधनों को मुक्त करने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करें।
- **समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करें:**
  - पूर्वानुमानित राज्य और केंद्रीय हस्तांतरण के लिए नियम-आधारित रूपरेखाएँ विकसित करें।
- **क्षमता निर्माण:**
  - नियोजन और प्रवर्तन में सुधार के लिए स्थानीय निकायों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करें।

निष्कर्ष:

राजस्व स्रोतों को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और सहयोगी रूपरेखाओं को बढ़ावा देना आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकता है। यह परिवर्तन सतत शहरी विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आवश्यक है।

रेलवे पर बिबेक देबरॉय समिति

संदर्भ:

बिबेक देबरॉय समिति की 2015 की रिपोर्ट में भारतीय रेलवे के लिए परिवर्तनकारी सुधारों की रूपरेखा दी गई थी, जिसमें व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, हालाँकि कई प्रमुख सिफारिशें अभी भी लागू नहीं हुई हैं।

बिबेक देबरॉय समिति की प्रमुख सिफारिशें (2015)

1. **उदारीकरण (निजीकरण नहीं):**
   - विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निजी ऑपरेटरों के प्रवेश की अनुमति दें।
   - स्थिति: विरोध के कारण लागू नहीं किया गया; पीपीपी परियोजनाएँ माल सेवाओं तक सीमित हैं।
2. **फील्ड अधिकारियों को सशक्त बनाना:**
   - अधिक स्वायत्तता के लिए जीएम और डीआरएम को निर्णय लेने की शक्तियाँ सौंपना।
   - स्थिति: विकेंद्रीकरण प्रयासों में वृद्धि के साथ आंशिक रूप से लागू किया गया।
3. **रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन:**
   - निर्णय लेने की शक्तियों के साथ चेयरमैन को सीईओ के रूप में पुनः नामित करना।
   - स्थिति: पुनर्गठित रेलवे बोर्ड के साथ 2020 में लागू किया जाएगा।
4. **स्वतंत्र रेल नियामक:**

- मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना करना।
- स्थिति: आरडीए को 2017 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन सीमित कामकाज के साथ।

5. **लेखांकन सुधार:**
   - वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रोद्भव-आधारित लेखांकन में परिवर्तन।
   - स्थिति: पूरे भारतीय रेलवे में लागू किया गया।
6. **गैर-मुख्य गतिविधियों को हटाना:**

- आरपीएफ, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं जैसी जिम्मेदारियों से रेलवे को मुक्त करना।
- स्थिति: विचाराधीन।

7. **सुरक्षा उन्नयन:**

- सुरक्षा परिसंपत्ति नवीनीकरण के लिए ₹1 लाख करोड़ की राशि से राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) बनाएं।
- स्थिति: ₹45,000 करोड़ के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ 2027 तक बढ़ाया गया।

8. **प्रौद्योगिकी एकीकरण:**

- वंदे भारत ट्रेनों और कवच प्रणालियों द्वारा उदाहरण के तौर पर प्रौद्योगिकी का समन्वय।
- स्थिति: सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वन रैंक वन पेंशन

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के एक दशक पूरे होने पर इसे भारत के दिग्गजों और भूतपूर्व सैन्यकर्मियों के समर्पण और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में रेखांकित किया।

वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के बारे में:

- परिभाषा: ओआरओपी यह सुनिश्चित करता है कि समान सेवा अवधि वाले समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान किया जाता है, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों।

- कार्यान्वयन वर्ष: सरकार ने 2015 में ओआरओपी को मंजूरी दी, जिसके लाभ 1 जुलाई, 2014 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे।
- पेंशन पुनर्निर्धारण: समान रैंक और सेवा अवधि वाले 2013 सेवानिवृत्त लोगों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर पेंशन पुनर्निर्धारित की जाती है।
- बकाया: पारिवारिक पेंशनभोगियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को छोड़कर, बकाया राशि का भुगतान चार अर्ध-वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिन्हें यह एक किस्त में मिलता है।
- भविष्य में संशोधन: पेंशन हर पाँच साल में फिर से तय की जाएगी।
- नोडल एजेंसी: भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय।
- भुगतान: मानक पेंशन के भीतर एकीकृत, एक अलग घटक नहीं।
- बहिष्करण: OROP कार्यान्वयन के बाद विशिष्ट सैन्य नियमों के तहत स्वेच्छा से सेवामुक्त किए गए कार्मिक पात्र नहीं हैं।

उड़द और तुअर आयात

संदर्भ:

भारत सरकार ने ब्राज़ील से उड़द के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी, जो 22,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गई।

- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भारत के लिए उड़द और तुअर के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में ब्राज़ील की क्षमता पर प्रकाश डाला, जो भारत की फसल माँगों के अनुरूप विभिन्न फसल मौसमों से लाभान्वित होता है।

उड़द के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: विग्ना मुंगो, जिसे आम तौर पर काले चने के नाम से जाना जाता है।
- उत्पत्ति: दक्षिण एशिया का मूल निवासी; भारत में व्यापक रूप से खेती की जाती है और अत्यधिक मूल्यवान है।
- पाककला में उपयोग: भारतीय व्यंजनों में आवश्यक, अक्सर दाल के रूप में उपयोग किया जाता है और चावल या करी के साथ परोसा जाता है।
- मौसम: भारत में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है।
- वैश्विक खेती: कैरिबियन, फिजी, म्यांमार और अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, जिसे भारतीय प्रवासियों द्वारा लाया गया था।

अरहर के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: कैजेनस कैजन, जिसे तूर दाल या कबूतर मटर के रूप में जाना जाता है।
- उत्पत्ति: पूर्वी गोलार्ध का मूल निवासी; उष्णकटिबंधीय और अर्ध-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से खेती की जाती है।
- पाककला में उपयोग: आमतौर पर दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है।
- वैश्विक प्रसार: लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में खेती की जाती है, क्षेत्रीय व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।

7 पीआईबी

एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया, जिसका नाम "एकलव्य" रखा गया है।

प्रासंगिकता:

GS II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म

एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म एक परिवर्तनकारी शैक्षिक उपकरण है जिसे विशेष रूप से भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल सैन्य प्रशिक्षण व्यवस्था के भीतर उन्नत तकनीकी समाधानों को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो भारतीय सेना की अपने परिचालन और रणनीतिक ढांचे में आधुनिकीकरण को अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अवलोकन और विकास

- विकास एजेंसियाँ: इस प्लेटफॉर्म को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N), गांधीनगर द्वारा सूचना प्रणाली महानिदेशालय के समर्थन से विकसित किया गया था।
- होस्टिंग: इसे आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है, जो विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल को एकीकृत करने के लिए सुरक्षित पहुँच और एक मजबूत ढाँचा सुनिश्चित करता है।

विशेषताएं और कार्यक्षमताएँ

- स्केलेबल आर्किटेक्चर: प्लेटफ़ॉर्म की स्केलेबल आर्किटेक्चर कई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे एक व्यापक और विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सुविधा मिलती है।
- कोर्स पंजीकरण: अधिकारी एक साथ कई पाठ्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं, जिससे उनके सीखने के अवसर और लचीलापन बढ़ जाता है।

कोर्स श्रेणियाँ:

- प्री-कोर्स तैयारी कैप्सूल: ये ऑनलाइन मॉड्यूल बाद के शारीरिक प्रशिक्षण सत्रों की गुणवत्ता को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए मूलभूत पहलुओं को कवर करते हैं।
- नियुक्ति-विशिष्ट पाठ्यक्रम: सेना के भीतर अपनी विशिष्ट भूमिकाओं के लिए प्रासंगिक विशेष ज्ञान प्राप्त करने में अधिकारियों का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया।
- पेशेवर विकास सूट: रणनीतिक सोच, नेतृत्व, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य दक्षताओं में उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

रणनीतिक प्रभाव

- परिवर्तन का दशक: यह पहल 2024 के लिए “परिवर्तन के दशक” और “प्रौद्योगिकी अवशोषण के वर्ष” के लिए भारतीय सेना के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो आधुनिक सैन्य प्रथाओं में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देती है।
- नॉलेज हाइवे: इस प्लेटफ़ॉर्म में पत्रिकाओं, शोध पत्रों और लेखों का एक खोज योग्य डेटाबेस भी है, जो निरंतर शिक्षा और सूचना प्रसार के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में कार्य करता है।

लक्ष्य और उद्देश्य

- निरंतर शिक्षा: निरंतर व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी समकालीन सैन्य रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों में अच्छी तरह से सूचित और कुशल बने रहें।
- पाठ्यक्रम अनुकूलन: बुनियादी प्रशिक्षण घटकों को ऑनलाइन स्थानांतरित करके शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम करने का लक्ष्य रखता है, जिससे अधिक केंद्रित और अनुप्रयोग-उन्मुख सामग्री के साथ ऑन-साइट प्रशिक्षण समृद्ध हो सके।
- विशेषज्ञता और तैयारी: अधिकारियों को विशेषज्ञ भूमिकाओं के लिए तैयार करता है और परिचालन प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण डोमेन-विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी क्षमताओं को बढ़ाता है।

SAREX-24

संदर्भ:

- भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला (SAREX-24) का 11वां संस्करण 28-29 नवंबर, 2024 को कोच्चि, केरल में होगा।

प्रासंगिकता:

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

SAREX-24

- SAREX-24 राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड (NMSARB) के तत्वावधान में आयोजित एक प्रमुख समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मुख्य विशेषताएं

विषय

- "क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना": क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच संयुक्त प्रयासों और सहयोग के माध्यम से परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

उद्देश्य

ICG की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन:

- बड़े पैमाने पर आकस्मिकताओं को संभालने के लिए भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की तैयारियों को प्रदर्शित करना।
- भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र (आईएसआरआर) के भीतर और बाहर स्थान, राष्ट्रीयता या परिस्थितियों की परवाह किए बिना आपात स्थितियों के दौरान सहायता सुनिश्चित करना।

क्षमता निर्माण:

- राष्ट्रीय हितधारकों के साथ परिचालन दक्षता और समन्वय का मूल्यांकन करना।
- पड़ोसी तटीय राज्यों और मित्र राष्ट्रों के साथ सहकारी जुड़ाव को बढ़ावा देना।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

कार्यशालाएँ और सेमिनार:

- इसमें निम्नलिखित की भागीदारी शामिल है:
- सरकारी एजेंसियों, मंत्रालयों और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी।
- विभिन्न राष्ट्रीय हितधारक और विदेशी प्रतिनिधि।

टेबल-टॉप अभ्यास:

- सिम्युलेटेड आपात स्थितियों के लिए रणनीतिक योजना और प्रतिक्रिया मूल्यांकन के उद्देश्य से।

समुद्री अभ्यास:

- कोच्चि तट पर आयोजित किया गया।

इसमें शामिल हैं:

- आईसीजी और नौसेना के जहाज और विमान।
- भारतीय वायु सेना, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण, सीमा शुल्क और यात्री जहाजों की संपत्तियाँ।
- उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निकासी तकनीकों का प्रदर्शन।

नवीन प्रदर्शन

तकनीकी एकीकरण:

- उपग्रह-सहायता प्राप्त संकट बीकन।
- जीवन रक्षक बोय तैनात करने वाले ड्रोन।
- हवाई जहाज से गिराए जाने योग्य जीवन रक्षक राफ्ट।
- रिमोट-नियंत्रित जीवन रक्षक प्रणाली।

निकासी के तरीके:

- बड़े पैमाने पर आपात स्थितियों के दौरान संकटग्रस्त यात्रियों को बचाने के लिए विविध तकनीकों का परीक्षण करना।

महत्व

संचालन दक्षता:

- हितधारकों के बीच वास्तविक समय समन्वय का परीक्षण करके खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ साझेदारी को मजबूत करता है।

समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाना:

- समुद्री आपदा प्रतिक्रिया में अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देता है।

ई-दाखिल पोर्टल

संदर्भ:

उपभोक्ता मामले विभाग को ई-दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो अब भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चालू है।

प्रासंगिकता:

जीएस II-राजनीति और शासन

ई-दाखिल पोर्टल के बारे में:

- इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है।
- ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है।
- यह उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी ऑनलाइन अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने की सुविधा भी देता है।
- ई-दाखिल पोर्टल की साइट को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित और बनाए रखा गया है।
- इस पोर्टल को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग:

नोडल: उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। (अर्ध-न्यायिक निकाय)
- इस कानून का उद्देश्य नागरिकों को निर्दिष्ट मामलों में उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक सरल, तेज़ और सस्ती व्यवस्था प्रदान करना है।
- इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर तीन-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र की परिकल्पना की गई है:
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसे "राष्ट्रीय आयोग" के रूप में जाना जाता है;
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिसे "राज्य आयोग" के रूप में जाना जाता है;
- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच – जिसे "जिला मंच" के रूप में जाना जाता है।

भारत ने उन्नत अटल नवाचार मिशन 2.0 के साथ नवाचार को बढ़ावा दिया

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वावधान में संचालित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) को जारी रखने और विस्तार देने का समर्थन किया है, जिसका बजट 2,750 करोड़ रुपये से काफी बढ़ा है। यह धनराशि हाल ही में लॉन्च किए गए एआईएम 2.0 का समर्थन करने के लिए निर्धारित है, जिसका उद्देश्य 2028 तक भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

लेख के आयाम:

1. एआईएम 2.0 अवलोकन
2. अटल नवाचार मिशन के बारे में

AIM 2.0 अवलोकन

नवाचार ढांचे का विस्तार:

- एआईएम 2.0 को भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और उन्नत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) जैसी पहलों की सफलताओं पर आधारित है।

- यह पूरे भारत में एक गहन, अधिक समावेशी नवाचार परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करता है और मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाता है।

वैश्विक और राष्ट्रीय नवाचार स्थिति:

- भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वें स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। AIM 2.0 लक्षित विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन रैंकिंग को ऊपर उठाने का प्रयास करता है।

AIM 2.0 के तहत प्रमुख पहल:

नवाचार का भाषा समावेशी कार्यक्रम (LIPI):

- भारत भर में नवाचार केंद्र स्थापित करता है जो 22 अनुसूचित भाषाओं में काम करते हैं, जिसका उद्देश्य गैर-अंग्रेजी बोलने वाले नवप्रवर्तकों के लिए भाषा की बाधा को पाटना है।

फ्रंटियर प्रोग्राम:

- विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों और आकांक्षी जिलों जैसे वंचित क्षेत्रों में 2500 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है, जिससे नवाचार संसाधनों तक पहुँच बढ़ेगी।

पारिस्थितिकी तंत्र संवर्द्धन उपाय:

- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और उसे बनाए रखने के लिए प्रबंधकों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों सहित पेशेवरों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- डीप-टेक स्टार्टअप के व्यावसायीकरण में सहायता के लिए एक शोध सैंडबॉक्स विकसित करता है, जिसके लिए आमतौर पर लंबी अवधि के निवेश की आवश्यकता होती है। नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन के माध्यम से राज्य-स्तरीय नवाचार को मजबूत करता है।

वैश्विक जुड़ाव:

- ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड जैसी पहलों और WIPO और G20 देशों जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत के नवाचार कनेक्शन का विस्तार करता है।

आउटपुट गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से कार्यक्रम:

- औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 त्वरक बनाएगा, का उद्देश्य उन्नत स्टार्टअप को आगे बढ़ाना है। अटल क्षेत्रीय नवाचार लॉन्चपैड (ASIL) कार्यक्रम प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में स्टार्टअप को एकीकृत करने और उनसे खरीद करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में iDEX के समान प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करता है।

अटल नवाचार मिशन के बारे में

- मिशन की स्थापना नीति आयोग के तहत की गई है, जो 2015 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार है।
- AIM का उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और बढ़ावा देना है।
- AIM ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्था निर्माण दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है।
- AIM ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने पर काम किया है

प्रमुख पहल:

- अटल टिंकरिंग लैब्स: भारत के स्कूलों में समस्या समाधान मानसिकता का निर्माण करना।
- अटल इनक्यूबेशन सेंटर: विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना।
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की जरूरतों के अनुरूप बनाना।
- मेंटर इंडिया अभियान: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क।
- अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र: टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित देश के असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करना।
- लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार (एआरआईएसई): एमएसएमई उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

संदर्भ:

हाल ही में, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) के विजेताओं की घोषणा की।

प्रासंगिकता:

GS II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार:

- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भारत के पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है।
- ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।

पुरस्कार के उद्देश्य:

- उद्देश्य: राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों का प्राथमिक उद्देश्य पशुपालन और डेयरी के विभिन्न पहलुओं में शामिल व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित और प्रेरित करना है।
- लक्ष्य प्राप्तकर्ता: पुरस्कार इस क्षेत्र में योगदान देने वाले विभिन्न लोगों को लक्षित करते हैं, जिनमें स्वदेशी पशुओं को पालने वाले किसान, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और डेयरी सहकारी समितियाँ या उत्पादक संगठन शामिल हैं।

पुरस्कार श्रेणियाँ:

श्रेणियाँ: पुरस्कार तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित है:

- स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान: स्थानीय नस्लों के पालन में उत्कृष्टता रखने वाले किसानों को मान्यता दी जाती है।
- सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT): कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है।
- सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन: शीर्ष प्रदर्शन करने वाले डेयरी सहकारी या उत्पादक संगठन को सम्मानित किया जाता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुरस्कार: इस वर्ष से, तीन मुख्य श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों में डेयरी विकास गतिविधियों को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए।

डेयरी क्षेत्र के लिए महत्व:

- डेयरी प्रथाओं का संवर्धन: ये पुरस्कार क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन तकनीकों को अपनाने को मान्यता देने और प्रोत्साहित करके डेयरी प्रथाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- प्रोत्साहन और मान्यता: डेयरी उद्योग में विभिन्न हितधारकों की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों को मान्यता देकर, ये पुरस्कार पेशेवरों और संगठनों के बीच प्रेरणा और गौरव को बढ़ावा देते हैं, जो इस क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि में योगदान करते हैं।

अटल नवाचार मिशन (AIM)

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत अपने प्रमुख अटल नवाचार मिशन (एआईएम) को 31 मार्च, 2028 तक ₹2,750 करोड़ के आवंटन के साथ जारी रखने को मंजूरी दी।

प्रासंगिकता:

जीएस II- सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

अटल नवाचार मिशन के बारे में

- मिशन की स्थापना नीति आयोग के तहत, 2015 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार की गई है।
- एआईएम का उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और बढ़ावा देना है।
- एआईएम ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्थान निर्माण दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है।
- एआईएम ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने पर काम किया है।

प्रमुख पहल:

- अटल टिंकरिंग लैब्स: भारत के स्कूलों में समस्या समाधान मानसिकता का निर्माण।
- अटल इनक्यूबेशन सेंटर: विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ना।
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की जरूरतों के अनुरूप बनाना।
- मेंटर इंडिया अभियान: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से एक राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क।
- अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र: टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित देश के असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करना।
- लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार (एआरआईएसई): एमएसएमई उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

संयुक्त विमोचन अभ्यास

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय सेना ने 18-19 नवंबर 2024 को अहमदाबाद और पोरबंदर में 'संयुक्त विमोचन 2024' अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

प्रासंगिकता:

जीएस III: सुरक्षा चुनौतियाँ

संयुक्त विमोचन अभ्यास

- स्वरूप और दायरा: संयुक्त विमोचन अभ्यास एक वार्षिक बहुपक्षीय संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभ्यास है।
- आयोजक: भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर द्वारा संचालित, यह अभ्यास गुजरात, विशेष रूप से अहमदाबाद और पोरबंदर में होता है।
- लक्ष्य: प्राथमिक उद्देश्य अंतर-एजेंसी एकीकरण और सहयोग में सुधार करना है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रभावी और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

गतिविधियाँ और भागीदारी

- अहमदाबाद में उद्घाटन समारोह: गुजरात के तटीय क्षेत्रों में एक काल्पनिक चक्रवात के प्रबंधन पर केंद्रित एक टेबलटॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। इस सत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA), मौसम विभाग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के प्रतिनिधि शामिल थे।
- बहु-एजेंसी क्षमता प्रदर्शन: 19 नवंबर 2024 को पोरबंदर के चौपाटी बीच पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करते हुए दिखाया गया, ताकि एक नकली चक्रवात परिदृश्य में रसद, प्रतिक्रिया रणनीति और समग्र आपदा प्रबंधन का प्रबंधन किया जा सके।

सहयोग और प्रशिक्षण

- भाग लेने वाली एजेंसियाँ: इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी: इस कार्यक्रम में खाड़ी सहयोग परिषद, हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्यों सहित नौ मित्र देशों के 15 वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महत्व और प्रभाव

- बढ़ी हुई राष्ट्रीय क्षमताएँ: संयुक्त विमोचन अभ्यास ने भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।
- वैश्विक योगदान: यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में योगदान देता है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है।

भू-नीर पोर्टल

संदर्भ:

हाल ही में, माननीय जल शक्ति मंत्री ने भारत जल सप्ताह 2024 के समापन समारोह के दौरान नव विकसित "भू-नीर" पोर्टल को डिजिटल रूप से लॉन्च किया।

प्रासंगिकता:

जीएस II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

भू-नीर पोर्टल:

- जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित, भू-नीर पोर्टल देश भर में भूजल विनियमन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अभिनव उपकरण है।

उद्देश्य:

- यह पोर्टल पारदर्शिता, दक्षता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भूजल निष्कर्षण और संबंधित विनियमों को नियंत्रित करने वाले कानूनी दिशानिर्देशों में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए संरचित है।
- पोर्टल के भीतर एक केंद्रीकृत डेटाबेस उपयोगकर्ताओं को भूजल अनुपालन, प्रासंगिक नीतियों और स्थिरता उपायों के बारे में आवश्यक जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करता है।
- भूजल निकासी परमिट के लिए आवेदन करने वाले परियोजना समर्थकों के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं को एकीकृत किया गया है। पैन-आधारित एकल आईडी प्रणाली और क्यूआर कोड के साथ एनओसी जैसी सुविधाएँ पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाती हैं, जो इसके पूर्ववर्ती, एनओसीएपी से एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं।

महत्व:

- भू-नीर पोर्टल को भूजल विनियमन प्रक्रियाओं को सहज और गैर-संवादात्मक बनाकर व्यापार करने में आसानी की पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पहुँच:

- पोर्टल अब चालू है और सार्वजनिक पहुँच के लिए उपलब्ध है। परियोजना समर्थकों को भूजल निकासी से संबंधित पूछताछ, आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने और वैधानिक शुल्क के भुगतान के लिए पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल विकसित किया

संदर्भ:

- नवी मुंबई में भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (IIG) के वैज्ञानिकों ने भारतीय भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट (IEEJ) मॉडल नामक एक अभूतपूर्व मॉडल विकसित किया है। यह अभिनव उपकरण विशेष रूप से भारतीय क्षेत्र में इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट के लिए पूर्वानुमानों की सटीकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत के दक्षिणी सिरे के पास तिरुनेलवेली स्टेशन पर स्थित ग्राउंड-आधारित मैग्नेटोमीटर से डेटा का उपयोग करते हुए, मॉडल इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट के नियमित माप की सुविधा प्रदान करता है।

प्रासंगिकता:

GS III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक प्रक्रियाओं का अवलोकन

इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट (EEJ)

- परिभाषा: इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट भू-चुंबकीय भूमध्य रेखा पर आयनमंडल में पूर्व की ओर बहने वाली तीव्र विद्युत धारा की एक संकीर्ण पट्टी है, जो आमतौर पर 105 और 110 किलोमीटर की ऊँचाई पर पाई जाती है।
- भौगोलिक प्रासंगिकता: यह घटना भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि देश का दक्षिणी सिरा पृथ्वी के भू-चुंबकीय भूमध्य रेखा के समीप है, जहाँ यह मजबूत धारा मौजूद है।

IEEJ मॉडल क्षमताएँ

- सिमुलेशन टूल: IEEJ मॉडल में एक वेब इंटरफ़ेस है जो अलग-अलग स्थितियों, जैसे कि अलग-अलग तिथियों और सौर गतिविधि के स्तरों के तहत इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट के सिमुलेशन की सुविधा देता है।
- उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस: यह पहुँच शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को EEJ व्यवहार को मॉडल और भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है, जो संबंधित क्षेत्रों में योजना और परिचालन उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग

विभिन्न उद्योगों में कई व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए भूमध्यरेखीय आयनमंडलीय प्रक्रियाओं की समझ और मॉडलिंग महत्वपूर्ण है:

1. सैटेलाइट ऑर्बिटल डायनेमिक्स
2. ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)
3. सैटेलाइट संचार लिंक
4. इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड
5. ट्रांसमिशन लाइन
6. तेल और गैस उद्योग पाइपलाइन

भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024

संदर्भ:

हाल ही में, भारत की साइबर सुरक्षा लचीलापन को मजबूत करने के लिए भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (भारत NCX 2024) का उद्घाटन किया गया।

प्रासंगिकता:

GS III: सुरक्षा चुनौतियाँ

भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास विवरण:

- यह एक व्यापक 12-दिवसीय अभ्यास है जिसे बढ़ते खतरों के खिलाफ भारतीय साइबर सुरक्षा पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उन्हें उन्नत साइबर रक्षा क्षमताओं से लैस करके।

अभ्यास के मुख्य पहलू:

- साइबर रक्षा प्रशिक्षण: साइबर हमलों का मुकाबला करने और घटनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीके पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- लाइव-फायर सिमुलेशन: सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर नकली साइबर हमलों के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव की सुविधा प्रदान करता है।
- रणनीतिक निर्णय लेना: राष्ट्रीय साइबर संकटों से निपटने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के लिए सिमुलेशन अभ्यास प्रदान करता है।
- CISO का सम्मेलन: एक सभा जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी हाल के रुझानों और सरकारी पहलों पर चर्चा करते हैं।
- साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी: एक ऐसा कार्यक्रम जो भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा समाधानों पर प्रकाश डालता है।

नरसापुरम लेस क्राफ्ट

संदर्भ:

प्रसिद्ध नरसापुरम लेस क्राफ्ट ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त किया है।

प्रासंगिकता:

GS I: इतिहास

लेख के आयाम:

1. 1. नरसापुर लेस क्राफ्ट
2. 2. भौगोलिक संकेत (GI) टैग

नरसापुर लेस क्राफ्ट

स्थान और ऐतिहासिक महत्व:

- नरसापुर भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
- नरसापुर में फीता शिल्प की शुरुआत लगभग 150 साल पहले स्थानीय कृषक समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई थी।
- इस शिल्प ने 1899 के भारतीय अकाल और 1929 की महामंदी सहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का सामना किया है। 1900 के दशक की शुरुआत तक, गोदावरी क्षेत्र की 2,000 से अधिक महिलाएँ इससे जुड़ी थीं।

शिल्प कौशल और तकनीक:

- फीते को विभिन्न आकारों के महीन धागों और पतली क्रोकेट सुइयों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जो जटिल कारीगरी को दर्शाता है।
- नरसापुर के फीता कारीगर डोइली, तकिया कवर, कुशन कवर, बेडस्प्रेड, टेबल रनर और टेबल क्लॉथ सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव:

- नरसापुर के फीता उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व दिया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को महत्वपूर्ण निर्यात होता है।
- नरसापुर में फीता शिल्प का निरंतर अभ्यास न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, बल्कि इस क्षेत्र में एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करता है।

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग

परिभाषा और महत्व:

- वस्तुओं के भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद के मूल देश या स्थान को इंगित करते हैं।
- वे उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जो उसके विशिष्ट भौगोलिक स्थान से प्राप्त होती है।
- जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का एक अनिवार्य घटक है और पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत संरक्षित हैं।

प्रशासन और पंजीकरण:

- भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित है।
- पंजीकरण और संरक्षण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DIPIT) के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध है, और इसे 10-10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

महत्व और उदाहरण:

- जीआई टैग उत्पादों को उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर एक विशिष्ट पहचान और प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं।
- भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय थी।
- कर्नाटक में सबसे अधिक 47 पंजीकृत उत्पाद हैं, जिसके बाद तमिलनाडु में 39 उत्पाद हैं।

- कानून द्वारा स्थापित कोई भी संघ, संगठन या प्राधिकरण जीआई टैग का पंजीकृत स्वामी हो सकता है।
- पंजीकृत स्वामी का नाम लागू उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

सुरक्षा और प्रवर्तन:

- भौगोलिक संकेत उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हैं और उत्पाद के नाम या उत्पत्ति के अनधिकृत उपयोग को रोकते हैं।
- जीआई अधिकारों का प्रवर्तन उनके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है।

भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का स्थान:

- भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई, भारत में स्थित है।

गुरु तेग बहादुर

संदर्भ:

भारत के राष्ट्रपति ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस (24 नवंबर) की पूर्व संध्या पर सिख गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान पर जोर दिया। प्रासंगिकता:

GS I- इतिहास

लेख के आयाम:

1. गुरु तेग बहादुर के बारे में
2. मुगलों से मुठभेड़
3. गुरु की शहादत

गुरु तेग बहादुर के बारे में:

- तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल, 1621 को अमृतसर में माता नानकी और गुरु हरगोबिंद के घर हुआ था, जो छठे सिख गुरु थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ एक सेना खड़ी की और योद्धा संतों की अवधारणा पेश की।
- एक लड़के के रूप में, तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्याग मल कहा जाता था।
- उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन अमृतसर में भाई गुरदास के संरक्षण में बिताया, जिन्होंने उन्हें गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सिखाया, जबकि बाबा बुड्ढा ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया।
- वह केवल 13 वर्ष के थे जब उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया।
- युद्ध में उनकी बहादुरी और तलवारबाजी ने उन्हें तेग बहादुर नाम दिया।
- 1632 में करतारपुर में उनकी शादी माता गुजरी से हुई और उसके बाद वे अमृतसर के पास बकाला चले गए। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के दस गुरुओं में से नौवें थे।

गुरु का समय

- उस समय औरंगजेब मुगल सम्राट था। गुरु तेग बहादुर ने मालवा और माझा के माध्यम से बड़े पैमाने पर यात्रा करना शुरू कर दिया, पहली बार अधिकारियों के साथ संघर्ष में आए जब उन्होंने पीर और फकीरों की कब्रों पर पूजा करने की परंपरा पर सवाल उठाना शुरू किया।
- उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ प्रचार किया और अपने अनुयायियों से 'निरभौ' (निडर) और 'निरवैर' (ईर्ष्या के बिना) बनने का आग्रह किया।
- सधुक्कड़ी और ब्रज भाषाओं के मिश्रण में दिए गए उनके उपदेश सिंध से बंगाल तक व्यापक रूप से समझे जाते थे।
- उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए रूपक पूरे उत्तर भारत के लोगों को पसंद आए।
- गुरु तेग बहादुर अक्सर अपने उपदेशों में पांचाली (द्रौपदी) और गणिका का जिक्र करते थे और घोषणा करते थे कि अगर हिंदुस्तान एक ईश्वर की शरण में चला जाए तो वह अपनी पवित्रता वापस पा सकता है।

मुगलों से टकराव

- जैसे-जैसे उनका संदेश फैलने लगा, वर्तमान हरियाणा के जींद के पास धमतान में एक स्थानीय सरदार ने उन्हें ग्रामीणों से राजस्व एकत्र करने के झूठे आरोपों में पकड़ लिया और दिल्ली ले गया।
- लेकिन आमेर के राजा राम सिंह, जिनका परिवार लंबे समय से गुरुओं का अनुयायी था, ने हस्तक्षेप किया और उन्हें लगभग दो महीने तक अपने घर में रखा, जब तक कि उन्होंने औरंगजेब को यह विश्वास नहीं दिला दिया कि गुरु एक पवित्र व्यक्ति थे और उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी।
- इससे पहले, आमेर के राजा जय सिंह ने एक धर्मशाला के लिए भूमि दान की थी, जहाँ गुरु दिल्ली आने पर आराम कर सकते थे।
- वर्तमान बंगला साहिब गुरुद्वारा इसी स्थान पर बना है।

पंजाब से आगे की यात्राएँ

- 1665 में वर्तमान आनंदपुर साहिब में अपना मुख्यालय स्थापित करने के एक साल से थोड़ा अधिक समय बाद, गुरु ने पूर्व में ढाका और ओडिशा में पुरी तक यात्रा करते हुए चार साल बिताए।

- उन्होंने मथुरा, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और पटना का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने अपनी पत्नी और उसके भाई को स्थानीय भक्तों की देखभाल में छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था।
- जब गुरु ढाका से वापस आ रहे थे, तब राजा राम सिंह ने अहोम राजा के साथ समझौता करवाने के लिए उनकी मदद मांगी।
- ब्रह्मपुत्र के तट पर गुरुद्वारा धुबरी साहिब इस शांति समझौते की याद दिलाता है। गुरु को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी सम्मानित किया गया था।
- इतिहासकारों के अनुसार, मुगलों द्वारा बढ़ते अत्याचारों के बारे में जानने के बाद गुरु वापस पंजाब लौट आए।

गुरु की शहादत

- गुरु द्वारा इस्लाम अपनाने से इनकार करने के बाद औरंगजेब ने 11 नवंबर, 1675 को गुरु को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आदेश दिया।
- उन्हें उनके तीन साथियों के साथ चांदनी चौक में यातना देकर मार डाला गया, भाई मति दास को चीर दिया गया, भाई सती दास को जला दिया गया और भाई दयाला जी को उबलते पानी में डाल दिया गया।
- अंत तक उन्हें अपना मन बदलने के लिए कहा गया, लेकिन वे दृढ़ रहे।
- 1784 में, गुरुद्वारा सीस गंज का निर्माण उस स्थान पर किया गया, जहाँ उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। विचित्र नाटक में अपने पिता का वर्णन करते हुए, खालसा की स्थापना करने वाले दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा: "धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर नहीं दिया।"

सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम

संदर्भ:

हाल ही में, ओडिशा के चौबीस तटीय गाँवों को यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा 'सुनामी तैयार' के रूप में मान्यता दी गई।

प्रासंगिकता:

GS I: भूगोल

लेख के आयाम:

1. सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम
2. भारत में सुनामी की तैयारी

सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम

परिचय

- सुनामी तैयारी मान्यता कार्यक्रम यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (आईओसी) द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय पहल है। यह समुदाय स्तर पर सुनामी की तैयारियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जीवन, आजीविका और संपत्ति की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है।

उद्देश्य और लक्ष्य

- उद्देश्य: प्राथमिक उद्देश्य लचीले समुदायों का निर्माण करना है जो सुनामी से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों के बारे में अच्छी तरह से तैयार और सूचित हों, जिससे संभावित नुकसान और हताहतों की संख्या कम हो।
- मुख्य लक्ष्य: कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जागरूकता, शिक्षा और कार्रवाई योग्य रणनीतियों के माध्यम से सुनामी के लिए तटीय समुदाय की तैयारी में सुधार करना है। इसमें प्रभावी प्रतिक्रिया योजनाओं का विकास शामिल है जिन्हें सुनामी की स्थिति में तेजी से क्रियान्वित किया जा सकता है।

कार्यान्वयन और आवश्यकताएँ

- सामुदायिक भागीदारी: यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और स्थानीय चेतावनी और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, सामुदायिक नेताओं और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से संचालित होता है।
- तैयारी के संकेतक: 'सुनामी के लिए तैयार' मान्यता प्राप्त करने के लिए, समुदायों को 12 विशिष्ट संकेतकों को पूरा करना होगा, जो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हैं:
- मूल्यांकन: समुदाय के भीतर सुनामी के जोखिम और कमजोरियों का मूल्यांकन करना।
- तैयारी: शिक्षा और योजना सहित तैयारी उपायों की स्थापना और प्रचार करना।
- प्रतिक्रिया: प्रभावी प्रतिक्रिया रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना जिन्हें तेजी से लागू किया जा सके।
- मान्यता और नवीनीकरण: सभी संकेतकों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले समुदायों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को/आईओसी द्वारा 'सुनामी के लिए तैयार' के रूप में मान्यता दी जाती है। जोखिम या सर्वोत्तम प्रथाओं में किसी भी बदलाव के लिए निरंतर अनुपालन और अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए यह मान्यता हर चार साल में नवीनीकरण के अधीन है।

महत्व और प्रभाव

- प्रदर्शन-आधारित: यह कार्यक्रम स्वैच्छिक और प्रदर्शन-आधारित है, जो समुदायों को अपनी सुनामी की तैयारी में सक्रिय रूप से सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- बढ़ी हुई सुरक्षा और लचीलापन: स्थापित मानदंडों को पूरा करके, समुदाय न केवल अपनी सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि सुनामी के खिलाफ समग्र लचीलापन भी बढ़ाते हैं, जिससे मानव जीवन और आर्थिक स्थिरता दोनों पर प्रभाव कम हो सकता है।
- वैश्विक और स्थानीय सहयोग: यह तत्परता की व्यापक समझ को बढ़ावा देता है जिसमें वैश्विक ज्ञान और स्थानीय कार्रवाई दोनों शामिल हैं, जो वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को समुदाय-आधारित पहलों के साथ एकीकृत करता है।

सुनामी अवलोकन:

- सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भूकंपीय गतिविधियों के कारण होने वाली विशाल समुद्री लहरों की एक श्रृंखला है।
- लंबी तरंग दैर्ध्य और उच्च ऊर्जा की विशेषता वाली सुनामी पूरे महासागर बेसिन को पार कर सकती है, जिससे तटरेखा तक पहुँचने पर व्यापक विनाश होता है।
- ये लहरें काफी ऊँचाई तक पहुँच सकती हैं, गहरे पानी में तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और उथले क्षेत्रों में धीमी हो जाती हैं।

सुनामी निर्माण के पीछे के कारक:

पानी के नीचे भूकंप:

- टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने से भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती हैं, जो पानी के माध्यम से फैलती हैं और सुनामी पैदा करती हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोट: ज्वालामुखी गतिविधि, विशेष रूप से समुद्र के नीचे, पानी को विस्थापित करती है, जिससे सुनामी आती है, विशेष रूप से ज्वालामुखी द्वीप के ढहने या विस्फोटक विस्फोट के दौरान।

भूस्खलन:

- विभिन्न कारकों के कारण होने वाले पानी के नीचे के भूस्खलन, पानी को विस्थापित करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण सुनामी लहरें पैदा होती हैं।

उल्कापिंड का प्रभाव:

- दुर्लभ लेकिन संभव; समुद्र में एक बड़े उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह का प्रभाव सुनामी जैसी लहरें पैदा कर सकता है।

पानी के नीचे विस्फोट:

- पानी के नीचे विस्फोट जैसी मानवीय गतिविधियाँ, सुनामी उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं।

विनाश का कारण:

- खुले समुद्र में तेज़ गति से यात्रा करने वाली सुनामी लहरें, तटीय क्षेत्रों में पहुँचने पर विनाशकारी शक्ति छोड़ती हैं।
- अद्वितीय ऊर्जा और तरंगदैर्ध्य विशेषताएँ उन्हें नियमित समुद्री लहरों से अलग करती हैं, जो जलमग्न होने पर व्यापक क्षति पहुँचाती हैं।

सुनामी की तैयारी:

- तटीय समुदायों पर सुनामी के प्रभाव को कम करने में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और तैयारी के उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सुनामी के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएँ और प्रभावी संचार आवश्यक घटक हैं।

भारत में सुनामी की तैयारी:

हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली (IOTWS):

- भारत हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली (IOTWS) में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- इस प्रणाली में भूकंपीय और समुद्र-स्तर सेंसर शामिल हैं, जिन्हें पानी के नीचे भूकंप का पता लगाने और समुद्र के स्तर में होने वाले बदलावों की निगरानी करने के लिए रणनीतिक रूप से रखा गया है।
- एकत्र की गई जानकारी का उपयोग तटीय समुदायों को समय पर चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है।

सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC):

- सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC) हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) में स्थित है।
- ITEWC हितधारकों को सुनामी संबंधी सलाह प्रदान करता है।

सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:

- INCOIS, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से, सुनामी जागरूकता और तैयारियों पर मॉक ड्रिल आयोजित करता है और कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण आयोजित करता है।

सामुदायिक तैयारी को बढ़ाना:

- INCOIS सामुदायिक तैयारी को बढ़ाने के लिए यूनेस्को-IOC "सुनामी तैयार" पहल के कार्यान्वयन का समन्वय करता है।
- ओडिशा के वेंकटरायपुर और नोलियासाही जैसे गांवों को यूनेस्को-आईओसी द्वारा सुनामी-तैयार समुदायों के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे भारत यह सम्मान प्राप्त करने वाला हिंद महासागर क्षेत्र का पहला देश बन गया है।

सॉफ्टवेयर और मल्टीमोड प्रसार:

- आईएनसीओआईएस के पास भूकंप की निगरानी और सुनामी की पूर्व चेतावनी के मल्टीमोड प्रसार के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर है।
- निर्णय सहायता प्रणाली सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से एनडीएमए कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) प्रणाली के साथ एकीकृत होकर चेतावनी उत्पन्न करता है और प्रसारित करता है।
- आईएनसीओआईएस ने समुद्री डेटा संसाधनों और सलाह के लिए समुद्री उपयोगकर्ताओं तक प्रभावी पहुंच के लिए "समुद्र" मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है।

तकनीकी वस्त्र

संदर्भ:

हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के तहत 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे स्वीकृत शोध परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 168 हो गई है।

प्रासंगिकता:

GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था

लेख के आयाम:

1. तकनीकी वस्त्रों के बारे में
2. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में

तकनीकी वस्त्रों के बारे में

- तकनीकी वस्त्रों को वस्त्र सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मुख्य रूप से सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं।
- तकनीकी वस्त्रों में ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र (जैसे, प्रत्यारोपण), भू-वस्त्र (तटबंधों का सुदृढ़ीकरण), कृषि वस्त्र (फसल सुरक्षा के लिए वस्त्र), और सुरक्षात्मक कपड़े (जैसे, अग्निशामक कपड़ों के लिए गर्मी और विकिरण सुरक्षा, वेल्डर के लिए पिघली हुई धातु सुरक्षा, छुरा सुरक्षा और बुलेटप्रूफ वेस्ट, और स्पेससूट) शामिल हैं।

तकनीकी वस्त्रों का महत्व और संभावित अनुप्रयोग

- तकनीकी वस्त्रों का उपयोग पिछले कई दशकों से वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। इन सामग्रियों ने अभिनव परियोजनाएँ प्रदान की हैं।
- यद्यपि तकनीकी वस्त्रों का विकसित और साथ ही कई विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, फिर भी भारत को अभी तक बड़े पैमाने पर तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों का लाभ उठाना बाकी है।
- भारत के विभिन्न हिस्से बाढ़ और पर्यावरणीय गिरावट के अधीन हैं। कुछ इलाकों में, बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण तकनीकी वस्त्र ट्यूब, कंटेनर और बैग पर निर्भर हो सकता है।
- तकनीकी वस्त्रों को पारगम्यता, लचीलेपन और पानी के नीचे रखने में आसानी के कारण जल संरक्षण घटक के रूप में कंक्रीट से बेहतर प्रदर्शन करते पाया गया है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने भारत को तकनीकी वस्त्रों में "वैश्विक नेता" के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए कुल 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसे चार वर्षों (2020-2024) में क्रियान्वित किया जाएगा और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान, निर्यात और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने और 2023-24 तक प्रति वर्ष निर्यात में 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी वस्त्रों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी।

उद्देश्य:

- मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी वस्त्रों में सर्वोच्च स्थान दिलाना है इस मिशन का उद्देश्य देश में तकनीकी वस्त्रों के प्रवेश स्तर में सुधार करना भी है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5-10% है, जबकि उन्नत देशों में यह 30-70% है। अधिकारियों का लक्ष्य भारतीय तकनीकी वस्त्रों के लिए वैश्विक बाजार को बढ़ाना है मिशन के उद्देश्यों को सरल बनाने के लिए इसे चार घटकों में भी विभाजित किया गया है मिशन रणनीतिक क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अभ्यास सी विजिल

संदर्भ:

भारतीय नौसेना 20 और 21 नवंबर 24 को 'पैन-इंडिया' तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-24' के चौथे संस्करण का आयोजन करने के लिए तैयार है।

प्रासंगिकता:

जीएस III: सुरक्षा चुनौतियाँ

अभ्यास सी विजिल के बारे में:

- राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में '26/11' के बाद से समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में शुरू किए गए उपायों की एक श्रृंखला के सत्यापन के उपकरण के रूप में की गई थी।
- 'सी विजिल' की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करेगी और तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करेगी।
- एक्स सी विजिल के इस चौथे संस्करण में 06 मंत्रालय और 21 संगठन/एजेंसियाँ शामिल हैं।
- यह अभ्यास तटीय परिसंपत्तियों जैसे बंदरगाहों, तेल रिग, सिंगल पॉइंट मूरिंग, केबल लैंडिंग पॉइंट और तटीय आबादी सहित महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के निर्माण पर केंद्रित होगा।
- इस वर्ष अन्य सेवाओं (भारतीय सेना और वायु सेना) की भागीदारी और बड़ी संख्या में जहाजों और विमानों की नियोजित तैनाती ने अभ्यास की गति को बढ़ा दिया है। यह अभ्यास तटीय सुरक्षा के पूरे बुनियादी ढांचे और मछुआरों और तट के किनारे रहने वाले अन्य लोगों सहित सभी समुद्री हितधारकों को सक्रिय करेगा।
- समुद्री सुरक्षा के बारे में तटीय समुदायों को संवेदनशील बनाना इस अभ्यास के उद्देश्यों में से एक है, और इसलिए मछुआरा समुदाय, तटीय आबादी और एनसीसी तथा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के छात्रों को शामिल करने से इस प्रयास को और अधिक उत्साहपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी।
- भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास सी विजिल एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है तथा यह भारत की समुद्री रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं का एकीकृत मूल्यांकन है।
- यह थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स) का अग्रदूत है, जिसे भारतीय नौसेना हर दो साल में आयोजित करती है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

संदर्भ:

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (एनएलएसडी) हर साल 9 नवंबर को सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

प्रासंगिकता:

जीएस II- राजनीति

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में:

- एनएलएसडी की शुरुआत सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की थी।
- सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष मामलों में निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- यह देश के नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और वादियों के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन, प्रत्येक क्षेत्राधिकार कानूनी सहायता शिविर, लोक अदालत और कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित करता है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य:

- निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।
- कानूनी जागरूकता फैलाना।
- लोक अदालतों का आयोजन करना।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटान को बढ़ावा देना। एडीआर तंत्र के विभिन्न प्रकार हैं मध्यस्थता, समझौता, न्यायिक निपटान जिसमें लोक अदालत या मध्यस्थता के माध्यम से निपटान शामिल है।
- अपराध के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करें।

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा संस्थान:

राष्ट्रीय स्तर:

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)। इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं।

राज्य स्तर:

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका अध्यक्ष राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो इसका मुख्य संरक्षक होता है।

जिला स्तर

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिले का जिला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

नि:शुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति:

- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के पीड़ित।
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में व्यक्ति
- वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में है, और 5 लाख रुपये से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है।
- मानव तस्करी या बेगार के शिकार।

कोणार्क सूर्य मंदिर

संदर्भ:

हाल ही में, कोणार्क मंदिर के प्रतिष्ठित कोणार्क पहियों की चार बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियाँ राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में स्थापित की गई हैं। यह पहल राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्वों को शामिल करने के विभिन्न प्रयासों में से एक है।

प्रासंगिकता:

GS I: इतिहास

लेख के आयाम:

1. कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में मुख्य तथ्य

कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में मुख्य तथ्य:

स्थान और विशेषता:

- कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है जो भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट के किनारे कोणार्क में स्थित है।
- इसे पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम का माना जाता है और इसे लगभग 1250 ई. में बनाया गया था।
- मंदिर हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है।

वास्तुकला चमत्कार:

- मंदिर परिसर अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जो विशाल पत्थर के पहियों और घोड़ों के साथ 100 फुट ऊंचे रथ जैसा दिखता है।
- यह वास्तुशिल्प कृति पूरी तरह से पत्थर से उकेरी गई है।
- इसे कलिंग मंदिर वास्तुकला का शिखर माना जाता है।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:

- कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है।
- यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है और इसे 10 रुपये के भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ दिखाया गया है।

रंगीन उपनाम:

- यूरोपीय नाविकों ने मंदिर को 1676 की शुरुआत में "ब्लैक पैगोडा" के रूप में संदर्भित किया था क्योंकि यह एक काले रंग के स्तरित टॉवर जैसा दिखता था। इसके विपरीत, पुरी में जगन्नाथ मंदिर को "व्हाइट पैगोडा" कहा जाता था।

मुख्य विशेषताएं:

- मंदिर सूर्य देव के रथ का प्रतीक है, जिसे सात घोड़े खींचते हैं और बारह जोड़ी पहिए हैं, जो आकाश में सूर्य की गति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- प्रत्येक पहिए में 24 तीलियाँ हैं, जो एक दिन में 24 घंटों को दर्शाती हैं। ये पहिए सूर्यघड़ी के रूप में भी काम करते थे, जिनकी छाया दिन के समय को दर्शाती थी।
- मंदिर परिसर में विमान (मुख्य अभयारण्य), जहामोगना (दर्शक हॉल), और नटमंदिर (नृत्य हॉल) सहित अच्छी तरह से व्यवस्थित स्थानिक इकाइयाँ हैं।

- विमान में एक बार एक ऊंचा टॉवर था जिसमें एक शिखर (मुकुट) था, जिसे रेखा देउल के नाम से जाना जाता था, जिसे 19वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था।

वास्तुशिल्प महत्व:

- कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग राजवंश की वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा का एक प्रमाण है। यह धार्मिक प्रतीकवाद को खगोलीय और समय-निर्धारण तत्वों के साथ जोड़ता है, जो इसे एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाना बनाता है।

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना

संदर्भ:

- मत्स्य पालन विभाग ने हाल ही में लागू प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की एक उप-योजना है।

प्रासंगिकता:

जीएस II- सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

लेख के आयाम:

1. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के बारे में
2. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के बारे में

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के बारे में:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना को मंजूरी दे दी है।
- यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 वर्षों के लिए लागू की जाएगी।

उद्देश्य:

- यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने और संस्थागत ऋण तक पहुँच बढ़ाने में मदद करेगी।

आबंटित निधि:

- अगले 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 6000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

वित्त:

- विश्व बैंक और एएफडी बाहरी वित्तपोषण सहित सार्वजनिक वित्त से लगभग 3,000 करोड़ रुपये आएंगे, और शेष 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा योगदान दिया जाएगा।

महत्व:

- यह पहल 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों का समर्थन करेगी, जिससे संस्थागत ऋण तक पहुँच होगी।
- यह उप-योजना 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को कार्य-आधारित पहचान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेट-फ़ॉर्म बनाने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को 2020 में पाँच वर्षों (2020-2025) की अवधि में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए शुरू किया गया था।
- यह मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक छत्र योजना है जिसका कुल परिव्यय 20050 करोड़ रुपये है।

इसके दो घटक हैं

- योजना (सीएस) घटक जिसमें एक गैर-लाभार्थी-उन्मुख योजना और एक लाभार्थी-उन्मुख योजना (सामान्य श्रेणी के लिए केंद्रीय सहायता – 40%; एससी/एसटी/महिलाएं – 60%) शामिल है।
- केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक जिसमें एक गैर-लाभार्थी-उन्मुख योजना और लाभार्थी-उन्मुख योजना शामिल है। वित्तपोषण का अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता – 90%, अन्य राज्यों के लिए – 60%; और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए – 100%।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आने वाले संभावित क्षेत्र हैं:

- मछली उत्पादन
- मत्स्य पालन उत्पादकता
- मत्स् पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों की गुणवत्ता
- कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा और प्रबंधन
- मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण

- मछुआरों और मछली किसानों का कल्याण
- मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा

बीमा कवरेज:

- पीएमएमएसवाई के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज में शामिल हैं
- दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000/- रुपये,
- स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000/- रुपये
- दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 25,000/- रुपये।

PMMSY के उद्देश्य हैं:

- मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों का विकास करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से दोहन करना।
- मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि और जल संसाधनों का कुशल उपयोग करना।
- कटाई के बाद के प्रबंधन और गुणवत्ता सुधार पर विचार करते हुए मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना।
- मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार पैदा करना।
- समग्र कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और निर्यात में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
- मछली पालन करने वाले किसानों और मछुआरों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना।
- एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा विकसित करना।

नमो ड्रोन दीदी योजना

संदर्भ:

हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA&FW) ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन तकनीक के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) पहल के तहत 14,500 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सशक्त बनाना है।

प्रासंगिकता:

GS II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

नमो ड्रोन दीदी योजना का अवलोकन

- नमो ड्रोन दीदी योजना एक अभिनव सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सशक्त बनाना है। यह योजना उर्वरकों और कीटनाशकों को छिड़कने, फसल की पैदावार बढ़ाने और कृषि पद्धतियों के लिए परिचालन लागत को कम करने के लिए ड्रोन के उपयोग की सुविधा प्रदान करती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- वित्तीय सहायता: यह योजना ड्रोन की लागत का 80%, यानी 8 लाख रुपये तक, कवर करने वाली पर्याप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- अतिरिक्त वित्तपोषण: कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (एआईएफ) के माध्यम से आगे का वित्तपोषण उपलब्ध है, जो प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- उपकरण और वारंटी: लाभार्थियों को एक व्यापक पैकेज मिलता है जिसमें बैटरी, स्प्रे उपकरण, उपकरण और एक साल की वारंटी जैसे आवश्यक सामान से लैस एक ड्रोन शामिल है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रमाणित ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रत्येक भाग लेने वाली महिला एसएचजी के एक सदस्य को अनिवार्य 15-दिवसीय प्रशिक्षण सत्र प्रदान किया जाता है। पोषक तत्वों और कीटनाशकों के प्रसार के लिए ड्रोन के कृषि अनुप्रयोग पर अतिरिक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

शासी एजेंसियाँ

- केंद्रीय स्तर: सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति कार्यक्रम की देखरेख करती है, जिसमें कई विभाग शामिल होते हैं:
  - कृषि, वानिकी और वन्यजीव विभाग (DoA&FW)
  - ग्रामीण विकास विभाग
  - उर्वरक विभाग
  - नागरिक उड्डयन मंत्रालय
  - महिला और बाल विकास मंत्रालय
  - राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन: राज्य स्तर पर, प्रमुख उर्वरक कंपनियाँ (LFC) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे प्रभावी ड्रोन वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य विभागों और SHG के साथ समन्वय करते हैं।

प्रभाव और कार्यान्वयन

- यह योजना न केवल महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखती है। महिलाओं को आधुनिक उपकरणों और कौशल से लैस करके, नमो ड्रोन दीदी योजना पारंपरिक कृषि प्रथाओं के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने, संभावित रूप से कृषि परिदृश्य में क्रांति लाने और पूरे भारत में महिलाओं को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक मिसाल कायम करती है।

तकनीकी वस्त्र

संदर्भ:

हाल ही में, कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के तहत 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे स्वीकृत शोध परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 168 हो गई है।

प्रासंगिकता:

GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था

लेख के आयाम:

1. तकनीकी वस्त्रों के बारे में
2. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में

तकनीकी वस्त्रों के बारे में

- तकनीकी वस्त्रों को मुख्य रूप से उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के बजाय सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के लिए निर्मित कपड़ा सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- तकनीकी वस्त्रों में मोटर वाहन अनुप्रयोगों के लिए वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र (जैसे, प्रत्यारोपण), भू-वस्त्र (तटबंधों का सुदृढ़ीकरण), कृषि वस्त्र (फसल सुरक्षा के लिए वस्त्र), और सुरक्षात्मक वस्त्र (जैसे, अग्निशामक कपड़ों के लिए गर्मी और विकिरण सुरक्षा, वेल्डर के लिए पिघली हुई धातु सुरक्षा, छुरा सुरक्षा और बुलेटप्रूफ जैकेट, और स्पेससूट) शामिल हैं।

तकनीकी वस्त्रों का महत्व और संभावित अनुप्रयोग

- तकनीकी वस्त्रों का उपयोग पिछले कई दशकों से वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। इन सामग्रियों ने अभिनव परियोजनाएँ प्रदान की हैं।
- यद्यपि तकनीकी वस्त्रों का विकसित और साथ ही कई विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, भारत ने अभी तक बड़े पैमाने पर तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों का लाभ नहीं उठाया है।
- भारत के विभिन्न हिस्से बाढ़ और पर्यावरणीय गिरावट के अधीन हैं। कुछ इलाकों में, बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण तकनीकी वस्त्र ट्यूब, कंटेनर और बैग पर निर्भर हो सकता है।
- तकनीकी वस्त्रों को पारगम्यता, लचीलेपन और पानी के नीचे रखने में आसानी के कारण जल संरक्षण घटक के रूप में कंक्रीट से बेहतर प्रदर्शन करते पाया गया है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारत को तकनीकी वस्त्रों में "वैश्विक नेता" के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के लिए कुल 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसे चार वर्षों (2020-2024) में क्रियान्वित किया जाएगा और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान, निर्यात और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
- तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने और 2023-24 तक प्रति वर्ष निर्यात में 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी वस्त्रों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी।

उद्देश्य:

- मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी वस्त्रों में सर्वोच्च स्थान दिलाना है
- इस मिशन का उद्देश्य देश में तकनीकी वस्त्रों के प्रवेश स्तर में सुधार करना भी है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5-10% है, जबकि उन्नत देशों में यह 30-70% है।
- अधिकारियों का लक्ष्य भारतीय तकनीकी वस्त्रों के लिए वैश्विक बाजार को बढ़ाना है। मिशन के उद्देश्यों को सरल बनाने के लिए इसे चार घटकों में भी विभाजित किया गया है। मिशन रणनीतिक क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अभ्यास सी विजिल

संदर्भ:

भारतीय नौसेना 20 और 21 नवंबर 24 को 'पैन-इंडिया' तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-24' के चौथे संस्करण का आयोजन करने के लिए तैयार है।

प्रासंगिकता:

जीएस III: सुरक्षा चुनौतियां

अभ्यास सी विजिल के बारे में:

- राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में 26/11 के बाद से समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए उपायों की एक श्रृंखला के सत्यापन के साधन के रूप में की गई थी।
- 'सी विजिल' की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करेगी और समग्र तटीय रक्षा तंत्र का आकलन करेगी।
- एक्स सी विजिल के इस चौथे संस्करण में 06 मंत्रालय और 21 संगठन/एजेंसियाँ शामिल हैं।
- यह अभ्यास तटीय परिसंपत्तियों जैसे बंदरगाहों, तेल रिगों, सिंगल पॉइंट मूरिंग्स, केबल लैंडिंग पॉइंट्स और तटीय आबादी सहित महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के निर्माण पर केंद्रित होगा।
- इस वर्ष अन्य सेवाओं (भारतीय सेना और वायु सेना) की भागीदारी और बड़ी संख्या में जहाजों और विमानों की नियोजित तैनाती ने अभ्यास की गति को बढ़ा दिया है।
- यह अभ्यास तटीय सुरक्षा के पूरे बुनियादी ढांचे और मछुआरों और तट के किनारे रहने वाले अन्य लोगों सहित सभी समुद्री हितधारकों को सक्रिय करेगा।
- समुद्री सुरक्षा के बारे में तटीय समुदायों को संवेदनशील बनाना इस अभ्यास का एक उद्देश्य है, और इसलिए मछुआरा समुदाय, तटीय आबादी और एनसीसी तथा भारत स्काउट्स और गाइड्स के छात्रों को शामिल करने से इस प्रयास को और भी उत्साह मिलेगा।
- भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास सी विजिल एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है और भारत की समुद्री रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं का एक एकीकृत मूल्यांकन है।
- यह थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) का अग्रदूत है, जिसे भारतीय नौसेना हर दो साल में आयोजित करती है।

8 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत - बांग्लादेश

पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

बांग्लादेश पुलिस द्वारा हिंदू साधु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने और मंगलवार को अदालत द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने के एक दिन बाद, भारत ने "गहरी चिंता" व्यक्त की और अधिकारियों से पड़ोसी देश में "हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने" का आग्रह किया।

भारत और बांग्लादेश के बीच इतिहास:

- विभाजन-पूर्व संबंध: 1947 के विभाजन से सांस्कृतिक और भाषाई संबंध बाधित हुए, जिससे बड़े पैमाने पर परिवार अलग हो गए और पलायन हुआ।
- 1971 मुक्ति संग्राम: भारत के सैन्य और नैतिक समर्थन ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी।
- स्वतंत्रता के बाद का सहयोग: भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था और लोगों के बीच गहरे संबंध साझा करना जारी रखता है।
- साझा बलिदान: विजय दिवस के स्मरणोत्सव जैसे साझा इतिहास के लिए आपसी सम्मान के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया गया है।

सहयोग के क्षेत्र:

- आर्थिक भागीदारी: बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 18.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।
- कनेक्टिविटी: रेल संपर्कों की बहाली, अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (PIWTT), और अगरतला-अखौरा रेल लिंक।
- विकास सहायता: भारत ने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की ऋण रेखाएँ (LoCs) प्रदान कीं।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (IGCC) जैसी संस्थाएँ साझा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती हैं।
- रक्षा सहयोग: CORPAT और बंगोसागर नौसैनिक अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यास सुरक्षा संबंधों को बढ़ाते हैं।

चुनौतियाँ:

- जल बंटवारा: तीस्ता और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर विवाद अभी भी अनसुलझे हैं, जिससे आजीविका और विश्वास प्रभावित हो रहा है।
- अवैध आव्रजन: सीमा पार प्रवास सीमावर्ती भारतीय राज्यों में सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा करता है।
- चीन का प्रभाव: बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बुनियादी ढांचे में निवेश सहित चीन के साथ बांग्लादेश के बढ़ते संबंध भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां पेश करते हैं।
- आतंकवाद और उग्रवाद: उग्रवादी समूहों की सीमा पार गतिविधियाँ और चरमपंथी तत्वों के लिए कथित समर्थन सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
- गैर-टैरिफ बाधाएँ: लंबी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक बाधाओं से व्यापार वृद्धि बाधित होती है।

आगे की राह:

- जल विवादों का समाधान: आपसी बातचीत और समयबद्ध समाधानों के माध्यम से तीस्ता और अन्य नदियों पर समझौतों को प्राथमिकता दें।
- कनेक्टिविटी बढ़ाएँ: आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तटीय, सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करें।
- ऊर्जा सहयोग: स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करें और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जैसी पहलों को अंतिम रूप दें।
- चीन के प्रभाव का मुकाबला करें: क्षेत्रीय भू-राजनीति को संतुलित करने के लिए बांग्लादेश को तकनीकी, वित्तीय और रणनीतिक सहायता प्रदान करें।
- शरणार्थी मुद्दों को संबोधित करें: SAARC पहलों के माध्यम से शरणार्थी संकटों के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय ढांचे पर सहयोग करें।

निष्कर्ष:

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते साझा इतिहास और भविष्य की संभावनाओं से चिह्नित हैं। चुनौतियों का समाधान करके और सहयोग को बढ़ावा देकर, दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे न केवल उन्हें बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।

SAREX-24

संदर्भ:

भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास (SAREX-24) का 11वां संस्करण कोच्चि, केरल में आयोजित किया जा रहा है।

SAREX-24 के बारे में:

- स्थान: कोच्चि, केरल।
- थीम: "क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना।"
- **गतिविधियाँ:**
  - तटरक्षक बल, नौसेना, वायु सेना, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण और सीमा शुल्क की भागीदारी के साथ आकस्मिकताओं से जुड़ा समुद्री अभ्यास।
- **उद्देश्य:**
  - परिचालन दक्षता और समन्वय का मूल्यांकन करें।
  - क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करना।
  - महत्व: अब तक का सबसे बड़ा सिमुलेशन, तटीय राज्यों और मित्र राष्ट्रों के साथ सहकारी जुड़ाव को बढ़ाना।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी

संदर्भ:

भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को एक प्रमुख "शून्य कार्बन" परियोजना के रूप में रेखांकित किया, एक स्थायी, सहकारी पहल के रूप में इसके विकास का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के बारे में:

- विजन: सद्भाव, स्थिरता और भूटान के सकल राष्ट्रीय खुशी दर्शन को बढ़ावा देने वाला एक स्थायी, शून्य-कार्बन शहर बनाना।
- उत्पत्ति: भूटानी जीवन को बेहतर बनाने और स्थायी जीवन के लिए एक वैश्विक मॉडल बनाने के लिए राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा परिकल्पित।
- भारत की भूमिका: निवेश और बुनियादी ढांचे के लिए भारत के साथ रणनीतिक सहयोग, भारत-भूटान संबंधों को मजबूत करना; दोनों देशों को लाभान्वित करने वाली एक सहकारी परियोजना के रूप में देखा जाता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - 2,500 वर्ग किलोमीटर में फैला, जिसमें भूटान का 2.5% भूभाग शामिल है।
  - इसमें संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और 4,000-5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाएँ शामिल हैं।
  - स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून बनाने की शक्तियों के साथ स्व-शासित विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR)।
  - 35 नदियों और नालों पर बने रहने योग्य पुलों से जुड़े मंडला शैली के पड़ोस।
  - जलविद्युत शक्ति, हाइड्रोपोनिक खेती, आध्यात्मिक केंद्र, बाजार और स्वास्थ्य सेवा (पारंपरिक और आधुनिक दोनों) के लिए बुनियादी ढांचा।
  - व्यक्तिगत कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए कम ऊंचाई वाले, पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में डिज़ाइन किया गया।

पाकिस्तान का कुर्रम जिला

संदर्भ:

शिया यात्रियों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान के कुर्रम जिले में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप कई दिनों तक संघर्ष हुआ और काफी लोग हताहत हुए।

कुर्रम जिले के बारे में:

- **स्थान:**
  - उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है।
  - 192 किलोमीटर लंबी डूरंड रेखा के साथ कई क्रॉसिंग के साथ अफगानिस्तान की सीमा।
- **नदी:**
  - जिले का नाम कुर्रम नदी (पश्तो: क्वारमा) के नाम पर रखा गया है, जो संस्कृत शब्द क्रुमु से लिया गया है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
  - रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्र कुर्रम घाटी में स्थित है।
  - लोगर, पक्तिया और नंगरहार जैसे अफगान प्रांतों के साथ सीमा साझा करता है।

- **जनसांख्यिकी:**
  - मुख्य रूप से पश्तून जनजातियाँ: तुरी, बंगाश, ओरकज़ई, वज़ीर और अन्य।
  - शिया-सुन्नी संरचना: शिया तुरी ऊपरी कुर्रम में हावी हैं, जबकि सुन्नी निचले और मध्य कुर्रम में रहते हैं।
- **संघर्ष क्यों:**
  - शासन की विफलताओं के कारण भूमि और संसाधनों पर जनजातीय प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई है।
  - बाहरी प्रभावों (सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता) और स्थानीय शिकायतों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है।
  - ऐतिहासिक कारक: ज़िया-उल-हक की सुन्नी इस्लामीकरण नीतियाँ और शीत युद्ध की भू-राजनीति।

भारत की पड़ोस नीति

पाठ्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ:

भारत की पड़ोस नीति जांच के दायरे में है क्योंकि कई पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के इतिहास के साथ, भारत को अपने पड़ोसियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को क्षेत्रीय संवेदनशीलताओं के साथ अपनी बढ़ती वैश्विक आकांक्षाओं को संतुलित करना चाहिए।

भारत की पड़ोस नीति:

- **पड़ोस पहले नीति:**
  - निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने पर जोर देती है।
  - आर्थिक एकीकरण, विकास साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों की तलाश करती है।
- **गुजराल सिद्धांत:**
  - पड़ोसियों के प्रति गैर-पारस्परिकता और सद्भावना के संकेतों की वकालत करती है।
  - गैर-हस्तक्षेप, संप्रभुता के सम्मान और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है।

एक्ट ईस्ट नीति:

- व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक एकीकरण के लिए भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती है।
- म्यांमार, बांग्लादेश और आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करती है।

पड़ोसियों को संभालने के लिए कूटनीतिक साधन प्रस्तुत करती है:

- **आर्थिक पहल:**
  - बीबीआईएन और सार्क जैसी व्यापार समझौते और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं।
  - नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में ऊर्जा, परिवहन और कनेक्टिविटी में निवेश।
- **सुरक्षा सहयोग:**
  - संयुक्त अभ्यास और आतंकवाद विरोधी प्रयास, जैसे, बिम्सटेक और क्वाड।
  - भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा प्रबंधन समझौते।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:**
  - नेपाल और श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक संबंधों का लाभ उठाना।
  - शैक्षिक छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना।
- **सहायता और सहायता**:
  - संकट के दौरान मानवीय सहायता (जैसे, नेपाल में भूकंप राहत)।
  - भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को विकास सहायता।

सकारात्मक प्रभाव:

- **आर्थिक विकास:**
  - बांग्लादेश और भूटान के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग में वृद्धि।
  - बांग्लादेश के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी सीमा पार परियोजनाएँ।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:**
  - हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग।
  - आपदा प्रबंधन में सक्रिय उपाय सद्भावना को मजबूत करते हैं।

सॉफ्ट पावर:

- पड़ोसी देशों में भारतीय संस्कृति, फिल्मों और शैक्षिक पहलों की लोकप्रियता।
- रामायण सर्किट जैसी धार्मिक पर्यटन पहल।

नकारात्मक प्रभाव:

- **विश्वास की कमी:**
  - नेपाल और श्रीलंका में भारत को "बड़े भाई" के रूप में देखा जाता है।
  - आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप के आरोप, जैसे मालदीव और नेपाल।
- **चीनी प्रभाव:**
  - चीन की बेल्ट एंड रोड पहल भारत के पड़ोसियों को आर्थिक विकल्प प्रदान करती है।
  - श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से रणनीतिक घेराबंदी।
- **सुरक्षा चिंताएँ:**
  - बांग्लादेश और मालदीव में राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भारत विरोधी भावना में वृद्धि।
  - नेपाल के साथ सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करते हैं।
  - नेपाल के साथ सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करते हैं।
  - पड़ोसी संबंधों को प्राथमिकता देने के उपाय:
- **संप्रभुता का सम्मान करें:**
  - पड़ोसी देशों की घरेलू राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचें।
  - द्विपक्षीय समझौतों में गैर-पारस्परिकता के सिद्धांत को बनाए रखें।
- **आर्थिक संबंधों को मजबूत करें:**
  - सीमा पार बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ाएं।
  - बिम्सटेक और बीबीआईएन जैसे क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों को बढ़ावा दें।
- **साझा चुनौतियों पर सहयोग करें:**
  - जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य संकटों को दूर करने में भागीदार बनें।
  - सीमा पार नदियों में जल संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करें।
- **रणनीतिक रूप से जुड़ें:**
  - प्रतिस्पर्धी निवेश और सहायता की पेशकश करके चीनी प्रभाव को संतुलित करें।
  - सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से सॉफ्ट-पावर कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करें।
- **पारदर्शी संचार:**
  - शिकायतों को दूर करने और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए नियमित शिखर सम्मेलन और संवाद।
  - गलतफहमियों को कम करने के लिए लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

भारत की पड़ोस नीति को विश्वास, आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक पहलों के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करना क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की वैश्विक आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

9 योजना दिसम्बर 2024

1: भारतीय संविधान का विकास: संवैधानिक संशोधन

भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है जो भारतीय राज्य के कामकाज को नियंत्रित करता है। इसका विकास राष्ट्र के गतिशील सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है।

- संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान को समाज की बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रासंगिक और उत्तरदायी बना रहे।

ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान का विकास

भारतीय संविधान की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में देखी जा सकती हैं, जो संवैधानिक विकास की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित है जिसने अंततः एक स्वतंत्र भारतीय राज्य के गठन की नींव रखी। प्रमुख मील के पत्थर में शामिल हैं:

- भारत सरकार अधिनियम 1858: भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत और ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत को चिह्नित किया।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892: सीमित प्रतिनिधि शासन की अवधारणा को पेश किया, जिससे नियुक्त परिषदों के माध्यम से भारतीयों को विधायी प्रक्रियाओं में आवाज़ उठाने का मौक़ा मिला।
- भारत सरकार अधिनियम 1909 (मोर्ले-मिंटो सुधार): विधान परिषदों का विस्तार किया गया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र शुरू किए गए, जिससे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विकास के लिए मंच तैयार हुआ।
- भारत सरकार अधिनियम 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार): प्रांतीय और केंद्रीय कार्यों को अलग करते हुए शासन की द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। इसने विधान परिषदों के माध्यम से सीमित स्वशासन का भी प्रावधान किया।
- भारत सरकार अधिनियम 1935: भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अग्रदूत माना जाता है, इसने संघीय ढांचे, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना और अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए के समूहों के लिए आरक्षित सीटों की शुरुआत की।

भारतीय संविधान की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में देखी जा सकती हैं, जिसमें संवैधानिक विकास की एक श्रृंखला शामिल है जिसने अंततः एक स्वतंत्र भारतीय राज्य के गठन की नींव रखी। प्रमुख मील के पत्थर में शामिल हैं:

संघीय संविधान का संवैधानिक संशोधन

- एक संघीय संविधान, अपनी प्रकृति के अनुसार, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता रखता है।
- भारतीय संविधान को एक संघीय ढांचे के रूप में डिज़ाइन किया गया है, हालाँकि इसमें एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह है। संघीय व्यवस्था में संवैधानिक संशोधन केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
- यह भारतीय संविधान में स्पष्ट है, जहां विशेष रूप से राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक-आर्थिक न्याय के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों के वितरण को फिर से परिभाषित करने के लिए संशोधनों का उपयोग किया गया है।

संविधान संशोधन की आवश्यकता

- सामाजिक मानदंडों में बदलाव: समय के साथ, सामाजिक प्रथाएँ विकसित होती हैं, और संविधान को जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिक समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- राजनीतिक वास्तविकताएँ: राजनीतिक संरचना और गतिशीलता समय के साथ बदलती रहती है, जिसके लिए नए राज्यों की शुरूआत या चुनावी प्रक्रिया में बदलाव जैसी नई वास्तविकताओं को समायोजित करने के लिए संवैधानिक समायोजन की आवश्यकता होती है।
- न्यायिक व्याख्याएँ: जैसे-जैसे न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, नए अर्थ और अनुप्रयोग सामने आते हैं, जिसके लिए संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट या विस्तारित करने के लिए औपचारिक संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है।
- तकनीकी और वैश्विक विकास: प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक संबंधों में प्रगति नई चुनौतियाँ पैदा कर सकती है, जिसके लिए विशेष रूप से डिजिटल शासन, आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता होगी।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

भारत का संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। प्रक्रिया को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- संसद द्वारा संशोधन: संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है (जैसे, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन)।
- विशेष बहुमत की आवश्यकता वाले संशोधन: कुछ प्रावधान, जैसे कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण (अनुच्छेद 368), संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

- राज्य की सहमति से संशोधन: कुछ प्रावधान, जैसे कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, के लिए न केवल संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है।

संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

- अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है।
- जबकि संसद संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, संघीय संरचना और मौलिक अधिकारों जैसी कुछ बुनियादी विशेषताओं को साधारण संशोधनों के माध्यम से नहीं बदला जा सकता है।
- 1973 के केशवानंद भारती मामले ने मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया, जो संविधान के आवश्यक पहलुओं को संशोधित करने की संसद की शक्ति को सीमित करता है।

केशवानंद भारती मामला, 1973 और मूल संरचना का सिद्धांत

- केशवानंद भारती केस (1973) भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह इसके "मूल ढांचे" में बदलाव नहीं कर सकती।
- मूल ढांचे का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे प्रमुख तत्व बरकरार रहें।
- इस फैसले ने मनमाने संशोधनों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम किया है और संविधान के मूल सिद्धांतों को संरक्षित किया है।

1950 के बाद से ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन

- पहला संशोधन (1951): पहले संशोधन ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए, अस्पृश्यता के खिलाफ कानून की अनुमति दी और राज्य को सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित करने में सक्षम बनाया। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित किया, जिससे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार मिला।
- सातवां संशोधन (1956): इस संशोधन ने भाषाई और प्रशासनिक कारकों के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया, जिससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य बने। इसने भाषाई पहचान और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को संबोधित करते हुए कानून के लिए नए विषयों को शामिल करने के लिए संघ सूची को भी अद्यतन किया।
- बयालीसवाँ संशोधन (1976): "लघु-संविधान" के रूप में जाना जाने वाला यह संशोधन प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "लोकतांत्रिक" को जोड़ता है, न्यायिक समीक्षा को कम करता है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार करता है और संघ में शक्ति को केंद्रीकृत करता है, जिससे आपातकाल के दौरान भारत के संवैधानिक ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से नया रूप मिलता है।
- चौवालीसवाँ संशोधन (1978): चौवालीसवाँ संशोधन आपातकाल के दौरान किए गए अलोकतांत्रिक परिवर्तनों को उलट देता है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300 ए के तहत) के रूप में बहाल करता है, और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करते हुए मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की राज्य की शक्ति को सीमित करता है।
- बावनवाँ संशोधन (1985): निर्वाचित प्रतिनिधियों को दल बदलने से रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून पेश किया, दलबदल करने वालों या पार्टी निर्देशों के खिलाफ मतदान करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता और पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करना था।
- इकसठवां संशोधन (1988): इस संशोधन ने आम चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ी और समावेशी मतदान अधिकारों के प्रति वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बैठाया गया।
- सत्तरवाँ और चौहत्तरवाँ संशोधन (1992): इन संशोधनों ने निर्वाचित स्थानीय सरकारों (ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ) के निर्माण को अनिवार्य बना दिया, स्थानीय निकायों को शक्तियाँ सौंपी और महिलाओं और हाशिए के समुदायों के लिए आरक्षण प्रदान किया, जिससे स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण को मजबूती मिली।
- निन्यानवेवाँ संशोधन (2014): इस संशोधन ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की शुरुआत की। हालाँकि इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना था, लेकिन इसे न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
- सौ और एकवाँ संशोधन (2016): इस संशोधन ने माल और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया, जिससे कई अप्रत्यक्ष करों को बदलने, कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और आर्थिक एकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में एक एकीकृत कर संरचना बनाई गई।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है, जो समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। संविधान संशोधन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि संविधान समकालीन चुनौतियों का समाधान करने में प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। जबकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन संविधान के मूल सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए न्यायिक निगरानी द्वारा इसे संतुलित किया जाता है। ऐतिहासिक संशोधनों ने न केवल तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे में भी योगदान दिया है। इन संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान का विकास लोकतंत्र, न्याय और सामाजिक कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

2: सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका

26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान एक आधारभूत दस्तावेज है, जिसने न केवल एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की।

- भारतीय संविधान के संदर्भ में सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी के लिए, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े और वंचित समूहों के लिए लाभों और अवसरों के निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण से है।
- भारत के संविधान ने अपने प्रावधानों, निर्देशों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रस्तावना: सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों को बताते हुए एक समतावादी समाज की कल्पना करती है।
- यह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करने का वादा करके सामाजिक न्याय को मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है।
- यह आधारभूत दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए आधार तैयार करता है कि सरकार असमानताओं को कम करने और समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करे।

मौलिक अधिकार:

संविधान में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक मज़बूत ढाँचा प्रदान करते हैं।

- अनुच्छेद 14: सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी के साथ निष्पक्षता से पेश आए, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो।
- अनुच्छेद 15: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए।
- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता को समाप्त करता है, एक ऐसी प्रथा जो भारतीय समाज में गहराई से समाई हुई थी, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के साथ "अछूत" जैसा व्यवहार न किया जाए और उन्हें बुनियादी मानवीय गरिमा से वंचित न किया जाए।
- अनुच्छेद 46: राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

ये प्रावधान एक न्यायपूर्ण और समान समाज की नींव रखने में महत्वपूर्ण हैं, जहाँ व्यक्तियों के साथ उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

- संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP), कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। हालांकि ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं हैं (अर्थात, वे न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते), वे राज्य के लिए सामाजिक कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए एक नैतिक दायित्व के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख डीपीएसपी में शामिल हैं:
- अनुच्छेद 38: राज्य को आय और धन में असमानताओं को कम करने सहित न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 39: यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और आर्थिक शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 41: बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 42: राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।

DPSP सरकार को कानून और नीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन करते हैं जिनका उद्देश्य वंचितों का उत्थान करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है।

आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई

भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। संविधान हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसरों तक पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता को पहचानता है।

- अनुच्छेद 15(4) और 16(4): अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाता है। इसने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीतियों की स्थापना की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समुदायों का प्रतिनिधित्व हो और वे उन अवसरों तक पहुँच सकें जिनसे उन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित रखा गया था।

ऐसे प्रावधानों के माध्यम से, संविधान का उद्देश्य खेल के मैदान को समतल करना और उन समूहों को समान अवसर प्रदान करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत किया गया है या जिनके साथ भेदभाव किया गया है।

न्यायिक व्याख्या और सक्रियता

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। भारतीय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में सहायक रही है, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है, अक्सर अधिकारों के दायरे का विस्तार होता है और कमज़ोर समुदायों की रक्षा होती है।

- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे को शारीरिक नुकसान से सुरक्षा से आगे बढ़ाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय और पर्यावरण न्याय से संबंधित अधिकारों को शामिल किया है। इस प्रगतिशील व्याख्या ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- जनहित याचिका (PIL): न्यायपालिका ने हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सामाजिक न्याय की अनुमति देने के लिए पीआईएल का उपयोग किया है, जैसे कि कैदियों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संबोधित करना।
- मौलिक अधिकारों पर निर्णय: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) जैसे मामले, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014), जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी, सामाजिक न्याय को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाते हैं।

न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, अदालतें उन मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम रही हैं जो सीधे गरीब, हाशिए पर पड़े और कमजोर समुदायों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

कानून के माध्यम से सामाजिक न्याय

- संविधान से परे, संसद द्वारा सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना, कल्याणकारी लाभ प्रदान करना और कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा करना है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कानून इस प्रकार हैं:
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचार और भेदभाव से बचाता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें सामाजिक रूप से वंचित बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007: यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जाए और उनके परिवारों द्वारा उनकी उपेक्षा न की जाए।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और कानूनी सहारा प्रदान करता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

हालाँकि भारतीय संविधान और उसके बाद के कानूनों ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया है, फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनमें शामिल हैं:

- जाति-आधारित भेदभाव: अस्पृश्यता के उन्मूलन के बावजूद, भारत के कई हिस्सों में जाति-आधारित भेदभाव जारी है।
- लैंगिक असमानता: महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न रूपों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
- आर्थिक असमानता: धन वितरण में बड़ी असमानताएँ मौजूद हैं, और कई नागरिक अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।
- न्याय तक पहुँच: कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाएँ, साथ ही मुकदमेबाजी की लागत, अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों को न्याय तक पहुँचने से रोकती हैं।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने प्रस्तावना में निहित न्याय के अपने दृष्टिकोण, मौलिक अधिकारों की गारंटी और अपने मार्गदर्शक निर्देशों के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। यह असमानताओं को दूर करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। हालाँकि, सच्चा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए कानून बनाने, न्यायिक सक्रियता और समाज के सभी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। चुनौतियों का समाधान करके और सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार करके, भारत संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और समतावादी समाज को साकार करने के करीब पहुँच सकता है।

3: भारत में AI का भविष्य: चिंताओं और आपराधिक जाँच की रूपरेखा

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एकीकरण वाणिज्य, शासन और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है। हालाँकि, यह तेज़ तकनीकी विकास गोपनीयता और नैतिक चिंताओं के साथ नवाचार को संतुलित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है।

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP अधिनियम) 2023 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 जैसे प्रमुख कानून इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए विनियामक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं।

AI और प्रोफाइलिंग

- प्रोफाइलिंग, एक मुख्य AI फ़ंक्शन है, जिसमें परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए व्यवहार संबंधी डेटा का विश्लेषण करना शामिल है। जबकि यह व्यक्तिगत सेवाओं में उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाता है, यह गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है।
- DPDP अधिनियम 2023 व्यवहार संबंधी डेटा को व्यक्तिगत डेटा के रूप में मान्यता देता है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा तक पहुँचने, उसे सही करने या मिटाने के अधिकार प्रदान करता है।
- यह अनुशंसा इंजन, वित्तीय जोखिम आकलन और लक्षित विज्ञापन जैसी सेवाओं के लिए निरंतर डेटा एकत्रीकरण पर निर्भर पारंपरिक AI मॉडल को बाधित करता है।

इन कड़े डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करने के लिए, व्यवसायों को गोपनीयता-प्रथम AI मॉडल में संक्रमण करना चाहिए जो कार्यक्षमता बनाए रखते हुए उपयोगकर्ता की सहमति का सम्मान करते हैं।

वैश्विक संदर्भ

- भारत का दृष्टिकोण EU के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) जैसे वैश्विक विनियमों के अनुरूप है, जो डेटा संग्रह के लिए स्पष्ट सहमति को अनिवार्य करता है और गोपनीयता-केंद्रित AI सिस्टम पर जोर देता है।
- ये वैश्विक और घरेलू बदलाव तकनीकी नवाचार को बाधित किए बिना उपयोगकर्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सामूहिक कदम को दर्शाते हैं।

नवाचार और नैतिकता को संतुलित करना

- चूंकि AI आपराधिक जांच और पूर्वानुमानित पुलिसिंग का अभिन्न अंग बन गया है, इसलिए BNS 2023 और DPDP अधिनियम पूर्वाग्रह, डेटा दुरुपयोग और निगरानी की चिंताओं को संबोधित करते हुए कानून प्रवर्तन में नैतिक AI तैनाती सुनिश्चित करते हैं। यह संतुलन AI में विश्वास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक लाभ के लिए इसकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण है।

पूर्वानुमानित पुलिसिंग और आपराधिक जांच में AI

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कानून प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है, विशेष रूप से पूर्वानुमानित पुलिसिंग और आपराधिक जांच में।
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 डिजिटल डेटा का विश्लेषण करने में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और एआई की क्षमता को मान्यता देता है, जिससे उन्नत अपराध रोकथाम और जांच तकनीकों का मार्ग प्रशस्त होता है।

कानून प्रवर्तन में अनुप्रयोग

- पूर्वानुमानित पुलिसिंग: एआई एल्गोरिदम संभावित आपराधिक गतिविधि का पूर्वानुमान लगाने के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं, जिससे अपराध की रोकथाम में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी जोखिम वाले व्यक्तियों और संभावित अपराधियों की पहचान करके ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करने और बाल शोषण से निपटने के लिए एआई का उपयोग करती है।
- भारत में अपराध की जांच: एआई सिस्टम धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया गतिविधि और स्थान इतिहास सहित बड़े डेटासेट का विश्लेषण कर सकते हैं।
- बीएनएस 2023 कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल उपकरणों को जब्त करने और जांच के लिए व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे डिजिटल फोरेंसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है।

चुनौतियाँ और नैतिक चिंताएँ

- गोपनीयता जोखिम: व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने की व्यापक शक्तियाँ मजबूत निगरानी तंत्र के बिना गैरकानूनी निगरानी और गोपनीयता उल्लंघन को जन्म दे सकती हैं।
- एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह: पक्षपातपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित होने पर एआई सिस्टम भेदभाव को कायम रख सकते हैं, जो नस्ल, लिंग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर हाशिए पर पड़े समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं।
- जवाबदेही: दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए एल्गोरिदमिक पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

पूर्वानुमानित पुलिसिंग में AI की शक्ति

- व्यक्तिगत अनुशंसाओं के लिए ई-कॉमर्स में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली AI की पूर्वानुमानित क्षमताएँ, अब पूर्वानुमानित पुलिसिंग के माध्यम से कानून प्रवर्तन में उपयोग की जा रही हैं।
- मानव व्यवहार और पैटर्न का विश्लेषण करके, AI संभावित अपराधों का पूर्वानुमान लगा सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अपनी परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करते हुए पूर्वव्यापी हस्तक्षेप को सक्षम कर सकता है।
- हालाँकि, पूर्वानुमानित पुलिसिंग के लिए उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि गलत पूर्वानुमान व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

- निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कानून प्रवर्तन को मजबूत AI सिस्टम अपनाना चाहिए, प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए और सामाजिक लाभ के लिए AI की क्षमता का लाभ उठाते हुए दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करने चाहिए।

कार्रवाई में AI: राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (UK)

- यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) कानून प्रवर्तन में नैतिक AI उपयोग का उदाहरण है। 2019 से, इसने ऑनलाइन व्यवहार की निगरानी करके और जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करके बाल शोषण से निपटने के लिए AI का उपयोग किया है। यह दृष्टिकोण अपराध की रोकथाम के लिए AI की क्षमता को उजागर करता है, जो भारत को साइबरबुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और आतंकवादी भर्ती से निपटने के लिए सबक प्रदान करता है।
- NCA की सफलता नैतिक AI ढाँचों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो पारदर्शिता, मानवीय निरीक्षण और सार्वजनिक विश्वास पर जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AI सिस्टम अपने अनुप्रयोग में प्रभावी और निष्पक्ष दोनों हों।

भारत में AI के लिए चुनौतियाँ और आगे की राह

- भारत में AI के एकीकरण में गोपनीयता और निष्पक्षता के साथ नवाचार को संतुलित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। DPDP अधिनियम 2023 व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है, लेकिन नवाचार को सक्षम करने के बारे में सवाल उठाता है, जबकि BNS 2023 AI-आधारित पुलिसिंग का समर्थन करता है, जो कानून प्रवर्तन के लिए नैतिक उपयोग और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रमुख प्राथमिकताओं में पूर्वाग्रहों को रोकने के लिए पूर्वानुमान उपकरणों का ऑडिट करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और डेटा सुधार और मिटाने जैसे उपयोगकर्ता सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल है। यूरोपीय संघ के GDPR और यूके के NCA जैसे वैश्विक ढाँचों से सबक एक AI पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करता है और सामाजिक लाभों को बढ़ाता है। AI में भारत के भविष्य के लिए कानूनी ढाँचे विकसित करने, हितधारकों के बीच सहयोग और गोपनीयता और निष्पक्षता की रक्षा करते हुए AI की क्षमता का जिम्मेदारी से दोहन करने के लिए जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

4: आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार: BNS के प्रभाव का मूल्यांकन

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की जगह लेती है, जो दंडात्मक न्याय ("दंड") से पुनर्स्थापनात्मक न्याय ("न्याय") में बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2024 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 के साथ, इन कानूनों का उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली को उपनिवेशवाद से मुक्त करना और 1 जुलाई 2024 से समकालीन चुनौतियों का समाधान करना है।

मुख्य विशेषताएँ और परिवर्तन:

- दार्शनिक बदलाव: दंड पर केंद्रित औपनिवेशिक IPC के विपरीत, BNS कमजोर समूहों की सुरक्षा और न्याय प्रदान करने पर जोर देता है।
- महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा: BNS महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त दंड और नए प्रावधान पेश करता है, धारा 63-99 में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधान: नए अपराध उभरते खतरों को लक्षित करते हैं, जो भारत की संप्रभुता और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) में प्रमुख परिवर्धन: समय की आवश्यकता

BNS 2023 उभरती चुनौतियों का समाधान करने और भारत की न्याय प्रणाली में कानूनी अंतराल को पाटने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान पेश करता है।

A. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ नए अपराध

- भ्रामक संबंध (धारा 69): धोखे या पहचान छिपाने के माध्यम से यौन संभोग को अपराध बनाता है, जिसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। यह पिछली कानूनी व्याख्याओं में अस्पष्टताओं को हल करता है और पीड़ितों के लिए सुरक्षा को मजबूत करता है।
- बच्चों का शोषण (धारा 95): अपराध करने के लिए बच्चों को काम पर रखने या उनसे काम करवाने पर, खास तौर पर यौन शोषण या पोर्नोग्राफी के लिए, कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान है। यह कठोर अपराधियों द्वारा नाबालिगों के दुरुपयोग को संबोधित करता है।

B. मानव शरीर के खिलाफ नए अपराध

- मॉब लिंचिंग (धारा 103 (2)): भेदभावपूर्ण आधार पर समूहों (5+ लोगों) द्वारा की गई हत्याओं के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के 2018 तहसीन पूनावाला दिशा-निर्देशों को लागू करते हुए।
- संगठित अपराध (धारा 111): भूमि हड़पना, साइबर अपराध और तस्करी जैसे सिंडिकेट-आधारित अपराधों को परिभाषित और अपराधी बनाता है।
- छोटे-मोटे संगठित अपराध (धारा 112(1)): छीना-झपटी, जुआ और अनधिकृत सट्टेबाजी जैसे छोटे-मोटे सिंडिकेट अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।

गंभीर चोट और घृणा अपराध (धारा 117):

- स्थायी विकलांगता या वानस्पतिक अवस्था (जैसे, अरुणा शानबाग मामला) का कारण बनने वाली गंभीर चोट को संबोधित करता है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
- घृणा से प्रेरित समूहों द्वारा गंभीर चोट पहुँचाने पर 7 साल तक की कैद की सजा दी जाती है।

C. राष्ट्र के विरुद्ध अपराध

- आतंकवाद की परिभाषा (धारा 113) आतंकवाद को भारत की एकता, संप्रभुता या सुरक्षा को ख़तरे में डालने या घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंक को भड़काने के इरादे से किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करती है। यह भारत की आतंकवाद की पहली विस्तृत कानूनी परिभाषा है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने की राष्ट्र की क्षमता को बढ़ाती है।

संप्रभुता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्य (धारा 152)

- राष्ट्रद्रोह: राजद्रोह कानून (आईपीसी की धारा 124ए) को भारत की एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाली कार्रवाइयों को लक्षित करने वाले प्रावधानों से प्रतिस्थापित करता है।
- सज़ा: अलगाववादी या अलगाववादी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आजीवन कारावास या जुर्माने के साथ 7 साल तक की सज़ा।

लोक सेवकों की सुरक्षा (धारा 195(2))

- दंगा नियंत्रण या गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने के दौरान लोक सेवकों के खिलाफ़ धमकी या आपराधिक बल के इस्तेमाल को दंडित करता है, जिसके लिए 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना हो सकता है।

गलत सूचना से निपटना (धारा 197(1)(डी))

- यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मुक्त भाषण को संतुलित करते हुए मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर फ़र्जी ख़बरों और प्रचार का मुकाबला करने के लिए कानूनी उपकरण प्रदान करता है।

विदेशी उकसावे (धारा 48)

- यह भारत के बाहर के उन व्यक्तियों को दंडित करता है जो देश के भीतर किए गए अपराधों को बढ़ावा देते हैं।
- यह प्रत्यर्पण बाधाओं को दरकिनार करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत फरार उकसाने वालों के खिलाफ़ मुकदमे की अनुमति देता है।

D. संपत्ति के खिलाफ़ अपराध

- छीनना (धारा 304(1)): चल संपत्ति की अचानक, त्वरित या जबरन जब्ती से जुड़ी चोरी को छीनना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- यह चेन और मोबाइल स्नैचिंग जैसे प्रचलित अपराधों को संबोधित करता है, विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों को लक्षित करता है, जबकि आईपीसी में इसके लिए कोई समर्पित प्रावधान नहीं है।

ई. विस्तारित परिभाषाएँ

- बच्चा (धारा 2(3)): 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित।
- लिंग (धारा 2(10)): इसमें पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर शामिल हैं।
- प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय के (2014) निर्णय के अनुरूप, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

एफ. नया दंड प्रावधान

सामुदायिक सेवा (धारा 4(एफ)):

- भारतीय दर्शन से प्रेरित होकर, यह दंड पहली बार छोटे-मोटे अपराध करने वालों के लिए पेश किया गया है।
- उद्देश्य: रचनात्मक सामाजिक योगदान के माध्यम से अपराधियों को सुधारने और पुनर्वास करने का लक्ष्य।

5: श्रम विवाद समाधान पर बी.एन.एस. का प्रभाव

भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अधिनियमन ने भारत में श्रम विवाद समाधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) से हटकर अधिक समकालीन ढांचे में बदल गया है।

- यह बदलाव वैश्विक मानकों के अनुरूप है, जो भारत के औद्योगिक विकास का समर्थन करता है और उभरती हुई श्रम चुनौतियों का समाधान करता है।

भारत में श्रम विवाद समाधान की पृष्ठभूमि

- भारत में श्रम विवाद पारंपरिक रूप से 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम (आई.डी.ए.), 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम और 1946 के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम जैसे अधिनियमों द्वारा शासित होते रहे हैं, जिन्हें बाद में 2020 के औद्योगिक संबंध संहिता (आई.आर.सी.) में समेकित किया गया। ये क़ानून औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए सुलह, मध्यस्थता और न्यायनिर्णयन जैसे सुलह तंत्रों पर केंद्रित थे।

श्रम विवादों को प्रभावित करने वाले BNS के प्रमुख प्रावधान

- भारत में श्रम विवादों को पारंपरिक रूप से 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम (IDA), 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम और 1946 के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम जैसे अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है, जिन्हें बाद में 2020 के औद्योगिक संबंध संहिता (IRC) में समेकित किया गया। ये क़ानून औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए सुलह, मध्यस्थता और न्यायनिर्णयन जैसे सुलह तंत्रों पर केंद्रित थे।
- सुलह से दंडात्मक उपायों की ओर बदलाव: BNS श्रम संघर्षों के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधानों को पेश करता है, जो सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान पर पहले के फोकस से हटकर है। यह दृष्टिकोण नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों को कैसे संभाला जाता है, इस पर प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में।
- श्रमिक विरोध और नियोक्ता देयताओं का विनियमन: BNS विरोध, नियोक्ता देयताओं और हड़तालों से संबंधित प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है, जो विवाद समाधान परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है। इससे गैरकानूनी हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के लिए और अधिक कठोर दंड का प्रावधान हो सकता है।

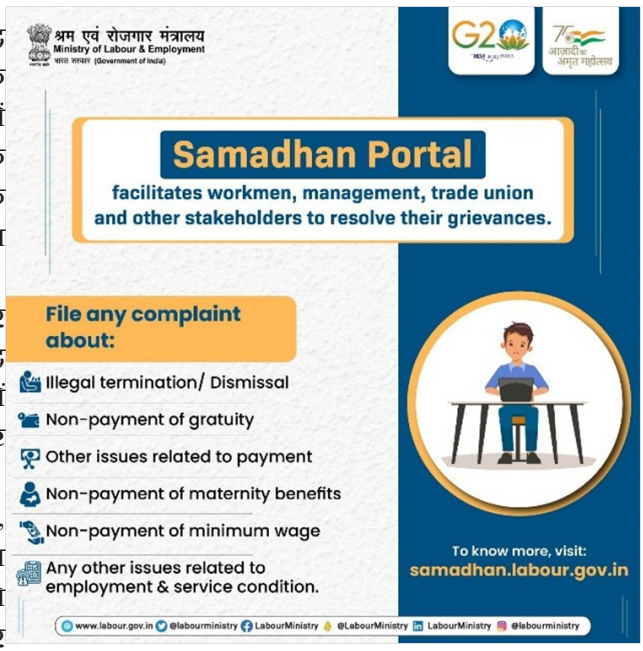

विवाद समाधान: भारत में श्रम मुद्दे:

- भारत में श्रम विवादों को ऐतिहासिक रूप से 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए), 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम और 1946 के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम जैसे प्रमुख अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है।
- इन कानूनों को बाद में 2020 के औद्योगिक संबंध संहिता (आईआरसी) में शामिल कर लिया गया, जिसका उद्देश्य भारत के श्रम कानून ढांचे को सरल और आधुनिक बनाना था।
- आईआरसी ने सुलह, मध्यस्थता और न्यायनिर्णय जैसे तंत्रों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) इस सुलह दृष्टिकोण से हटकर श्रम विवादों को हल करने के लिए सख्त दंड और अधिक प्रतिकूल ढाँचा लेकर आई है।

आईआरसी के तहत श्रम विवाद तंत्र

आईआरसी के तहत, श्रम विवाद समाधान मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में आयोजित किया जाता है:

1. श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच मध्यस्थता करने के लिए शिकायत निवारण समितियों जैसे द्विपक्षीय मंच।
2. सुलह, जहाँ एक तटस्थ तीसरा पक्ष श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करता है।
3. सुलह के माध्यम से अनसुलझे विवादों के लिए न्यायालय का निर्णय।

आईआरसी का उद्देश्य औद्योगिक विवादों को जल्दी और कुशलता से हल करके सामाजिक सद्भाव और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) भी स्वैच्छिक सुलह और मध्यस्थता का समर्थन करता है, जो IRC को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र (गिग वर्कर्स सहित) में काम करने वाले लोगों को इन विवाद समाधान तंत्रों से बाहर रखने के संबंध में। इसके अतिरिक्त, सुलह प्रक्रिया को अक्सर नियोक्ताओं के पक्ष में हेरफेर किया जाता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

BNS: दंडात्मक प्रावधानों की ओर बदलाव

भारतीय न्याय संहिता (BNS) IRC के सुलहकारी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो श्रम संघर्षों को हल करने के लिए दंडात्मक उपायों पर जोर देती है।

- BNS गैरकानूनी औद्योगिक कार्रवाइयों, जैसे हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के लिए कड़े दंड पेश करता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से श्रमिकों के लिए अपनी माँगों को मुखर करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। यह बदलाव औद्योगिक संबंध संहिता के प्रावधानों से अलग है, जो औद्योगिक विवादों के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए ट्रेड यूनियन सदस्यों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- उदाहरण के लिए, BNS की धारा 194 हड़ताल या विरोध प्रदर्शन (जैसे दंगा) के दौरान हिंसक व्यवहार को अपराध मानती है, तथा ऐसे दंड लगाती है जो सामूहिक सौदेबाजी के वैध रूपों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- जबकि IRC ने हड़ताल करने के लिए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की, BNS ने श्रम-संबंधी अपराधों को आपराधिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, जिससे विघटनकारी कार्यों पर निवारक प्रभाव पड़ा।
- यह बदलाव श्रमिक विरोधों पर एक भयावह प्रभाव डाल सकता है, खासकर उन मामलों में जहां ये कार्य अहिंसक हैं लेकिन व्यावसायिक संचालन के लिए विघटनकारी हैं।

व्यावहारिक चुनौतियाँ और भविष्य का दृष्टिकोण

- BNS के तहत श्रम-संबंधी अपराधों के लिए आपराधिक दंड की शुरूआत इसके कार्यान्वयन के बारे में चिंताएँ पैदा करती है।
- श्रम विवादों का अपराधीकरण पहले से ही तनावपूर्ण न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाल सकता है, जिससे मामलों का लंबित होना बढ़ सकता है। नियोक्ता, विशेष रूप से छोटे उद्यम, अधिक कठोर कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
- इसके अलावा, नया कानूनी ढांचा श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच प्रतिकूल संबंधों को बढ़ा सकता है, जो संभावित रूप से सहयोग की भावना को कमज़ोर कर सकता है, जिसे पहले के कानून, जैसे कि IDA और IRC, बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते थे। हालाँकि इससे जवाबदेही बढ़ सकती है, लेकिन इससे श्रमिकों को अलग-थलग करने और कार्यस्थल पर संघर्षों को बढ़ाने का जोखिम है।

बीएनएस और अनौपचारिक क्षेत्र

- एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी भी अनसुलझा है, वह है अनौपचारिक क्षेत्र में बीएनएस का अनुप्रयोग, जो भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा है।
- हाल के न्यायिक फैसले, जैसे कि सुश्री एक्स बनाम आईसीसी, एएनआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहाँ प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी गई थी, संकेत देते हैं कि बीएनएस अंततः गिग श्रमिकों और अन्य अनौपचारिक श्रमिकों तक विस्तारित हो सकता है, जिससे श्रम विवाद समाधान के रास्ते खुल सकते हैं। हालाँकि, इन प्रावधानों का पूरा दायरा और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर उनका प्रभाव अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) श्रम विवाद समाधान के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो औद्योगिक संबंध संहिता के तहत एक सुलहकारी ढांचे से एक अधिक प्रतिकूल, दंडात्मक ढांचे की ओर बढ़ रही है। इस बदलाव

का उद्देश्य श्रम कानूनों के अनुपालन को मजबूत करना है, लेकिन यह नई चुनौतियाँ भी पैदा कर सकता है, जिसमें वैध श्रमिक विरोधों का संभावित दमन और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच प्रतिकूल संबंधों में वृद्धि शामिल है।

- श्रम परिदृश्य को बदलने में बीएनएस की प्रभावशीलता न्यायिक व्याख्या और नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों द्वारा नए कानूनी ढांचे के साथ अनुकूलन करने के तरीके पर निर्भर करेगी। क्या बीएनएस भारत के श्रम संबंधों को आधुनिक बनाने में सफल होता है या इसे और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है, यह काफी हद तक इसके अनुप्रयोग पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से अनौपचारिक श्रमिकों के संबंध में। न्यायपालिका की भूमिका श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और एक विकसित आर्थिक वातावरण में औद्योगिक सद्भाव बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण होगी।

6: साइबर युग में कानून को फिर से परिभाषित करना: आधुनिक अपराध के खिलाफ भारत का विधायी बदलाव

डिजिटल युग के आगमन ने न केवल लोगों के आपसी व्यवहार को बदल दिया है, बल्कि अपराध की प्रकृति को भी बदल दिया है। भारत, सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघन और साइबर जासूसी सहित साइबर अपराध में नाटकीय वृद्धि का सामना कर रहा है।

- इस आधुनिक खतरे के जवाब में, भारत ने विधायी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है: भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)।
- ये कानून साइबर अपराध की जटिलताओं को संबोधित करने, आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं।

साइबर अपराध का विकास और इसकी चुनौतियाँ

- ऐतिहासिक रूप से, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को भौतिक अपराधों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिनके पास स्पष्ट अधिकार क्षेत्र और ठोस सबूत थे।
- डकैती या चोरी जैसे मामलों में, कानून प्रवर्तन आसानी से भौतिक साक्ष्य - उंगलियों के निशान, पैरों के निशान और गवाही - एकत्र कर सकता है और अपराधियों पर उनके इलाके की भौगोलिक सीमाओं के भीतर मुकदमा चला सकता है। हालाँकि, डिजिटल दुनिया में, अपराध इन भौतिक सीमाओं से परे विकसित हो गया है।
- साइबर अपराधी अब दुनिया में कहीं से भी काम करते हैं, वैश्विक नेटवर्क में हेरफेर करते हैं और डिजिटल बुनियादी ढांचे में कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं।
- वे अक्सर सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगाने, संवेदनशील डेटा तक पहुँचने और बिना कोई ठोस निशान छोड़े वित्तीय धोखाधड़ी करने में सक्षम होते हैं।
- डिजिटल डेटा के रूप में सबूतों को आसानी से छिपाया या मिटाया जा सकता है, जिससे जाँच और अभियोजन अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं।
- BNS, BNSS और BSA आधुनिक अपराधों की जाँच और अभियोजन के लिए रूपरेखा को फिर से परिभाषित करके इन चुनौतियों का समाधान करते हैं। ये कानून साइबर अपराध की सीमाहीन प्रकृति को स्वीकार करते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए सशक्त बनाते हैं।

BNS: अपराध क्षेत्राधिकार के लिए एक आधुनिक दृष्टिकोण

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) साइबर अपराध की जटिलताओं से निपटने के लिए भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह भौतिक क्षेत्राधिकार से आभासी क्षेत्राधिकार की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ अपराध भारत के भीतर और बाहर कई स्थानों पर हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, बैंक पर साइबर हमले के मामले में, पीड़ित एक राज्य में, सर्वर दूसरे में और अपराधी तीसरे राज्य या देश में स्थित हो सकता है। इस भौगोलिक विखंडन के कारण कानून प्रवर्तन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- BNS जांच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास भारत के भीतर और वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्राधिकारों में अपराधियों का पीछा करने का अधिकार है।
- कानूनी ढांचे को डिजिटल युग के अनुकूल बनाकर, BNS अधिकारियों को पारंपरिक क्षेत्रीय सीमाओं से सीमित हुए बिना अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।

BNSS: डिजिटल युग में सुरक्षा बढ़ाना

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तेजी से डिजिटल होती दुनिया में नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके BNS का पूरक है।
- जैसे-जैसे साइबर अपराध का दायरा और जटिलता बढ़ती जा रही है, BNSS का लक्ष्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान से लैस करना है।
- BNSS के प्रमुख प्रावधानों में से एक धारा 176(3) है, जो साइबर अपराध से जुड़े मामलों, विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी या डेटा चोरी से जुड़े मामलों के लिए फोरेंसिक ऑडिट को अनिवार्य बनाता है। कानून मानता है कि डिजिटल साक्ष्य अक्सर एन्क्रिप्शन के पीछे छिपे होते हैं, कई सर्वरों में फैले होते हैं, या साइबर अपराधियों द्वारा जानबूझकर नष्ट कर दिए जाते हैं।
- इससे निपटने के लिए, BNSS डिजिटल फोरेंसिक की भूमिका को मजबूत करता है, जांचकर्ताओं को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने, एन्क्रिप्टेड संचार का पता लगाने और विभिन्न प्लेटफार्मों पर डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करने के लिए सशक्त बनाता है।
- फोरेंसिक जांच को मानकीकृत करके और यह सुनिश्चित करके कि डिजिटल साक्ष्य को सावधानीपूर्वक संरक्षित और विश्लेषित किया जाता है, BNSS आधुनिक अपराधों की जांच के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता है।

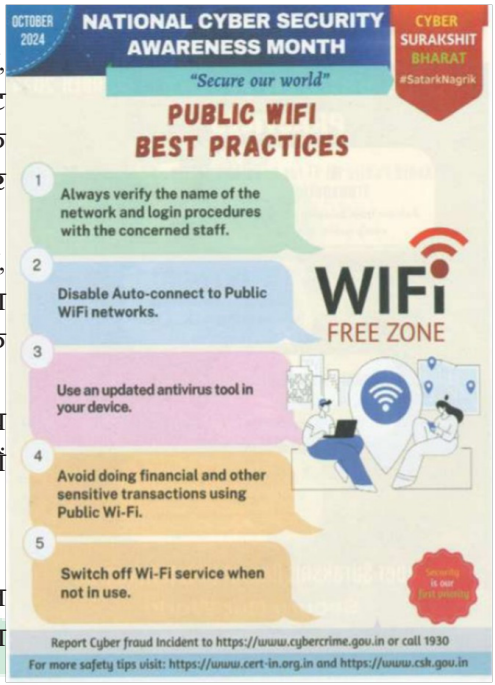

बीएसए: डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) डिजिटल साक्ष्य के संग्रह, संरक्षण और प्रस्तुति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करके कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भौतिक साक्ष्य के विपरीत, डिजिटल डेटा को आसानी से संशोधित या हटाया जा सकता है, जिससे इसकी अखंडता बनाए रखने के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- बीएसए सुनिश्चित करता है कि डिजिटल साक्ष्य को भौतिक साक्ष्य के समान ही कठोरता से संभाला जाए। उदाहरण के लिए, पहचान की चोरी या ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों में, साक्ष्य में ईमेल रिकॉर्ड, लेन-देन इतिहास या सोशल मीडिया गतिविधि शामिल हो सकती है।
- बीएसए इस साक्ष्य को इस तरह से एकत्र करने और प्रस्तुत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो इसे अदालत में स्वीकार्य बनाता है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत होता है।
- डिजिटल साक्ष्य के संचालन को मानकीकृत करके, बीएसए सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण न्याय में देरी या इनकार न हो, साथ ही व्यक्तियों को साइबर अपराधियों से भी बचाता है जो साक्ष्य में हेरफेर या उसे नष्ट करना चाहते हैं।

विशेष साइबर अपराध इकाइयों और डिजिटल फोरेंसिक की आवश्यकता

- जबकि ये विधायी सुधार एक महत्वपूर्ण कदम हैं, वे केवल उतने ही प्रभावी हैं जितना कि उन्हें समर्थन देने वाला बुनियादी ढांचा।
- साइबर अपराध की जांच अत्यधिक जटिल है और इसके लिए डिजिटल फोरेंसिक में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। BNS, BNSS और BSA इस आवश्यकता को पहचानते हैं और साइबर अपराध की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन को आवश्यक उपकरण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण से लैस करने के महत्व पर जोर देते हैं।
- भारत में पहले से ही कई राज्यों में विशेष साइबर अपराध इकाइयाँ हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे साइबर अपराध का दायरा और पैमाना बढ़ता जा रहा है, इन इकाइयों को और मजबूत किया जाना चाहिए।
- इसके लिए डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में निवेश, पुलिस अधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम और साइबर अपराध के लगातार विकसित होने वाले परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए मौजूदा बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने की आवश्यकता है।

आगे की ओर देखना: भारत की कानूनी प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना

- BNS, BNSS और BSA की शुरूआत साइबर अपराध द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के जवाब में अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
- ये कानून डिजिटल क्षेत्र में बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी सफलता साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में निरंतर निवेश पर निर्भर करेगी।
- जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें विकसित होती हैं, साइबर अपराध के नए रूप सामने आएंगे। प्रभावी बने रहने के लिए, भारत की कानूनी प्रणाली को चुस्त और अनुकूलनीय होना चाहिए, इन उभरते खतरों से निपटने के लिए अपने ढांचे को लगातार अपडेट करना चाहिए।

निष्कर्ष

BNS, BNSS और BSA डिजिटल सुरक्षा के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। साइबर अपराध इकाइयों को मजबूत करके, डिजिटल फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाकर और कानून प्रवर्तन को आवश्यक उपकरणों और ज्ञान से लैस करके, भारत एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की नींव रख रहा है। हालाँकि, इन विधायी सुधारों को मजबूत बुनियादी ढाँचे, निरंतर प्रशिक्षण और आने वाले वर्षों में साइबर अपराध की विकसित प्रकृति को संबोधित करने की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित होना चाहिए।

1: सामाजिक सुरक्षा: विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण

- सामाजिक सुरक्षा गरीबी में कमी लाने में आधारशिला का काम करती है, आर्थिक विकास में योगदान करते हुए कमज़ोर आबादी के लिए सामाजिक समावेश और सम्मान को बढ़ावा देती है।
- आय बढ़ाकर, यह खपत, बचत, निवेश को बढ़ावा देती है और घरेलू मांग को बढ़ाती है, जिससे मानव विकास को बढ़ावा मिलता है।

भारत का सामाजिक सुरक्षा ढांचा

- भारत में सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार जैसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से केंद्र सरकार करती है और इसके साथ ही राज्य-स्तरीय योजनाएँ भी हैं।
- यह व्यापक ढांचा जीवन चक्र में सम्मानजनक जीवन जीने का समर्थन करता है, जिसमें पारिवारिक लाभ, मातृत्व, बेरोज़गारी सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता लाभ जैसी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा किया जाता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और सतत विकास

- सामाजिक सुरक्षा एक मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
- सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 1 का लक्ष्य राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से 2030 तक गरीबी को समाप्त करना है, जिससे कमज़ोर समूहों को कवरेज सुनिश्चित हो सके।
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 में सामाजिक सुरक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में महत्व दिया गया है, जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 2012 के सामाजिक सुरक्षा फ़्लोर अनुशंसा में की गई है।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

- सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग ने नोट किया है कि वैश्विक आबादी के 71% लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जिसमें बच्चों और महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा वंचित है।
- ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट (2024-26) के अनुसार, कवरेज का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह अपर्याप्त बना हुआ है, जिसमें वैश्विक आबादी का 52.4% हिस्सा कम से कम एक सामाजिक लाभ के अंतर्गत आता है।
- व्यापक सामाजिक सुरक्षा स्थिरता को बढ़ावा देती है, असमानताओं को कम करती है, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाती है, और महामारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे आर्थिक झटकों से सुरक्षा करती है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

- भारत में सामाजिक सुरक्षा पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुई है, जिसमें मुफ़्त प्राथमिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, रोज़गार अधिकार और वरिष्ठ नागरिकों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सहायता जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए कमज़ोर आबादी के लिए एक व्यापक सुरक्षा जाल प्रदान करना है।
- मुफ़्त प्राथमिक शिक्षा
  - भारत में शिक्षा एक उच्च प्राथमिकता रही है, जिसके लिए पर्याप्त धन दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
  - शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।
  - सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और समग्र शिक्षा योजना जैसे कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करते हैं। कुछ राज्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में स्नातकोत्तर तक लड़कियों को मुफ़्त शिक्षा प्रदान करते हैं।

खाद्य सुरक्षा

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य और पोषण सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और अन्य पहल, जैसे कि चावल का पोषण बढ़ाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सब्सिडी वाली कैंटीन, सभी के लिए बुनियादी पोषण सुनिश्चित करती हैं, खासकर COVID-19 जैसी आपात स्थितियों के दौरान।

गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत एक प्रमुख लक्ष्य है।
- भारत की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है। हाल ही में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, शामिल किया जाना 2024 में एक महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है।

काम करने का अधिकार

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, जो ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख श्रम कानून है।
- कोविड-19 और सूखे की स्थिति जैसे संकट के समय में MGNREGA के माध्यम से रोजगार सृजन महत्वपूर्ण साबित हुआ है, जिससे लाखों लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिली है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

- भारत की वृद्ध आबादी 2031 तक 193.4 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन और अन्य योजनाएँ महत्वपूर्ण हो गई हैं।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) और अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) जैसे कार्यक्रम बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न पेंशन योजनाएँ उन वरिष्ठ नागरिकों की भी सहायता करती हैं जो पहले सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत नहीं थे।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जैसे कार्यक्रम जीवन और विकलांगता बीमा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में आय सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

आगे की राह

प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें देश जनसांख्यिकीय बदलावों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। ILO के अनुसार, 39 देशों, मुख्य रूप से यूरोप में, ने लगभग सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा हासिल की है, जिसमें उरुग्वे जैसे मॉडल सामाजिक कार्यक्रमों में सकल घरेलू उत्पाद का 25% से अधिक निवेश करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम असमानता और न्यूनतम गरीबी है। हालाँकि, फंडिंग गैप अभी भी अधिक है।

2: विकसित भारत के निर्माण के लिए सामाजिक सुरक्षा और किसानों का कल्याण

- किसानों को सशक्त बनाने, आय स्थिरता बढ़ाने, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
- यह संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों के लिए अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करता है और वैश्वीकरण की चुनौतियों का समाधान करता है, जिससे किसान उच्च दक्षता और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें हाल ही में की गई पहल कल्याण--आधारित से अंत्योदय के सिद्धांत के तहत भागीदारी सशक्तिकरण मॉडल में बदल गई है। प्रमुख सरकारी उपायों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना और कमज़ोर समूहों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- भारत का किसान कल्याण और ग्रामीण विकास पर ध्यान 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा न केवल एक आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक एक लचीले, समावेशी और उत्पादक कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है।

किसानों की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

- 2047 के लिए विकास की दृष्टि: 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए, भारत को कृषि को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ प्रति वर्ष 8% की दर से निरंतर आर्थिक विकास की आवश्यकता है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% का योगदान देता है।
- कृषि में चुनौतियाँ: कृषि को जलवायु परिवर्तन, संसाधनों का क्षरण, भूमि उपयोग में बदलाव और सामाजिक-आर्थिक तनाव जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उत्पादकता और विकास को प्रभावित करते हैं।
- कृषि पर निर्भरता: लगभग 55% भारतीय आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है।
- किसानों की कठिनाइयाँ: किसानों को छोटी भूमि जोत, सीमित प्रौद्योगिकी पहुँच, अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, बाजार में अस्थिरता और बढ़ती इनपुट लागत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर कर्ज और गरीबी का कारण बनती हैं।
- सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता: आर्थिक स्थिरता प्रदान करने, गरीबी को कम करने और किसानों के लिए बुनियादी जरूरतों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढाँचे आवश्यक हैं।

किसानों के लिए आय सहायता योजनाएँ

- किसान कल्याण के लिए भारत की महत्वपूर्ण पहलों में से एक, 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भूमि-धारक किसानों को सालाना 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है।

- यह योजना पारदर्शी और परेशानी मुक्त संवितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण और भूमि रिकॉर्ड एकीकरण जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती है, जो पाँच वर्षों में 2.81 लाख करोड़ रुपये के लाभ के साथ 11 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँचती है।
- PM-KISAN मोबाइल ऐप और किसान ई-मित्र चैटबॉट जैसे नवाचार पहुँच को बढ़ाते हैं, जिससे किसान ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं और कई भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

फसल बीमा और जोखिम शमन

- जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति कृषि की भेद्यता को देखते हुए, 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), कटाई से पहले और बाद के नुकसान के खिलाफ लागत प्रभावी फसल बीमा प्रदान करती है।
- यह योजना किसानों की आय को बढ़ावा देती है और आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है।
- 5,500 लाख से अधिक किसानों का बीमा किया गया है और 1.5 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है, PMFBY अब नामांकन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है।
- इसके अतिरिक्त, ब्याज सहायता योजना (ISS) के तहत रियायती ऋणों के माध्यम से कृषि में ऋण प्रवाह को बढ़ावा दिया जाता है, जो समय पर पुनर्भुगतान के लिए 4% ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मूल्य आश्वासन

- आय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 22 फसलों के लिए MSP स्थापित किए, जिससे लागत से कम से कम 50% अधिक लाभ सुनिश्चित हुआ।
- 2018 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) उचित मूल्य की गारंटी देता है, किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है और कृषि स्थिरता को प्रोत्साहित करता है

किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

- पीएम-केएमवाई 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था।
- यह विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिज़ाइन की गई एक अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष की आयु के लाभार्थी पेंशन फंड में ₹55 से ₹200 मासिक योगदान करते हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से मिलाया जाता है, जब तक कि वे 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाते।
- इस समय, वे ₹3,000 मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं, जो अपवादों के अधीन है। इस योजना का संचालन जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है और लाभार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से नामांकित किया जाता है। अब तक 23.38 लाख किसान इस पहल से जुड़ चुके हैं।

अटल पेंशन योजना (APY)

- 9 मई 2015 को शुरू की गई APY का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन कवरेज प्रदान करना है। 18-40 वर्ष की आयु के ग्राहक इस योजना में योगदान करते हैं, जिसमें 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह तक की पेंशन मिलती है।
- भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार पात्र ग्राहकों के लिए पाँच वर्षों के लिए कुल योगदान का 50% या ₹1,000 सालाना का सह-योगदान करती है। लाभ के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की अंशदान अवधि आवश्यक है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

- 2015 में शुरू की गई, यह जीवन बीमा योजना भारत में कम बीमा पैठ को संबोधित करती है, जो उस समय 20% थी। PMJJBY 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिनके पास बैंक खाता है। ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर, पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख मिलते हैं।

स्थायी खेती और पर्यावरण सुरक्षा

- दीर्घकालिक उत्पादकता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि में स्थिरता महत्वपूर्ण है। सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने, संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं।

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)

- 2015 में शुरू की गई, PKVY क्लस्टर-आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित करती है। किसानों को तीन वर्षों में प्रति हेक्टेयर ₹50,000 मिलते हैं, जिनमें से ₹31,000 सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से उन्हें हस्तांतरित किए जाते हैं।
- यह योजना एकीकृत, जलवायु-लचीली कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करती है और बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम करती है।

प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC)

- इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और यह योजना ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से खेत स्तर पर जल-उपयोग दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है।
- 2015-16 से 2022-23 तक, इसने सूक्ष्म सिंचाई के तहत 78 लाख हेक्टेयर को कवर किया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- 2015 में शुरू की गई, पीएमकेएसवाई का उद्देश्य बेहतर सिंचाई बुनियादी ढांचे के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। पांच वर्षों के लिए ₹50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ, इसके उद्देश्यों में सिंचाई कवरेज (हर खेत को पानी) का विस्तार करना, सटीक सिंचाई को बढ़ावा देना और पानी की बर्बादी को कम करना शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ़्तार)

- इसे 2017-18 में नया रूप दिया गया और यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास, मूल्य संवर्धन और कृषि-उद्यमिता का समर्थन करती है। इसने कैफ़ेटेरिया दृष्टिकोण के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी कई पहलों को मिला दिया है।
- 2019-20 से, इसके कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत 1,524 कृषि-स्टार्टअप को वित्त पोषित किया गया है, जिसमें अनुदान के रूप में ₹106.25 करोड़ वितरित किए गए हैं।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना

- 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया ने कृषि मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ाने के लिए कई पहलों को सुविधाजनक बनाया है:
- कृषि मशीनरी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वित्तीय सहायता में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- FARMS मोबाइल ऐप किसानों को कृषि मशीनरी को आसानी से किराए पर लेने या किराए पर लेने में सक्षम बनाता है।
- केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल कृषि उपकरणों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

किसानों का समूह और बाजार तक पहुँच

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन और संवर्धन

- 2020 में ₹6,865 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए 10,000 एफपीओ बनाना है। एफपीओ को तीन वर्षों में ₹18 लाख मिलते हैं और वे ₹2 करोड़ तक की ऋण गारंटी का लाभ उठा सकते हैं
- एफपीओ को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग और पारदर्शी मूल्य खोज की सुविधा मिलती है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM)

- ई-एनएएम 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,389 कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को जोड़ता है, जिससे 1.76 करोड़ से अधिक किसान ऑनलाइन उपज बेच सकते हैं।

कृषि उपज का विपणन

- कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम): यह कृषि बाजार संरचनाओं और क्षमता में सुधार करती है, जबकि महत्वपूर्ण बाजार जानकारी तक पहुँच को सुगम बनाती है।

हाशिये पर पड़े उद्यमियों को सशक्त बनाना

- स्टैंड-अप इंडिया योजना: इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, यह पहल ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच ऋण प्रदान करके एससी/एसटी और महिला उद्यमियों का समर्थन करती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

- पीएमजेडीवाई का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुँच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। 2014 में लॉन्च होने के बाद से, इसने 50 करोड़ से अधिक खाते खोले हैं, जिनमें से 67% ग्रामीण क्षेत्रों में और 56% महिलाओं के पास हैं।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF)

- आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा, एआईएफ कृषि अवसंरचना विकास के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है। पात्र लाभार्थियों में एफपीओ, एसएचजी, पीएसीएस और स्टार्टअप शामिल हैं।

किसानों का समूह और बाजार तक पहुँच

- समृद्ध भारत सुनिश्चित करने के लिए किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना होगा, आय अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी अंतराल जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा। आय सहायता, फसल बीमा, पेंशन और टिकाऊ खेती प्रथाओं सहित सरकारी पहलों का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिरता, सम्मान और लचीलापन बढ़ाना है।
- भागीदारी और टिकाऊ मॉडल पर जोर देना सामाजिक न्याय और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये प्रयास एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत में योगदान करते हैं, जो कृषि को राष्ट्रीय प्रगति के मूल में रखता है।

3: दिव्यांगजनों के लिए रास्ता आसान बनाने वाली सरकारी योजनाएँ

- भारत में, विकलांग लोग (दिव्यांगजन) आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- समावेशी विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए सरकार ने दिव्यांगजनों को सहायता देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह लेख प्रमुख पहलों, उनके प्रभाव और समावेशी समाज को प्राप्त करने में अभी भी आने वाली चुनौतियों का पता लगाता है।

संवैधानिक और विधायी ढाँचा

- दिव्यांगजनों को सहायता देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता संविधान में निहित है और विशिष्ट कानूनों द्वारा इसे मजबूत किया गया है:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को विकलांग लोगों के लिए काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 ने विकलांगता श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया, जिससे अधिक व्यापक कवरेज सुनिश्चित हुआ। यह कानून रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी में मौलिक अधिकारों और आरक्षण की गारंटी देता है।

दिव्यांगजनों के लिए प्रमुख योजनाएँ

- **सुगम्य भारत अभियान**
  - उद्देश्य: 2015 में शुरू की गई यह प्रमुख पहल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, परिवहन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में दिव्यांगजनों के लिए पहुँच को बढ़ावा देती है।
  - घटक: इमारतों, सार्वजनिक परिवहन और आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) में बाधा-मुक्त पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - उपलब्धियाँ: कई सरकारी इमारतों और वेबसाइटों में बुनियादी ढाँचे को सुलभ बनाया गया है, लेकिन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।
- **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS)**
  - उद्देश्य: दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - घटक: शारीरिक, व्यावसायिक और भाषण चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विशेष शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं को शामिल करता है।
  - प्रभाव: बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों को समुदाय-आधारित पुनर्वास प्रदान करने का अधिकार है, लेकिन गैर सरकारी संगठनों पर निर्भरता सरकार की जवाबदेही को सीमित करती है।
  - विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (ADIP) योजना
  - उद्देश्य: आर्थिक रूप से वंचित दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना।
  - घटक: क्षेत्रीय शिविरों के माध्यम से वितरित श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग जैसे सहायक उपकरण शामिल हैं।
  - उपलब्धियाँ: दिव्यांगजनों के बीच गतिशीलता और आत्मविश्वास में वृद्धि, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। हालाँकि, अनुवर्ती सहायता और उपकरण रखरखाव ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है।
- **दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति**
  - उद्देश्य: दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा और शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - घटक: विकलांग छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा जारी रखने और एम.फिल. या पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप।
  - चुनौतियाँ: योजना के बारे में जागरूकता सीमित है, जिसके कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कम उपयोग हो रहा है।
- **विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)**
  - उद्देश्य: बेहतर रोजगार अवसरों के लिए दिव्यांगजनों को बाजार-संबंधित कौशल से सशक्त बनाना।
  - कार्यान्वयन: विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और कौशल परिषदों के साथ साझेदारी करना।
  - प्रभाव: कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक दस लाख विकलांग लोगों को प्रशिक्षित करना है, हालांकि क्षेत्र-विशिष्ट प्लेसमेंट और क्षेत्रीय पहुंच में चुनौतियां बनी हुई हैं।
- **विशिष्ट विकलांगता पहचान (UDID) परियोजना**
  - उद्देश्य: दिव्यांगजनों को योजनाओं और लाभों तक निर्बाध पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस और विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करना।
  - कार्यान्वयन: आसान ट्रैकिंग और एकीकृत सूचना पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
  - प्रगति: परियोजना ने विकलांगता प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, हालांकि दूरदराज के क्षेत्रों में समय पर जारी करने के मुद्दे अभी भी जारी हैं।

भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक रूप से सशक्तीकरण योजनाएँ

भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों (PwDs) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएँ शुरू की हैं। ये पहल न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और उद्यमिता का भी समर्थन करती हैं।

प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- सरकारी नौकरियों में आरक्षण: PwDs के लिए सरकारी रोजगार में 3% आरक्षण।
- उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता: विकलांग व्यक्ति व्यवसाय या छोटे उद्यम शुरू करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर 50 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं।
- राज्य सरकार का समर्थन: केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा, राज्य सरकारें भी विकलांग उद्यमियों को समर्थन देने के लिए उदार नीतियाँ और अनुदान प्रदान करती हैं।
- 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, राज्य समाज कल्याण विभाग दिव्यांगों के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं चलाते हैं, जिनका लाभ स्थानीय जिला मुख्यालयों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत योजनाएँ

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक विकलांगता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण पर केंद्रित कई योजनाएँ चलाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो दिव्यांगों के लिए मानवता, सम्मान और सशक्तिकरण को महत्व देता हो।

राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

- दिशा: यह प्रारंभिक हस्तक्षेप योजना 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। यह विकलांग बच्चों के परिवारों को उपचार, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती है। दिशा केंद्र व्यापक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए डे-केयर सेवाएँ, विशेष शिक्षक और चिकित्सक प्रदान करते हैं।
- डे केयर सेंटर: ये केंद्र दिव्यांगों को उनके पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। वे दिन के दौरान दिव्यांगों की देखभाल करके देखभाल करने वालों को राहत भी देते हैं, जिससे परिवारों को अन्य ज़िम्मेदारियाँ संभालने में मदद मिलती है।

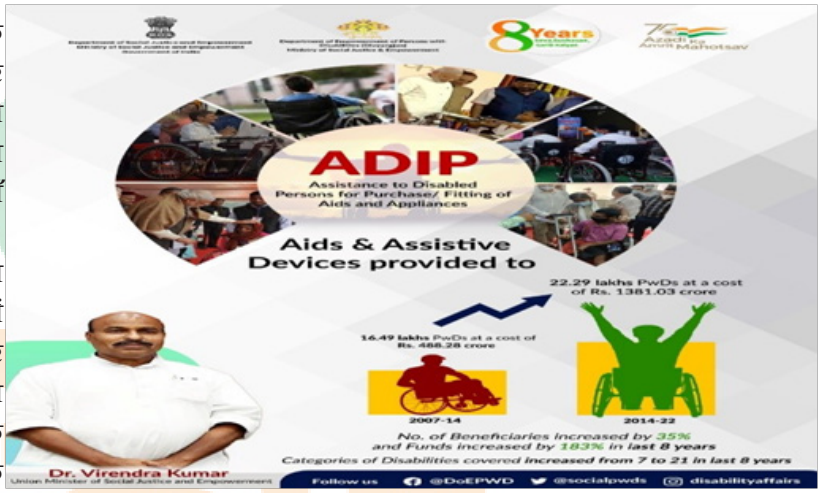

- समर्थ (आराम गृह): यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और निम्न आय वर्ग (LIG) परिवारों के दिव्यांगों के लिए समूह गृह उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जिसमें अनाथ और संकटग्रस्त पृष्ठभूमि के बच्चे भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल और सहायक वातावरण प्रदान करना है।
- घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह): यह योजना ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और कई विकलांगताओं वाले वयस्कों के लिए आजीवन देखभाल सुनिश्चित करती है। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल के प्रावधान शामिल हैं।
- निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना): निरामया योजना दिव्यांगों के लिए 5 लाख रुपये तक का किफायती स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो।
- सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना): यह पहल दिव्यांगों के परिवारों सहित देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि उन्हें घर पर पर्याप्त देखभाल प्रदान करने के कौशल से लैस किया जा सके। प्रशिक्षण प्राथमिक और उन्नत दोनों स्तरों पर प्रदान किया जाता है।
- ज्ञानप्रभा (शैक्षणिक सहायता): ज्ञानप्रभा योजना दिव्यांगों को उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें ट्यूशन फीस, परिवहन और अन्य संबंधित लागतों जैसे खर्च शामिल हैं।
- प्रेरणा (विपणन सहायता): यह योजना दिव्यांगों द्वारा बनाए गए उत्पादों और सेवाओं के लिए विपणन सहायता प्रदान करती है। यह इन उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी का समर्थन करती है। पंजीकृत संगठन अपनी बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन भी प्राप्त कर सकते हैं।
- संभव (सहायक उपकरण और सहायक उपकरण): संभव योजना भारत भर के शहरों में संसाधन केंद्र स्थापित करने में मदद करती है ताकि दिव्यांगों को सहायक उपकरण, सॉफ्टवेयर और उपकरण आसानी से उपलब्ध कराए जा सकें जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- बढ़ते कदम (जागरूकता और सामुदायिक संपर्क): यह पहल राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत शामिल विकलांगताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदाय को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से गतिविधियों का समर्थन करती है। यह सामाजिक एकीकरण और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने को बढ़ावा देती है।
- ये योजनाएँ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण, समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने, समाज और कार्यबल में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

निष्कर्ष

- भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई सराहनीय योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें शैक्षिक छात्रवृत्ति से लेकर स्वरोजगार के लिए ऋण और नौकरी में आरक्षण तक की सहायता प्रदान की गई है। हालाँकि इन पहलों से दिव्यांगों को काफी लाभ हुआ है, लेकिन पहुँच सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना की व्यापक पहुँच के बावजूद, कुछ व्यक्तियों को अभी भी योजनाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यूडीआईडी प्राप्त करना। इन अंतरालों को संबोधित करने से दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण का मार्ग आसान हो सकता है।

4: वृद्धावस्था में सम्मान सुनिश्चित करना

- सामाजिक सुरक्षा वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में, शहरीकरण और बदलते मानदंडों के कारण पारंपरिक पारिवारिक सहायता कमजोर हो गई है, जिससे राज्य हस्तक्षेप को बढ़ावा मिला है।
- सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, आवास और कानूनी सुरक्षा को संबोधित करने वाली योजनाएँ शुरू की हैं। हालांकि, बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी और सीमित संसाधनों के साथ, उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत में बढ़ती बुजुर्ग आबादी

- भारत की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। 2019 की जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 103.8 मिलियन से बढ़कर 2041 तक 240 मिलियन होने का अनुमान है, जो 2021 के आंकड़े से लगभग 1.75 गुना अधिक है।
- भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जो 1951 में 5.5% से बढ़कर 2021 में अनुमानित 10.1% हो गई है, और 2036 तक 14.9% होने का अनुमान है।
- यह वृद्धि बेहतर स्वास्थ्य सेवा और रहने की स्थिति के कारण बेहतर जीवन प्रत्याशा से प्रेरित है।
- जनसांख्यिकीय बदलाव मजबूत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक नीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है, क्योंकि एकल परिवारों, शहरी प्रवास और वैश्वीकरण के बढ़ने के कारण पारंपरिक देखभाल प्रणाली कमजोर हो जाती है।

Table 1: Sex-wise Distribution of Elderly Population (Aged 60+) in India (Million)

Year	Male	Female	Person
1951	10.2	9.6	19.8
1961	12.4	12.4	24.8
1971	15.8	16.9	32.7
1981	21.1	22.0	43.1
1991	27.3	29.4	56.7
2001	38.9	37.8	76.7
2011	52.8	51.1	103.8
2021*	66.8	71.1	137.9
2031*	92.9	100.9	193.8

Note: * Projected Population.
Sources: (1) Census of India, Various Reports. (2) (2) GOI, MoHFW, Population Projections for India and States 2011-2036

Table 2: Composition of Population in India (per cent)

Year	0-14 Age	15-59 Age	60+ Age
1951	38.4	56.1	5.5
1961	41.1	53.3	5.6
1971	42.0	52.0	6.0
1981	39.7	53.9	6.4
1991	37.6	55.7	6.7
2001	35.3	56.9	7.4
2011	30.8	60.3	8.6
2021*	25.5	64.4	10.1
2031*	21.7	65.2	13.1

Note: * Indicates Projected Population.
Sources: (1) Census of India, Various Reports. (2) Population Projections for India and States 2011-2036.

Figure 1: Sex Wise Elderly Population (Aged 60+) in India (Million)

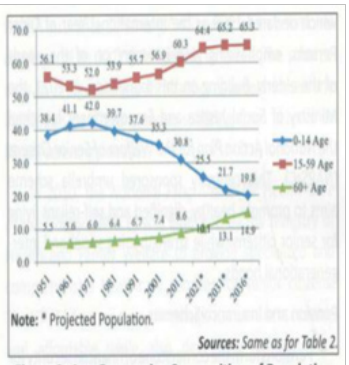

Figure 2: Age Group wise Composition of Population in India (per cent)

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- भारत सरकार ने बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के जवाब में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए हैं।
- वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (1999) पहली पहल थी, जिसमें बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आश्रय और कानूनी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- 2021 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrC) शुरू की, जो एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठों के लिए सम्मानजनक, आत्मनिर्भर जीवन को बढ़ावा देना और पीढ़ियों के बीच सामाजिक बंधन को मजबूत करना है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन और बीमा योजनाएँ

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): 1995 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें लगभग 30 मिलियन लाभार्थी शामिल हैं।
- □ अटल पेंशन योजना (APY): 2015 में शुरू की गई यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है, जो सेवानिवृत्ति के लिए बचत को प्रोत्साहित करती है। ग्राहकों को 60 के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन मिलती है, जिसमें सरकार का सह-योगदान भी शामिल है।
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY): 2017 में शुरू की गई यह पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश के आधार पर सुनिश्चित रिटर्न और निश्चित पेंशन प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है। इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

- कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस): ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित, यह योजना औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रदान करती है, सेवानिवृत्ति पर पेंशन, विकलांगता के मामले में और मृत्यु के बाद परिवार के लिए पेंशन प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): 2017 में शुरू की गई, यह सस्ती दुर्घटना बीमा योजना 20 रुपये प्रति वर्ष के न्यूनतम प्रीमियम के साथ आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता और आंशिक विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है।

स्वास्थ्य सेवा पहल:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY): 2007 में शुरू की गई, यह बीपीएल श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) के तहत गंभीर बीमारियों के लिए 30,000 रुपये का अतिरिक्त कवरेज है।
- बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई): 2010 में शुरू किया गया, यह जिला अस्पतालों में जेरिएट्रिक इकाइयों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं सहित विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई): 2017 में शुरू की गई, यह आयु-संबंधी विकलांगता वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायता और सहायक उपकरण (जैसे, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर) प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई): 2018 में शुरू की गई, यह स्वास्थ्य आश्वासन योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक प्रदान करती है, जिससे कमज़ोर परिवारों के लिए द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार होता है।
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ): 2016 में स्थापित, यह स्वास्थ्य सेवाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न पहलों को निधि देता है।

आजीविका और कौशल पहल:

- वरिष्ठ सक्षम नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार (एसएसीआरईडी): 2021 में शुरू किया गया, यह पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को नौकरी के अवसरों से जोड़ता है, पुनः रोजगार और सम्मान को बढ़ावा देता है।
- सामाजिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कार्य समूह (AGRASR): वरिष्ठ नागरिकों को आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- सिल्वर इकोनॉमी पहल: SAGE पोर्टल के माध्यम से सरकारी इक्विटी समर्थन के साथ, बुजुर्गों के लिए उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्ट-अप का समर्थन करता है।

आवास और कल्याण योजनाएँ:

- वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर: सरकार गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 566 वरिष्ठ नागरिक गृहों का समर्थन करती है, जो देखभाल, मनोरंजक गतिविधियाँ और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं।
- रिवर्स मॉर्गेज स्कीम: वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों को गिरवी रखने और अपने घरों में रहते हुए जीवन-यापन के खर्चों का समर्थन करने के लिए समय-समय पर भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देता है।

कानूनी सुरक्षा और अधिकार:

- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007: बच्चों को समय पर न्याय के लिए न्यायाधिकरणों के साथ बुजुर्ग माता-पिता के लिए भरण-पोषण और सहायता प्रदान करने का आदेश देता है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011: वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, देखभाल और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में व्यापक कार्यक्रमों की मांग करती है।
- हेल्पलाइन और जागरूकता: हेल्पलाइन दुर्व्यवहार या उपेक्षा का सामना करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए तत्काल सहायता प्रदान करती है, और जागरूकता अभियान उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं।

चुनौतियाँ

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की कमी है, जिससे लाभ तक पहुँच में बाधा आती है।
- जागरूकता का अभाव: कई बुजुर्ग व्यक्ति उपलब्ध योजनाओं से अनजान हैं, जिससे उन्हें सहायता तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- अपर्याप्त पेंशन: पेंशन अक्सर बुनियादी जीवनयापन के खर्चों को कवर नहीं करती है, जिससे वित्तीय असुरक्षा होती है।
- स्वास्थ्य सेवा बाधाएँ: उच्च चिकित्सा लागत वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक उपचार तक पहुँचने से रोकती है, जिससे स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है।
- डिजिटल डिवाइड: कई बुजुर्ग व्यक्तियों के पास योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के लिए कौशल या संसाधनों की कमी होती है।
- जटिल प्रक्रियाएँ: कठिन आवेदन प्रक्रियाएँ और दस्तावेज़ीकरण समस्याएँ संभावित लाभार्थियों को हतोत्साहित करती हैं।
- लैंगिक असमानताएँ: बुजुर्ग महिलाएँ, विशेष रूप से विधवाएँ, लाभ प्राप्त करने में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करती हैं।
- सामाजिक अलगाव: कई वरिष्ठ नागरिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं, जिन्हें वर्तमान प्रणालियाँ पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं।
- योजनाओं का विखंडन: राज्यों में असंगत कार्यान्वयन से पहुँच और सहायता में असमानताएँ होती हैं।

आगे की राह

- सार्वभौमिक पेंशन कवरेज: सभी वरिष्ठ नागरिकों के पास एक बुनियादी आय सुनिश्चित करने के लिए कवरेज का विस्तार करें।

- बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुँच: ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करें।
- सरलीकृत प्रक्रियाएँ: आवेदन प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करें।
- जागरूकता अभियान: अधिकारों और उपलब्ध सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ।
- लिंग-विशिष्ट पहल: बुज़ुर्ग महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं के लिए लक्षित सहायता प्रदान करें।
- सामुदायिक जुड़ाव: सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देकर और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करके सामाजिक अलगाव का मुकाबला करें।

निष्कर्ष

- वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सार्वभौमिक पेंशन योजनाएँ, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, सरलीकृत आवेदन प्रक्रियाएँ और कमज़ोर समूहों के लिए विशेष सहायता शामिल हो। एक समग्र ढाँचा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगा, जो एक अधिक समावेशी समाज में योगदान देगा।

5: पूर्वोत्तर भारत में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

पूर्वोत्तर भारत एक अद्वितीय जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल रखता है, जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ (ST) आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों से मिलकर बना यह क्षेत्र भारी जनजातीय उपस्थिति की विशेषता रखता है, जिसके आठ राज्यों में से चार जनजातीय बहुल हैं।
- अपनी प्रमुखता के बावजूद, क्षेत्र में एसटी और अनुसूचित जाति (SC) समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो सामाजिक सुरक्षा और विकास तक उनकी पहुँच में बाधा डालती हैं, साथ ही भूमि अलगाव, साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा और आवास से संबंधित मुद्दों से भी यह समस्या और जटिल हो जाती है।

जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य

- मिजोरम (95%) और नागालैंड (88%) जैसे राज्यों में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी है, जबकि असम (12.4%), मणिपुर (25.7%) और त्रिपुरा (31.8%) में मिश्रित जनसांख्यिकी है।
- इस क्षेत्र में एससी आबादी भी काफी है, हालाँकि यह असम (7.15%), त्रिपुरा (17.83%) और मणिपुर (3.81%) में केंद्रित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे अन्य राज्यों में कोई भी एससी आबादी नहीं है।
- ऐतिहासिक रूप से, स्वदेशी समुदायों की आर्थिक प्रणालियाँ भूमि, जंगल और जल संसाधनों से बहुत अधिक जुड़ी हुई थीं, जो उनकी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण थे।
- हालांकि, चाय बागानों की स्थापना और पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आप्रवासन जैसी औपनिवेशिक नीतियों के कारण भूमि का पर्याप्त अलगाव और सामाजिक-राजनीतिक विखंडन हुआ। ये कारक असम और त्रिपुरा में आदिवासी समुदायों को प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी कमज़ोरी बढ़ती है।

मौजूदा सामाजिक सुरक्षा ढांचा

- स्वतंत्रता के बाद के युग में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची शुरू की गई थी। इसने प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की और आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करने का लक्ष्य रखा।
- इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन, सामाजिक सुरक्षा लाभों तक अपर्याप्त पहुँच और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।

ST और SC समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा में चुनौतियाँ

- भूमि हस्तांतरण और आर्थिक असुरक्षा: असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर भूमि हस्तांतरण ने आदिवासी आबादी को विस्थापित कर दिया है, जिससे गंभीर आर्थिक असुरक्षा पैदा हो गई है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के मद्देनजर पारंपरिक भूमि अधिकारों की सुरक्षा एक चुनौती बनी हुई है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा तक सीमित पहुँच: जबकि पूर्वोत्तर में एसटी समुदायों के बीच साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मिज़ोरम (91.5%) और नागालैंड (80%) जैसे राज्यों में एसटी समुदायों के लिए साक्षरता दर सराहनीय है, लेकिन असमानताएँ बनी हुई हैं, खासकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर। शिशु मृत्यु दर (IMR) जैसे स्वास्थ्य संकेतक बताते हैं कि जबकि अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, असम का IMR चिंता का विषय बना हुआ है।
- एसटी और एससी समुदायों के खिलाफ अपराध: जबकि पूर्वोत्तर में एसटी और एससी समुदायों के खिलाफ अपराध दर भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में उनकी भेद्यता के बारे में चिंताएँ हैं। 2020-2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट

ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र में इन समुदायों के खिलाफ बहुत कम अपराध किए गए, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण को दर्शाता है।

- आवास और बुनियादी ढांचा: आवास एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि कई एसटी और एससी परिवार घटिया परिस्थितियों में रह रहे हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) जैसी योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके तहत क्षेत्र के लाभार्थियों, खासकर एसटी और एससी समुदायों को 16 लाख से अधिक घर उपलब्ध कराए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: 2024 में स्वीकृत, इस पहल का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के विकास, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करके आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह 63,000 से अधिक गाँवों और 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लक्षित करता है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G): यह योजना समाज के कमज़ोर वर्गों को आवास प्रदान करने में सहायक रही है, जिसके तहत पूर्वोत्तर में एसटी और एससी परिवारों के लिए 16 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए हैं।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 2024 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य लगभग 63,000 आदिवासी गाँवों में सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका में अंतर को पाटना है। इस योजना में 17 मंत्रालयों में 25 हस्तक्षेप शामिल हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्व-रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आगे की राह

- जबकि पर्याप्त प्रगति हुई है, पूर्वोत्तर में एसटी और एससी समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मौजूदा पहलों को आगे बढ़ाने और इन समुदायों की भलाई को और बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है:
- भूमि अधिकारों को मज़बूत करना: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हों। इसमें भूमि अलगाव को संबोधित करना, भूमि सुधार सुनिश्चित करना और गैर-आदिवासी आबादी द्वारा अतिक्रमण को रोकना शामिल है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में वृद्धि: साक्षरता और स्वास्थ्य सेवा के बीच की खाई को पाटने के लिए, दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ आदिवासी बच्चों के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित पहल शुरू की जानी चाहिए।
- वित्तीय समावेशन का विस्तार: माइक्रोफाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग जैसी वित्तीय समावेशन योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसटी और एससी समुदायों को ऋण, बचत और बीमा सेवाओं तक पहुँच हो, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिले।
- नीति में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना: नीतियों को सांस्कृतिक रूप से अधिक संवेदनशील होना चाहिए, जिसमें क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विकास हस्तक्षेप प्रासंगिक और प्रभावी हैं।

निष्कर्ष

- भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, अपनी समृद्ध आदिवासी विरासत और विविध समुदायों के साथ, सामाजिक सुरक्षा नीतियों के लिए चुनौतियों और अवसरों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है। जबकि संवैधानिक सुरक्षा उपायों और सरकारी पहलों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है कि क्षेत्र में एसटी और एससी समुदायों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक समान पहुँच मिले। भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करके भारत पूर्वोत्तर में अपनी जनजातीय आबादी के लिए अधिक समावेशी और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

CENTER FOR

CIVIL SERVICES

DEDICATED TO UPSC CSE